राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्टम् विधान सभा के तृतीय सत्र का पांचवां दिवस [संख्या 5

शनिवार,

दिनांक 4 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम चन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न।

श्री रघुनन्दन व्यास।

शिवगंज तहसील में गोचर की भूमि

41. **श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की शिवगंज तहसील में हरजी गोचर के नाम से गोचर भूमि है?

(2) क्या यह सही है कि इस गोचर भूमि पर पिछले बीस वर्षों से बारह सौ बीघा पर काश्त होती है परन्तु उसकी गिरदावरी नहीं होती?

(3) क्या यह भी सही है कि यह जमीन कीमतन भिन्न-भिन्न काश्तकारों को बेची जा चुकी है परन्तु इसकी कोई रेवेन्यू वसूल नहीं होती है?

यदि हां, तो क्या कारण हैं?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री): (1) जी नहीं। हरजी गोचर नाम की राजस्व रिकार्ड में कोई गोचर भूमि नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रघुनन्दन व्यास: इस उत्तर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में गोचर भूमि पर काश्त करने के कितने मामले चल रहे हैं? विगत सरकार और कांग्रेस नेताओं की मिली भगत से····

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मूल प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (मांडल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। आज की तारीख में गोचर भूमि पर काश्त करने के मामले राजस्व अभियान में काफी निपटाये गये हैं। फिर भी बहुत से लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है। ऐसे मामलों का निपटारा कब तक हो जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

Page No 2

(2)

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहता हूं। जो उत्तर आया है, वह सही नहीं है । शिवगंज तहसील में मनादर गांव में 1200 बीघा गोचर भूमि पर 20 वर्षों से लगातार काश्त हो रही है । राज्य सरकार कहती है कि गोचर भूमि है ही नहीं । आप चाहें तो मैं प्रमाणित कर सकता हूं । यह बताया जाय कि कौन-कौन काश्त कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप फैक्ट को कनफर्म कर लें ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं इसका जवाब देना चाहता हूं । सिरोही जिले की शिवगंज तहसील में हरजी गोचर के नाम से कोई गोचर भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है । इस तहसील के मनादर गांव में 6737 ।।।)4 बीघा भूमि गोचर है जो ग्राम पंचायत मनादर के नाम पर अंकित है, जिसमें हरजी गांव के मवेशी भी चरते हैं । इस मनादर गोचर भूमि के निम्न क्षेत्रफल में सम्वत् 2025 से सम्वत् 2031 तक जिस कदर अवैध काश्त हुई है, जैसा कि खसरा परिवर्तनशील फार्म पी-14 में बरवक्त गश्त गिरदावरी अंकन किया गया है—

सम्वत् 2025 में 200, 2026 में 200, 2027 में 607)3 रबी में 150, सं. 2028 में खरीफ में 1130।।), सम्वत् 2029 में 935।।) 4 रबी में 90।), सम्वत् 2030 में 1140।।) और रबी में 414।)

सम्वत् 2031 में 1129।।) व सम्वत् 2032 में 1149।।।)4

गश्त गिरदावरी फसलवार की जाती है तभी तो उपरोक्त रकबा अवैध काश्त में अंकित किया गया है ।

यह सही है कि इस मनादर वर्णित भूमि में से 1149।।।)4 बीघा भूमि की बंटवारा रजिस्ट्री होकर इसमें से 229।।।) बीघा भूमि का बेचान दीगर 16 व्यक्तियों को जरिये रजिस्ट्री हो चुका है । इस भूमि का भू-राजस्व वसूल नहीं होता है क्योंकि यह भूमि राजस्व रिकार्ड में गोचर दर्ज है ।

रजिस्ट्री किन परिस्थितियों में हुई इसकी जांच जिलाधीश से करवाई जानी सम्भव है जो अब करवाई जायेगी तथा जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्यों नहीं रजिस्ट्रार ने यह आपत्ति की कि कौनसी भूमि है जब कि रजिस्ट्री में उसकी किस्म लिखी जानी चाहिये ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय सदस्य, यह कानून में प्रावधान है । मान लीजिये मेरी जायदाद को दूसरे भी बेच देवें तो रजिस्ट्रार मना नहीं कर सकता है ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, गोचर भूमि की समस्या सारे राजस्थान में है । गोचर भूमि पर कुछ असरदार लोगों ने कब्जा कर रखा है । हर साल रिकार्ड में बेदखल दिखा देते हैं । तो, क्या राज्य सरकार ऐसा तरीका सोचेगी जिससे सारे राजस्थान में गोचर भूमि पर जितने मुकदमे और फौजदारी होती है वह न हो सके ?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : अभी राजस्थान की सरकार ने बड़ा अच्छा अभियान चलाया था-राजस्व अभियान उस

(5)

(श्री मूलचन्द डागा)
राजस्व अभियान के अन्तर्गत वहां के अधिकारीगण ने इस बात को नोट किया या नहीं किया ? यदि नोट किया तो निर्णय क्यों नहीं लिया ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय सदस्य, यह पूरक प्रश्न इससे सम्बन्धित है नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आपने राजस्व अभियान चलाया। आप अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं। उसमें यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अधिकारीगण ने इस बात की तरफ ध्यान दिया या नहीं दिया ? यदि ध्यान दिया, तो इसका निराकरण हुआ या नहीं हुआ ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : इस प्रश्न का अलग से नोटिस देना चाहिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : प्रश्न बहुत रिलेवेन्ट है। जब राजस्व अभियान चला और जो गोचर भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है तो उस अभियान में इसको हटाने के क्या प्रबन्ध किये गये ? राजस्व अभियान में भी यह मामला लिया जा सकता था।

श्री उपाध्यक्ष : मूल प्रश्न से, माननीय सदस्य, इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपने जिस प्रकार का जवाब दिया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : गोचर भूमि के मामले राजस्व अभियान में क्यों नहीं रखे गये ? यह मामला वहां के अधिकारी के ध्यान में क्यों नहीं आया और इस पर क्यों नहीं निर्णय दिया गया ?

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : बन्दोबस्त में जो भूमि पहले गोचर भूमि थी और बिला नाम के दर्ज कर दी गई थी, वह अब अलाट कर दी गई। उन जमीनों पर झगड़े बढ़ रहे हैं। उन झगड़ों को निपटाने का सरकार क्या इरादा रखती है ?

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी माननीय मंत्री ने बताया कि 20 साल से गोचर भूमि पर कब्जा कर रखा है तो क्या इस राजस्व अभियान में ऐसे आदेश दिये हैं कि 10 साल से जो कब्जे हैं, उनका नियमन कर दिया जाय ?

श्री छ्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा है—दौराने राजस्व अभियान क्या ये मामले उन रेवेन्यू अधिकारियों के ध्यान में लाये गये या नहीं लाये गये ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न पूछ लिया गया, रिपीट मत करिये।

मेजर श्री फतह सिंह : श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये एक रिपोर्ट से कोट करता हूं। यह रिपोर्ट श्री जे. सी. अग्रवाल की है जो उन्होंने भीम तहसील के सम्बन्ध में दी है। उन्होंने यह बताया है कि चरागाह की भूमि को आवंटित किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, यह रिपोर्ट अभी सितम्बर, 1977 की है, गोचर भूमि बिला नाम दर्ज किये जाने और फिर उसको आवंटित करने पर कई समस्यायें उत्पन्न हुई हैं, उन समस्याओं का किस प्रकार समाधान करने की बात गवर्नमेंट सोच रही है?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोचर भूमि के आवंटन का प्रश्न काफी जटिल हो गया है। जटिल इस कारण हुआ कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि आवंटन का जो अभियान चलाया गया उसमें गोचर भूमि का सबसे पहले आवंटन किया गया ....

श्री मूल चन्द डागा: मैं माफी चाहता हूं आप गलत फर्मा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: सुनिये, मैं आंकड़ों से सिद्ध कर सकता हूं। 20 सूत्री कार्यक्रम में जमीन ज्यादा वही आवंटित की गई है जो गोचर थी गांव वालों ने कहा है कि यह गोचर भूमि है और हम अपने पशुओं को कहां पर चरायेंगे। अब जब जमीन वापस लेने का प्रयत्न करते हैं, तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आगे करके कहा जाता है कि इनको बेदखल किया जा रहा है। तो, इस तरह से यह मामला बड़ा पेचीदा है। जहां जहां आपकी सरकार ने गोचर भूमि का आवंटन किया है, उनकी डिटेल्स मंगा रहे हैं और जल्दी ही इस पर कोई निर्णय कर लिया जायगा। जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है राज सरकार गोचर भूमि का आवंटन नहीं करना चाहती है। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रहना चाहिये।

श्री मदन सिंह दांता (दांतारामगढ़): मुख्य मंत्री महोदय, अभी आपने फर्माया है कि गांव के अन्दर जो गोचर भूमि है वह इमर्जेंसी के दौरान हरिजनों को दे दी। इसके साथ-साथ और लोगों ने भी ले ली। तो, क्या आप यह विचार करेंगे कि जिन हरिजनों को, चार-छः हरिजनों को भूमि दी है वह उनको तो दे दी जाय और बाकी लोगों को वहां से हटा दिया जाय ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैंने बताया कि सरकार ने पूरी डिटेल्स मंगाई हैं कि किस प्रकार से आवंटन हुए हैं और किन किन को हुए हैं। सब बातों की जानकारी कर रहे हैं और यह भी सोच रहे हैं कि जिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को जमीन अलाट की है उनको आस पास कोई और जमीन देकर उस जमीन को छुडाया जा सकता है या नहीं। इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर: मुख्य मंत्री महोदय, जब हम गोचर भूमि को अलाट करते हैं तो हमारे सामने एक सवाल आता है कि गोचर भूमि गरीबों के पास थी, उनके लिए जरूरी थी...

श्री उपाध्यक्ष: सरकार विचार कर रही है, माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर: नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो गरीब हैं जिनके पास एक बीघा, दो बीघा जमीन है उनके पास पशु हैं हो नहीं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार ने कह दिया है कि वह विचार कर रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर: जरूरी सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुझाव मत दीजिए, प्रश्न पूछिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जो सवाल किया था उसका उत्तर तो आने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आदमियों के लिए पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए, जमीन का अलाटमेंट करना ज्यादा जरूरी है या बड़े लोगों के लिए, बड़े भू-स्वामियों के पशुओं के लिए गोचर भूमि ज्यादा जरूरी है ?

श्री उपाध्यक्ष : सभी बातों पर विचार करेंगे।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : मंत्री महोदय कृपया इस बात को देखें कि एक तरफ तो इमर्जेंसी के टाइम में नसबन्दी के लालच में लोगों को गोचर भूमि अलाट की है और दूसरी तरफ अभी जो राजस्व अभियान राजस्थान सरकार ने चलाया उसमें यह आदेश दिया है कि इतने दिनों से जो काबिज लोग हैं उनका नियमन कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त आ चुका है। No. supplementary. No further question.

श्री रामकरणसिंह : ऐसे अलाटमेंट हुए हैं, लोगों को भूमि अलाट की है। जो दो साल से काबिज हैं, जो 32-33 में काबिज थे उनको 33-34 में दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। नैक्स्ट।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह।

राजकीय क्षेत्र के उद्योग

42. **श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द)** : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने व कौन कौन से उद्योग राजकीय क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं ?

(2) इनकी स्थापना से अब तक प्रति वर्ष प्रत्येक उद्योग/उपक्रम को कितनी हानि अथवा लाभ हुआ ?

(3) प्रत्येक उद्योग/उपक्रम के हानि में जाने के क्या कारण हैं ?

(4) उद्योग उपक्रम लाभ में चले इसके लिये राज्य सरकार द्वारा और क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजकीय उपक्रम से सम्बधित प्रश्न है। तीन दिन पहले ही मैंने इसके सम्बध में आपसे निवेदन कर दिया था ..

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित कराना चाहते हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जी हां।

श्री मूलचन्द डागा : एक प्रश्न दिया और उसको भी स्थगित करवा रहे हैं। इसमें क्या बात है ? सरकार के पास सारे फैक्ट होते हैं फिर भी मैं रोज देखता हूं कि मन्त्रीगण जवाब नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिये पूरे फैक्ट्स लेकर आयेंगे।

(6)

श्री मूलचन्द डागा : जब प्रश्न मंजूर हो जाता है तो इन्हें जवाब देना चाहिए। मैम्बर यहां पर आते हैं, सारे मैम्बरों का समय खराब होता है....

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : जब प्रश्नकर्ता को आपत्ति नहीं है, तो इनको क्या आपत्ति है?

श्री मूलचन्द डागा : यहां प्रश्नकर्ता का सवाल नहीं है अब यह हाउस की प्रोपर्टी है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : यदि इन्फार्मेशन नहीं है, तो विभाग से आ सकती है, इसमें दिक्कत क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। प्रश्न चूंकि बहुत व्यापक है, इनको पूरी इन्फार्मेशन कलेक्ट करने के लिए समय चाहिए। यह प्रश्न स्थगित किया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : यह राजकीय उपक्रम से सम्बन्धित सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको थोड़ी ताड़ना तो दीजिए।-आपके होते हुए सरकार के ये मंत्री काम नहीं करते हैं। ये काम करना ही नहीं चाहते। आप थोड़ा कहिए। केवल मुख्य मंत्री सारा बोझा ढोते फिरते हैं, मंत्री चुपचाप बैठे हैं। कोई उत्तर ही नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट श्री अब्दुल अजीज।

मकराना में नाजायज शराब के मामले

43. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मकराना व उसके आस पास के गांवों में नाजायज शराब निकाली जाती है जिसको पीकर कई मजदूर शहर वासियों का वातावरण गन्दा करते हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार ऐसे कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे इस वर्ष चला चुकी है?

(2) मकराना, नागौर जिले के शराब वर्जित क्षेत्र घोषित होते हुए भी शराब की दुकान खोलने की इजाजत क्या राज्य सरकार ने दी है? यदि हां, तो शराब की दुकान को कब तक राज्य सरकार हटवा देगी?

(3) राज्य में शराबबन्दी राज्य सरकार कब तक करने जा रही है?

(4) शराब से राज्य सरकार को सालाना कितनी आमदनी होती है?

आबकारी मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) मकराना व उसके आसपास के गांव मद्य-निषेध क्षेत्र में हैं। नाजायज शराब निकाले जाने की सूचना मिलने पर आबकारी निरोधक दल द्वारा उक्त क्षेत्रों में समय समय पर धावे आयोजित किये जाते हैं एवं कानून की अवहेलना करने पर लोगों के खिलाफ अभियोग बनाये जाते हैं। इस वर्ष उक्त क्षेत्र के 5 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।

(2) जी हां। इस क्षेत्र में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की एक रिटेल दुकान है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : भारत निर्मित और विदेशी शराब, इसका क्या मतलब है?

श्री उपाध्यक्ष : सब जानकारी सदन में ही न लें, बाहर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जानकारी श्योपत सिंह जी को बहुत है।

श्री आदित्येन्द्र : (2) इस दुकान से केवल चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर दिये गये हैल्थ परमिट-धारियों को ही भारत निर्मित विदेशी मदिरा निर्धारित मात्रा में दी जाती है। फिलहाल ऐसा मामला विचाराधीन नहीं है।

(3) राज्य सरकार ने अभी कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की है। परन्तु अगले 3 वर्ष से पूर्व ही पूर्ण मद्य निषेध लागू करने का विचार है।

श्री मदन सिंह दांता : बिद लाइसेंस।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तक तिथि निर्धारित नहीं है।

श्री आदित्येन्द्र : (4) राज्य सरकार की वर्ष 1976-77 में मदिरा से होने वाली आय 21 करोड़ 88 लाख रुपये थी। वर्ष 1977-78 में जनवरी, 1978 के अन्त तक मदिरा से कुल आय 22 करोड़ 20 लाख रुपये की हुई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।...

श्री उपाध्यक्ष : पहले श्री अब्दुल अजीज पूछेंगे।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने यह फर्माया कि मकराना में पांच लोगों का चालान आपने किया है। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि शराबबन्दी करने के बाद नागौर जले में शराब पीने की और शराब निकालने की ज्यादा आदत पड़ी है। आपका विभाग इसमें असफल रहा है। जगह-जगह पर भट्टियां बनाकर शराब निकाली जाती है, खास तौर से मकराना में जहां कि पन्द्रह-बीस हजार मजदूर बाहर से आते हैं। वे अपनी दिन भर की मेहनत की पूरी कमाई को शाम को शराब में खतम कर देते हैं। इस कारण से आप यदि यह उचित समझें, तो कोई विशेष दल बनायें या और स्टाफ बढ़ायें क्योंकि जो लेबर क्लास है, उनको शराब की आदत है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी सावधानी बरती गई है, तभी तो पांच ही व्यक्तियों का चालान किया गया है।

श्री अब्दुल अजीज : वहां कई लोग शराब निकाल रहे हैं। घर घर में भट्टियां बन गई हैं, समझे साहब। जिस तरह से आपने सैल्स टैक्स के लिये, रायल्टी के लिये फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये और शीघ्र पूछिए।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के अन्दर जो विदेश निर्मित शराब का प्रावधान है...

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : क्वेश्चन तो पूछने दीजिए, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुझाव नहीं दें, प्रश्न पूछिए।

श्री अब्दुल अजीज : क्वेश्चन रीति-नीति का है। क्वेश्चन सरकार की कोताही का है। कानून बनाना ही काफी नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में····

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी चिन्ता मत व्यक्त कीजिए, प्रश्न पूछिए।

श्री अब्दुल अजीज : इसमें आलोचना की बात नहीं है, रीति-नीति की बात है। हम सदन के माननीय सदस्य, दो सौ माननीय सदस्य यहां बैठ कर कानून तो बना दें किन्तु उस कानून का पालन न हो और सरकार इस बात का श्रेय ले ले कि हमने शराबबन्दी कर दी। कानून की पालना नहीं होती है। इसलिए मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब हम कानून बनायें····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप सप्लीमेंट्री नहीं पूछ रहे हैं। माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं लेकिन आप सप्लीमेंट्री नहीं पूछ कर अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं....

श्री अब्दुल अजीज : मेरा प्रश्न अभी खतम नहीं हुआ है।

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह के सप्लीमेंट्री पूछने के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं।

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस स्टेशन के पचास गज की दूरी पर नाजायज शराब बनती है तथा हर प्रकार की शराब बनती है। पुलिस अधिकारियों को और एक्साइज अधिकारियों को पूरी जानकारी है। ब्यावर पुलिस सब-स्टेशन के पास ही यह होता है। इसको रोकने के लिए क्या सरकार किसी तरह योजना बनायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

मेजर श्री फतहसिंह : यह सरकार की नीति से सम्बन्धित प्रश्न है। हम चाहते हैं कि शराबबन्दी हो लेकिन पुलिस स्टेशन से पचास गज की दूरी पर ही यह सब हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि बजट की डिमाण्ड पर विचार करते समय इस विषय से सम्बन्धित सारी समस्यायें उठा सकते हैं। उस समय इस समस्या पर बोलिये।

मेजर श्री फतह सिंह : यह गवर्नमेंट की नीति से सम्बन्धित है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है।

मेजर श्री फतह सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये श्योपतसिंह जी पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा प्रश्न है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्जित क्षेत्र होते हुए भी शराब की दुकानें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कानून देख लीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कानून की क्या बात है?

श्री उपाध्यक्ष : जो फारेन लिकर होती है, उसका लाइसेंस दिया जाता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप वर्जित क्षेत्र घोषित करें। आखिर आप वहां शराब बेच रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो अच्छी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिल में अमेंडमेंट लायें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल तो नीति का है।

मेजर श्री फतहसिंह : ब्यावर में पुलिस थाने के पास नाले में नाजायज शराब बनती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि क्वेश्चन पर दो तीन सप्लीमेंट्रीज पूछे जा सकते हैं। बाकी आप बजट की डिमाण्ड के समय कह सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बजट के समय कोई रिप्लाई नहीं देगा।

श्री उपाध्यक्ष : पोलिटिकल प्रश्न क्वेश्चन में नहीं पूछा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोलिटिकल प्रश्न का सवाल नहीं है पोलिसी का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको अदालत में ले जाइये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : देशी शराब को विदेशी कह कर बेचते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसा मानते हैं तो अदालत में चैलेंज करिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, हमको यह पूछने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक आदमी को मोनोपाली नहीं दी जा सकती है। आप विराजजाइये। और भी माननीय सदस्य बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रकाश : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन वस्तुओं से शराब निकाली जाती है, उन वस्तुओं पर राज्य सरकार नियन्त्रण करेगी?

श्री उपाध्यक्ष : यह सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में···

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल ऐरन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से खड़ा हूं। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : ओ, हो, हो!

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण सिंह जी, आपको समय दिया था। उस समय आप नहीं बोले थे। इस समय कृपया क्षमा करें।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न है। जब जिस इलाके में शराब बन्दी कर दी जाये फिर उसी इलाके में देशी शराब को विदेशी शराब कह कर बेचना, उसके लिये दुकान खोलना क्या उचित है? यह सीधा सा प्रश्न है।

श्री मदनसिंह दांता : सवाल यह है कि मकराना में शराबबन्दी है····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंहजी, आप विराज जायें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप जवाब तो दिलायें।

श्री भवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह मेहता !

श्री मनोहर सिंह मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वेश्या देशी हो या विदेशी वेश्या वेश्या ही है। शराब चाहे देशी हो या विदेशी, वह शराब ही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभी लोग पीते हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : आप चुप रहिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता : क्या सरकार ऐसा कानून बनायेगी कि जिन क्षेत्रों में शराबबन्दी है, वहां कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर पियेगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जायगा और उसे पेंशन भी नहीं मिलेगी? ऐसे किसी भी क्षेत्र में अगर कोई एम. एल. ए. पीता है तो उनको भी पदमुक्त किया जायगा और आयन्दा चुनाव में खड़ा न हो सके ऐसा प्रबंध किया जायगा?

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं·····

श्री उपाध्यक्ष : टाइम का तो ध्यान करें, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। प्रश्न के उत्तर नम्बर दो में मंत्री महोदय ने बताया है कि चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर दुकान से शराब मिलेगी। तो क्या चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर दुकान खोलने के बजाय आवश्यक एलकोहल का प्रबंध चिकित्सालय में ही नहीं किया जा सकता?

श्री बालचन्द्र आर्य : जो शराबबन्दी की बात करते हैं, वह क्या शराबबन्दी का खुद पालन करते हैं? मैं गृह मन्त्रीजी से

(श्री बालचन्द्र आर्य)

पूछना चाहता हूं, जो पुलिस है अगर वह शराब पीकर ड्यूटी देती है तो क्या वह रक्षा कर सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं सप्लीमेंट्री पूछने की इजाजत अब नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आप विराज जायें।

श्री बालचन्द्र आर्य : नहीं, नहीं, मैं नहीं बैठूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इतने सप्लीमेन्ट्री पूछे गये हैं, जवाब तक नहीं देते हैं।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक मद्यनिषेध के सम्बन्ध में ऐसी नीति रही है कि जिन क्षेत्रों को ड्राई एरिया घोषित किया गया है वहां पर एक या दो ऐसी रिटेल की दुकानें होती हैं और चिकित्सा अधिकारी की सलाह के बाद ही शराब का परमिट दिया जाता है। अगर माननीय सदस्यों का ऐसा विचार है कि परमिट नहीं दिये जायं तो इस पर आप सभी सदस्यों के साथ बैठकर विचार किया जायगा और नई मद्यनिषेध नीति निर्धारित की जायगी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या विदेशी शराब बड़े लोगों के लिये है और देशी शराब...

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर थाने के पास में अवैध शराब बनती है, उसका मन्त्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री आदित्येन्द्र : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ब्यावर थाने के पचास गज के फासले पर शराब बनाई जा रही है। वहां ऐसे लोगों की बस्ती है जो शराब बनाते हैं। इस बात की जानकारी मुझको नहीं है। लेकिन जैसी कि जानकारी दी गई है इसकी पूरी जानकारी की जायगी।

श्री उगमराज मेहता : इसके बारे में मैंने आपको लिखा एवं जानकारी दी।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शराब के बारे में क्वेश्चन दुबारा न पूछें। इससे कितनी उत्तेजना होती है इसका अन्दाज लग गया।

एक माननीय सदस्य : बिना पिये ही।

नेक्स्ट।

श्री भैरवलाल कालाबादल।

खानपुर अकलेरा सड़कों के लिए स्वीकृत राशि

44. **श्री भैरवलाल कालाबादल** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खानपुर से अकलेरा सड़क को पक्का कराने के लिये कितनी-कितनी राशि कब कब स्वीकृत की गई थी ? उक्त राशि में से कितनी खर्च की गई और सड़क कितनी बनकर तैयार हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि खानपुर से अकलेरा, कनवास से खानपुर, सांगोद से खानपुर सभी सड़कें कच्ची पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो सड़कों को पक्का कराने की

(श्री भैरवलाल कालाबादल)
और इन 30 वर्षों में राज्य सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया ?

(3) क्या वर्तमान राज्य सरकार इन सड़कों को शीघ्र पक्का करने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जयनारायण पूनिया) :

(1) खानपुर से अकलेरा सड़क, जो 39 किलोमीटर लम्बी है, के लिए सन् 1961 में 6.75 लाख रुपयों व 1976-77 में 3 लाख रुपयों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी और अब तक 8,52,107 रुपये खर्च हो चुके हैं।

(2) जी नहीं। सभी सड़कें कच्ची नहीं हैं। इन सड़कों का कुछ भाग मेटल्ड रोड है, कुछ भागों में डामर की हुई है तथा कुछ हिस्से फेयर वेदर रोड (कच्चे भाग) हैं। धनाभाव के कारण अब तक इन्हें पूर्णतया पक्का नहीं कराया जा सका है।

(3) जी नहीं। सीमित आर्थिक साधनों के कारण इस वर्ष इन्हें पूरा कराना सम्भव नहीं है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, जब सड़कों के मन्त्री मास्टर भोला नाथ जी थे उस समय से लेकर तीस साल हो गये अभी तक इस इलाके की सड़कें नहीं बन सकी हैं। मन्त्री महोदय ने कह दिया कि पक्की सड़कें बन गई हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि खानपुर में कितनी कच्ची सड़कों और कितनी पक्की सड़कों का काम हुआ ?

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों में पी. डब्ल्यू. डी. सड़कों का कार्य नहीं ले रहा है। कहते हैं कि पहले मिट्टी का काम होगा। क्या आपका विभाग सड़कों के लिए सुविधा देने का विचार रखता है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में जो सरकार की नीति है, मन्त्री महोदय ने वह बता दी है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब चुनाव लड़ा था तो जनता को मैंने यह कहा था कि अगर यहां की सड़कें नहीं बनीं तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। तो, क्या मन्त्री महोदय यह चाहते हैं कि मैं त्याग पत्र दे दूं ?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : जनता सरकार के सदस्य ने माना है कि चुनाव में वोटर्स को आश्वासन देकर जीते हैं। यह करप्ट प्रेक्टिस है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री खेतसिंह राठौड़।

(व्यवधान)

श्री भैरवलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया है।

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।

Page No 13

श्री उपाध्यक्ष : आप समझने का प्रयत्न करें, जवाब आ चुका है। माननीय सदस्य, आप विराज जाइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मुझे समय का सदुपयोग करना है।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने पांच हजार और उससे बड़ी आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने.........

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अगर कालाबादल जी ने कह दिया तो इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री भैरवलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत गम्भीर प्रश्न है। जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि काम नहीं करें, तो जनता वापस बुला ले।

श्री मूलचन्द डागा : यह थोथी घोषणा है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : यह सही घोषणा है, जनता ने यह...

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अगर यह घोषणा सही है, तो...

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, काम नहीं होता है, तो मन्त्रीजी को त्याग-पत्र देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराज जाइये। तभी बोलिये जब मैं इजाजत दूं। जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए।

श्री बालचन्द्र आर्य : हम भी बोलेंगे। हमें टाइम क्यों नहीं दिया जाता? कल माननीय नवनीतजी से कहा कि हमारा नाम क्यों नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आपको यह पता नहीं कि उपाध्यक्ष महोदय के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको जबरदस्ती उठाकर ले जायेंगे।

श्री भैरवलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है कि पहले भी मैं सत्ता पक्ष में बैठता था और थोड़े दिन हुए फिर मैं सत्ता पक्ष में आ गया हूं, परन्तु फिर भी वहां पर काम नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका काम होगा, आप अच्छे वर्कर हैं मैं स्वयं आपको सर्टिफिकेट दूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह खुदकशी कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : 309 का मुकदमा कर दीजिये।

श्री जयनारायण पूनिया : सड़कों के बारे में हर एक जगह से मांग आ रही है, तो प्राथमिकता के आधार पर काम कराया जायेगा। हरएक माननीय सदस्य यह कहते हैं कि मेरे यहां कुछ काम नहीं हुआ है। माननीय सदस्य, जिन्होंने प्रश्न किया है कि वहां पर कोई सड़क नहीं है, से मैं निवेदन करूंगा कि खानपुर से अकलेरा 49 किलोमीटर की मेटल्ड रोड है और कनवास से खानपुर भी मेटल्ड रोड है, सांगोद से खानपुर 36 किलोमीटर की मेटल्ड रोड है। इस तरह से तीन सड़कें बनी हुई हैं। अगर फिर भी कोई काम बाकी होगा, तो हम विचार करेंगे और हो सका तो उसे जल्दी ही ले लेंगे।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया कि सड़कें पक्की बनी हुई हैं। वहां पर कोई पक्की सड़क नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। आपका मामला बहुत लम्बा है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मन्त्री महोदय खुद चलकर देख लें कि कौनसी सड़क पक्की बनी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री खेतसिंह राठौड़ !

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मूल प्रश्नकर्ता के अलावा किसी ने सप्लीमेंट्री नहीं पूछा है। मेरा निवेदन है कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है…

श्री कौशल किशोर जैन : पहला अवसर मुझे मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्धित माननीय सदस्य ने पूछ लिया है। अगर हर प्रश्न पर इतने सप्लीमेंट्रीज होंगे, तो बाकी के प्रश्न पूरे नहीं होंगे। आप दूसरे माननीय सदस्यों के अधिकारों की तरफ भी देखें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये मुझे…..

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हो गया है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, उसके बारे में वह कहते हैं कि सड़कें नहीं हैं और माननीय मन्त्रीजी कहते हैं कि सड़कें हैं…

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। अगर उनका जवाब गलत है तो वह मोशन मूव कर सकते हैं।

नेक्स्ट। श्री खेतसिंह !

पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने की योजना

45. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य में पंचायतों को और अधिक पावर्स अर्थात् शक्तियां दी जाने की राज्य सरकार की योजना है ?

(2) राज्य में पचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(3) राज्य में पंचायतों में सचिव किस प्रकार और कब दिये जायेंगे ?

(4) राज्य की पंचायत समितियों में विकास अधिकारी आर. ए. एस. लगाने की क्या राज्य सरकार की योजना है ?

(5) राज्य में जिला परिषद् के गठन व कार्य में राज्य सरकार द्वारा क्या परिवर्तन लाये जा रहे हैं ?

पंचायत मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां ।

(2) राज्य सरकार ने सन् 1971 की जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति 2.50 रुपये के हिसाब से प्रत्येक पंचायत को वार्षिक अनुदान देने का निर्णय लिया है। अन्य योजनायें अभी विचाराधीन हैं।

(3) 17 कृषि प्रधान जिलों की ग्राम पंचायतों के लिये 1660 ग्रुप सचिव लगाने का निर्णय लिया गया था जिसमें से 1470 ग्रुप सचिवों को लगाया जा चुका है। शेष सचिवों को लगाने के लिये राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियम के 17 ए. के प्रावधानों के अनुसार चयन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। अन्य जिलों की ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों को पदेन पंचायत सचिव लगा दिया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) अभी इस बारे में राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय मन्त्रीजी ने अपने उत्तर के अंश (1) में कहा है, 'जी हां।' तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्या क्या शक्तियां देने की योजना बनाई हैं ? वह सदन को बतायें।

श्री कैलाश मेघवाल : इस विषय पर परसों ही मुख्य मन्त्री जी ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुये घोषणा की थी कि अशोक मेहता समिति सारे देश में युनिफार्म पंचायत राज्य व्यवस्था लाने के लिये निर्मित की गई है। उस समिति की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं और उसके आते ही निर्णय लिया जायेगा। राज्य सरकार के भी जो सुझाव हैं, वह अशोक मेहता समिति को दिये जा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : राज्य सरकार ने समिति को क्या सुझाव भेजे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मन्त्री महोदय ने मुझे और सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। आपने कहा है 'जी हां'। और अब कहते हैं कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के आने के बाद ही विचार करेंगे। तो आपने जवाब ऐसे ही दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी एक तरह की योजना ही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरा सवाल मेरा यह है कि आप पटवारियों, ग्राम सेवकों और अध्यापकों को क्यों नहीं पंचायतों के कन्ट्रोल में दे देते हैं, जिससे वहां की अधिकांश समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाये ?

तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के चुनाव कराने की आपकी कोई योजना है ? यदि हां, तो निश्चित रूप से कहिये कि हम पंचायत समितियों के चुनाव करवायेंगे। कानून पहले

Page No 16

(16)

(श्री खेतसिंह राठौड़)
ही बना हुआ है, उसके तहत पंचायत समितियों के चुनाव हो सकते हैं, और उन चुनावों के बाद जिला परिषदों के चुनाव होंगे। जब आपने पंचायतों के चुनाव करा दिये, तो अब पंचायत समितियों के चुनाव भी करवा दें, वरना आपको मुसीबत उठानी पड़ेगी।

(व्यवधान)

इसलिये मेरा निवेदन कि पंचायत समितियों के चुनावों की घोषणा निश्चित तौर से कर दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र !

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फर्माया कि अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही वह अधिकार देंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अशोक मेहता समिति की प्रश्नावली हमें आज सुबह ही मिली है। अगर इस तरह से काम चलता रहा, तो, 'खाक हो जायेंगे हम, तुमको खबर होने तक।' इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अभी जो मौजूदा सैट अप है, उसके अन्तर्गत ही जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास जो प्रश्नावली आई है, उसको आप जल्दी ही भर कर भेज दें।

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब तक आने की सम्भावना है ?

श्री खेतसिंह राठौड : तो हम यह समझें कि साल भर तो पंचायतें ही रहेंगी और आगे का कोई ढांचा नहीं रहेगा ?

आपने अपने उत्तर में कहा है कि पंचायतों को अधिक शक्तियां देने पर आप विचार कर रहे हैं। तो, क्या आप पंचायतों को आबादी भूमि वगैरह अलाट करने का अधिकार देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनका उत्तर आने दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : कुछ पूरक प्रश्न सरकार की नीति से सम्बन्धित हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया मुख्य मंत्रीजी ने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि हम फिलहाल पंचायतों का चुनाव करा रहे हैं, और पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव बाद में करायेंगे। पहले यह तय हो जाये कि टू टायर सिस्टम रखना है या थ्री टायर सिस्टम रखना है। उसके लिये अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट का इन्तजार करेंगे।

मेजर श्री फतहसिंह : कब तक ?

श्री खेतसिंह राठौड : यह भी स्पष्ट रूप से बता दें।

एक माननीय सदस्य : टू टायर कोच है रेलगाड़ी का।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आप तो 13 साल तक बैठे रहे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह चुनाव क्या हुए, मखौल हो गया। हो हो हो।

श्री मदनसिंह दांता : पंचायत समितियों के चुनाव नहीं होंगे तो क्या···

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी, यह सदन के सामने मैं कह नहीं सकता। यह केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति है। इस मामले पर देश व्यापी विचार हो रहा है।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : कोई संकेत है क्या केन्द्र सरकार से कि कब तक आ जायेगी ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पंचायत राज तो स्टेट सब्जेक्ट है। राज्य सरकार को केन्द्र सरकार बाध्य नहीं कर सकती।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री खेतसिंह राठौड : मेरी निश्चित मान्यता है कि अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट एक साल तक नहीं आ सकती।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : एक साल में क्या दो साल में भी नहीं आयेगी।

श्री मदनसिंह दांता : अगर आपने बाद में यह निर्णय ले लिया कि टू टायर सिस्टम ही रखेंगे या थ्री टायर सिस्टम रखेंगे तो फिर क्या हालत होगी ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें, स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्री जी जवाब देने खड़े हुए हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने···

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : हम तो यह स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं कि यह अशोक मेहता की रिपोर्ट कब तक आयेगी ? आप इस बात को सदन में स्पष्ट करें।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। अगर आप सब इस तरह बोलते रहेंगे, तो आपका उत्तर पर्याप्त नहीं आ पायेगा। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी आपको अपने उत्तर से पूर्ण जानकारी नहीं दे पायेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह उत्तर पर्याप्त नहीं है। इन्होने ऐसा उत्तर दिया है कि जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वक्त यह प्रश्न हाउस में

(18)

(श्री खेतसिंह राठौड़)
आया तो मुख्य मन्त्रीजी यहां से जानबूझ कर बाहर खिसक गये। वह यह जानते थे कि प्रश्न पर सदन के सभी माननीय सदस्य पूरी जानकारी चाहेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप विराजिये, रामकृष्णदास जी। आप विराजिये, भटनागर साहब। आप विराजिये, वर्माजी। आप नहीं बोलें।

श्री एच. एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि···

श्री उपाध्यक्ष : शर्माजी, आप भी विराजिये। मन्त्री जी आप बोलें।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पष्ट सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है। अभी राज्य सरकार ने चार-पांच पंचायतों में एक ग्रुप सचिव नियुक्त करने का फैसला किया। लेकिन ग्रुप सचिव मिल नहीं पा रहे हैं। उसके लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजिये। कौशल किशोर जी, आप मेरे चैम्बर में आकर बात करें। सदन का समय नष्ट नहीं करें। कृपया विराजिये।

श्री कौशल किशोर जैन : मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य। इस तरह आप कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कृपया आप सभी लोग शान्त रह कर मुझे सहयोग दीजिये। आप बोलिये, रामकृष्णदास गुप्ता जी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह एक ही सवाल है कि यह पंचायत एक्ट राजस्थान विधान सभा द्वारा पास किया हुआ है इस कानून की पालना करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। इस पंचायत एक्ट की पालना राज्य सरकार ने नहीं की। केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी पंचायतों में क्या व्यवस्था हो उसके लिये अशोक मेहता कमेटी के नाम से बना दी। उसके बनने से हमारे यहां पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुए। तो क्या ऐसा करके केन्द्रीय सरकार ने हमारी प्रान्तीय आटोनोमी में हस्तक्षेप नहीं किया ? क्या केन्द्रीय सरकार ने हमारी राज्य सरकार की पावर्स में इन्टरफियरेन्स नहीं किया ? क्या सरकार ने ऐसा करके इस हाउस के बनाये हुए कानून की पालना नहीं करके हाउस के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया है ? इससे क्या हम यह नहीं सोच सकते कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों को कम कर रही है ? दूसरा सवाल मेरा यह है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेयर के प्रति पूरा आदर करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने इन्टरफियरेन्स किया है।

(व्यवधान)

Page No 19

(१९)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, आप विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या राज्य सरकार के अधिकारों का हनन केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, गुप्ताजी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के द्वारा कानून पास किया गया था, यह एक्ट बना। बाद में उसकी क्रियान्विति नहीं करने देकर केन्द्रीय सरकार हमारी सरकार की स्वतन्त्रता को समाप्त कर रही है। उसी का यह नतीजा है कि केन्द्रीय सरकार के खिलाफ में बगावत बंगाल और केरल की सरकारें भी कर रही हैं। क्योंकि केन्द्रीय सरकार उनकी आटोनोमी में इन्टरफियरेन्स करती है इसलिये ज्यादा अधिकारों की मांग राज्य सरकारें कर रही हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य। रामकृष्णदास जी, आप विराजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, श्री राम कृष्ण दास गुप्ता के भाषण का एक भी अंश अंकित नहीं हो। Not to be recorded

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : ×××

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके भाषण का कोई भी अंश अंकित नहीं किया जा रहा है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ×××

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। मैं कह रहा हूँ आपका भाषण अंकित नहीं किया जा रहा है। अगर आप इस तरह से बीच बीच में बोलते रहेंगे तो मैं समझता हूँ सदन की कार्यवाही किस तरह से चल सकेगी ? माननीय गुप्ताजी, मुझे आपको अब चेतावनी देनी पड़ेगी अब आप अगर बन्द नहीं हुए तो।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शान्त रहें, कृपया विराजिये। आसन पैरों पर खड़ा है।

श्री रावत राम (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अशोक मेहता कमेटी पंचायतों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी गई है यह अगर यह रिकमन्डेशन दे दे कि पंचायत समितियों के चुनाव नहीं कराये जायं तो मैं समझता हूं यह सभी चुनाव गलत हो जायेंगे। यह तो स्पष्ट किया जाय कि यह अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट कब तक दे देगी ? दूसरे यह स्पष्ट उत्तर आना चाहिये कि पंचायत समितियों के चुनाव होंगे या नहीं ? इसके अलावा मैं यह भी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पिछली बार राज्य सरकार ने पंचायती राज के बारे में एक हाई पावर कमेटी बनायी थी जो कि पंचायती राज के बारे में अपने सुझाव दे। उस कमेटी ने अपने सुझाव भी दिये थे। इस सदन

××× उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 20

(20)

(श्री रावतराम)
के कई माननीय सदस्य भी उस कमेटी के सदस्य थे। उसने अपनी रिपोर्ट भी दी। उस रिपोर्ट में जो सुझाव दिये गये थे उन पर भी क्या जनता पार्टी की सरकार विचार करेगी ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेंट्री सवाल पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। पहले माननीय सदस्य, मथुरादास जी माथुर बोल लें उसके बाद में आप बोलें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले से खड़ा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मथुरा दासजी माथुर इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले से खड़ा हूं। मैंने बीच-बीच में तीन बार सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछे हैं। मेरा जवाब नहीं आया। सदस्य सदस्य सभी एक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सदस्य सदस्य में क्या फर्क है ?

श्री उपाध्यक्ष : सदस्यों में फर्क है, वह वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सभी जानते हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी फौज को तो सम्भालें।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य रामकृष्ण दास जी, वर्माजी आप विराजिये। गुप्ताजी, पहले मेरे से इजाजत लीजिये, फिर बोलिये। जब तक आप मेरे से इजाजत नहीं लेंगे तब तक मैं आपको नहीं बोलने दूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, विराजिये। वर्माजी, रामेश्वरजी, गुप्ता जी आप विराजिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पहले बोलने क्यों नहीं दिया गया जब कि मैं पहले से खड़ा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से माननीय सदस्य बोलते रहे तो यह हाउस किस तरह से चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया शान्त रहें। आप विराजिये।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसा तरीका है बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक डिबेट में पहले या बाद में बोलने देने का निर्णय देने का काम है, वह आसन का है। मैं किसको पहले बोलने की इजाजत दूं, इसमें मुझे कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अगर पहले माथुर साहब को बोलने की इजाजत दे दी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं की। इसमें आपको नाराज नहीं होना चाहिये। मेरी इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं आपको भी बोलने का अवश्य समय दूंगा। लेकिन अगर माथुर साहब पहले बोल लेते हैं तो इसमें आपके अधिकारों का कहां हनन हो गया।

(व्यवधान)

मैं माननीय श्री मथुरादास जी माथुर से निवेदन करूंगा कि वह पहले नहीं बोलें। पहले आप बोल लें।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर दूसरे माननीय सदस्य नहीं बोलने दे रहे हैं तो मेरा दोष नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आप विधायक होकर अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : हमें अनुशासन सिखाने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले रामेश्वर जी बोल लें क्योंकि वह बड़े उत्सुक हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण अंकित न करने का आपने आदेश दे दिया और सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं उनको आपने बोलने के लिए कह दिया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपकी आपत्ति नहीं सुनूंगा।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : जनता सरकार को अल्पमत की बात सुननी चाहिए।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि यादव साहब कुछ कहें मैं निवेदन कर दूं कि अगर इस तरह से होता रहा, तो सदन की कार्यवाही कैसे चल पायेगी ?

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पहले मौका दे दिया जाय। इसमें क्या आपत्ति है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल जी, आप बोलें।

(22)

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : मुझे आपत्ति है। चेयर की ओर से रूलिंग होनी चाहिए, न कि चीफ व्हिप की ओर से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया विराजिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : चीफ व्हिप कभी सदस्यों के हाथ जोड़ते हैं और कभी आकर उनको बैठाते हैं।

श्री एच एन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल जी, आप कहें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने और माननीय सदस्य श्री मेजर साहब ने बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था लेकिन उसका स्पेसिफिक जवाब नहीं आया इसलिए मैं पुन: दोहराना चाहता हूँ कि जब पंचायतों को विशेष अधिकार देने की बात है और आबादी भूमि वापस करने की बात है..

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न काल का समय बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सवाल उठाया गया। मैं सबका जवाब देने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की नीति पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बारे में बहुत स्पष्ट है। उन्होंने जो कयास निकाला कि मुख्य मंत्री जी यह प्रश्न आने से पहले ही चले गये, यह गलत है। मैं तो उस भाषण का हवाला दे रहा था जो कि यहां सदन के अन्दर दिया गया था। हम किसी दुराग्रह को लेकर नहीं चल रहे हैं। यह चुनाव हमें कराने हैं...

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो कब करायेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : सुन तो लीजिए।

(व्यवधान)

इस सदन का समय इस तरह से बरबाद किया जाता है। मेरा पूरा जवाब सुन लिया जाता, तो प्रश्न खड़े नहीं होते। इस तरह से फालतू बीच में टोकने से कार्यवाही चलेगी ?

(व्यवधान)

मैं पूरक प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं और इस तरह से बीच में टोका जाता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए। जब वह उत्तर दे रहे हैं तो बीच में नहीं बोले।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधा घण्टा लड़ाई करने के बाद आपने सरेण्डर कर दिया और इन्होंने सरेण्डर कर दिया, फिर यह क्या तमाशा है ? हम सब ने

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
सरेण्डर कर दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने सरेण्डर कर दिया फिर उनके सवाल का स्पेसिफिक जवाब क्यों नहीं आता ?

श्री उपाध्यक्ष : अगर बीच में माननीय सदस्य कुछ सुझाव भी दे देते हैं, तो बाधा ही पहुंचती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि जो भी उत्तर दें संक्षेप में दें और स्पष्ट दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और उत्तेजित न हों। आप मंत्री हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं जवाब दे रहा हूं, मैं पहले भी दे रहा था और जो राज्य सरकार की नीति है वह स्पष्ट करना चाहता था लेकिन कुछ विधायकों ने ठेका ले रखा है कि वह टोकाटाकी करें ताकि सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ठेके की क्या बात हो रही है ? यह ठेका आपने नहीं लिया ?

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : ठेका शब्द को कार्यवाही से निकाला जाये।

(व्यवधान)

ठेका शब्द का प्रयोग अशोभनीय है और अनपार्लियामेंट्री है। इसको कार्यवाही से अलग किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुझाव दिया है मैं इस पर गौर करूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि आप माननीय मंत्री जी से कहें कि संयमित भाषा का प्रयोग करें। हमें अधिकार है प्रश्न पूछने का। यह ठेके की बात नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रश्न यह है कि हमको सदन की कार्यवाही किस तरह से चलानी है। मैं अपना जवाब दे रहा था। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हो सकता है माननीय सदस्य बहुत होशियार हों और मैं अपने को कमजोर पाता हूं. . . .

(व्यवधान)

फिर टोकाटाकी हो रही है।

श्री मदनसिंह दांता : We don't want to hear this word. You sit down.

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ कहा जाये तो आसन के माध्यम से कहा जाये इस तरह से सीधे नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : हम 'ठेकेदारी' शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। आपकी तरह कहूंगा, बैठ जाये। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय अच्छे ढंग से बात करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराने में राज्य सरकार को कोई दुराग्रह नहीं है। श्री अशोक मेहता से निवेदन किया जा सकता है कि वे अन्तरिम रिपोर्ट दें। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं रिपोर्ट के आने के बाद, इस सदन की राय के अनुसार पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराये जा सकते हैं। इस मामले में राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। केवल एक छोटा सा

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रश्न है यूनिफार्म सिस्टम का। हम यह चाहते हैं कि देश में एक पैटर्न बने। अशोक मेहता के कौन-कौन से इम्पार्टेंट सुझाव होंगे, कौन-कौन से अधिकार देना चाहते है, कौन-कौन से आर्थिक अधिकार देना चाहते हैं उस आधार पर सारे राष्ट्र के अन्दर एक पैटर्न का निर्माण करना चाहते हैं, राज्य सरकार इस दृष्टि से विलम्ब करना चाहती है लेकिन इन्डेफिनेटली, बहुत लम्बे समय तक राज्य सरकार कतई इसको विचाराधीन नहीं रखेगी। पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अगर विलम्ब होता देखा तो अन्तरिम रिपोर्ट के लिये निवेदन करेंगे और अशोक मेहता से व्यक्तिगत चर्चा करेंगे....

श्री श्योपत सिंह मकासर: व्यक्तिगत चर्चा का सवाल नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में बाधा न डालें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी खण्डेला से आने वाले माननीय विधायक ने एक सवाल उठाया। मैं आपके द्वारा सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे और कहा था कि चुनाव हो जायेंगे तब तत्कालीन सरपंचों के अधिकारों की बात चर्चा में आई थी। तत्कालीन सरपंचों ने अधिकारों का दुरुपयोग करना प्रारम्भ कर दिया था। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें आई थीं। उस आधार पर कानून के अनुसार राज्य सरकार को जो अधिकार दिये हुए हैं, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए आबादी भूमि की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। मैं स्पष्ट कर देता हूं इस सरकार ने नहीं, तत्कालीन सरकार ने ही इस अधिकार का उपयोग किया था। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जो आबादी भूमि के वितरण अधिकार हैं, वह विचार करके दिये जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : एक सीधा प्रश्न है। मंत्री महोदय, मैं आपको उत्तेजना नहीं दिलाना चाहता हूं, आप चाहे अशोक मेहता से सलाह करें, चाहे और किसी मेहता से सलाह करें। अशोक मेहता कमेटी इस सदन ने नहीं बनाई, न राज्य सरकार ने बनाई है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सदन यह नहीं जानना चाहता कि मेहता कमेटी क्या है, कब इसकी रिपोर्ट आयेगी? हमारा प्रश्न सीधा है, आपने पंचायतों के चुनाव कराये, इसके लिये धन्यवाद। अब पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव किस साल करें, यह आपके सोचने की बात है। हम मेहता कमेटी को रिकगनाइज नहीं करते, हम उसका इन्तजार नहीं करेंगे। आप पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कब करा देंगे? डेफीनेट महीना, तिथि बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने आश्वासन दे दिया है, शीघ्र ही करवा देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने कहा है, मेहता कमेटी की रिपोर्ट आने पर करा देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Question hour is closed. प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट देखें)

(व्यवधान)

प्रश्न काल समाप्त कर दिया है, दूसरी चर्चा।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में सदस्यों के साथ समान व्यवहार

श्री गुल मोहम्मद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी यह कहा था कि माननीय सदस्यों में फर्क है। इसका अभी आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं मिला कि माननीय सदस्यों में क्या फर्क है? मैं जानना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको यह बतलायें कि माननीय सदस्यों में किस किस प्रकार का क्या क्या फर्क है ? अगर कोई फर्क नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि इन शब्दों को आज की सदन की कार्यवाही से हटाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठा रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपको समय दूंगा, आप बिराजिये।

मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर अस्वीकृति

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : कल जब सदन की मीटिंग चल रही थी तब 6 से 7 बजे का समय सदन की राय से बढ़ाया गया। उसके बाद सरकारी चीफ व्हिप की ओर से 7 बजे आधे घन्टे का समय और बढ़ाने की मांग की गई। परन्तु सदन की राय जानने के बाद उस समय जो आसन ग्रहण कर रहे थे माननीय सभापति महोदय उन्होंने सदन की राय जाहिर की "यह प्रस्ताव ड्राप करते हैं" सदन की राय इसमें नहीं है। यह महत्वपूर्ण सवाल इसलिये है कि इस सदन में पहली बार सरकारी पक्ष की ओर से आने वाला प्रस्ताव फैल हुआ है।

श्री नवनीत कुमार पालीवाल : यह फेल नहीं हुआ था।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : No interference

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : यह हमारी आपसी बात थी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने बात खत्म नहीं की है। मैं शांति से बात कह रहा था मैंने कहा No interference. इस सदन के अन्दर चाहे सत्तापक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों या हम जैसे बीच वाले हों अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो यह सदन की गरिमा पर आघात होगा और लोकतन्त्र के अधिकार का हनन होगा। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर ऐसी व्यवस्था करें...

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानता हूं। आप बिराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह रूल में प्रावधान है। मैं आगे कहने वाला हूं, मुझे पूरी बात तो कहने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुख्य बात कहें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में और हाउस के अन्दर

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
हमारे नेता ने कई बार कहा है कि हम स्वस्थ परम्पराओं को निभाने और स्थापित करने आये हैं, तो यह स्वस्थ परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। सरकार के चीफ व्हिप का प्रस्ताव कल पास नहीं हुआ तो कम से कम वे अपने पद से त्याग-पत्र दे दें···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा आपको कि···

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ऐसा व्यक्ति, जिसको सरकार के कोष और सरकारी बजट से सुविधाएं मिलती हैं, अपने प्रस्ताव को प्रेस नहीं करा सके तो इसका मतलब यह है कि उसने अपनी ड्यूटीज, अपना काम सही ढंग से नहीं किया और एक प्रकार से तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की। वह फेल हो गया। इन्दिरा की तानाशाही तो खतम हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आपकी बात मैंने सुन ली है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जनता पार्टी और सदन के नेता ने ही स्वस्थ परम्परा बनाने की जिम्मेदारी नहीं ली है, हमारी भी जिम्मेदारी है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आपका उपदेश सुन लिया।

श्री गुल मोहम्मद : यह गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? कल कोई इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्यों सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप मेरी बात को गम्भीरता से लेकर नियमानुसार कार्यवाही करें।

सदन में चर्चा के समय पालनीय नियम

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप उसको गम्भीरता से लें। माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यगण जो बैठे हुए हैं वह भी उसको गम्भीरता से लें। जिस प्रकार की परम्परा इस सदन में तीन दिन से चल रही है उसको सही प्रकार से, सही रूप में देखा जाय तो वह परम्परा खराब और बेढंगा रूप पकड़ रही है। इस पर हर व्यक्ति को थोड़ा सोचना पड़ेगा। और यदि इस तरह से नहीं सोचेंगे, तो स्थिति खराब हो जायगी। इस तरह से छोटी छोटी बातों में आधा-आधा घंटा मैम्बर्स का टाइम लेकर मखौल और मजाक और बातचीत में बिता देते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री रामकरण सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बोलने नहीं देते हैं। कोई सजेशन देना चाहें तो सुनते नहीं हैं। बड़ा खिलवाड़ हो रहा है सब बातों में। आखिर आप क्या चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की बड़ी स्वस्थ परम्पराएं रही हैं। सदन की गरिमा पिछले 30 वर्षों से रही है उसको देखते हुए पिछले दिनों के अनुभवों के आधार पर आप इस तरह की

(श्री रामकरण सिंह)
व्यवस्था करें कि इस तरह की बातें आगे नहीं हों। अगर आप इन्हें होने देते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपस में बैठे बैठे खींचतान न हो जाय। कल ही एक बात ऐसी आई जो कि सदस्य के रूप में नहीं आई बल्कि व्यक्तिगत रूप में पैदा हुई थी। यह भी हो सकता था कि माननीय सदस्य आपस में एकदम से भिड़ भी जाते। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बात को गम्भीरता से लें ताकि आगे चलकर यह गम्भीर रूप न ले ले। पहले आप सोच लें और फिर अपनी रूलिंग दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं मैं चाहूंगा कि इस तरह के समान विचार के लोग कम से कम चेम्बर में मिल लें। किस प्रकार से व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है उसके बारे में ठीक ढंग से वहां सोचें। इसके बारे में मेरा दुराग्रह नहीं है और न कमिटेड व्यूज है। मैं माननीय सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं, इस सुझाव को गम्भीरता से लें। इस बारे में जो भी समस्या है, मेरा माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि उसमें सहयोग करें। जो कुछ हुआ है वह शोभनीय नहीं कहा जा सकता है। इसके बारे में जो भी सुझाव हों वह अध्यक्ष महोदय को दे दें या मुझे देना चाहें तो मुझे दे दें। मैं उनको पेश कर दूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय मामलात) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। सदन के नेता, मुख्य विपक्षी दल के नेता और अन्य विपक्षी दल के नेताओं को बुलाकर अध्यक्ष महोदय इस संबंध में विचार कर लें। निश्चित रूप से यह बहुत शोभनीय स्थिति नहीं है कि हम लोग यहां पर इस प्रकार का प्रदर्शन करें....

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि....

श्री मूलचन्द डागा : क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी: मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स से निवेदन करूंगा कि जहां तक प्रश्न व्यवस्था और अव्यवस्था का है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स से अनुरोध करें कि रिप्लाई देते वक्त ठीक ढंग से रिप्लाई दें, तथ्य दें और टालमटोल न करें। इस तरफ से जो प्रश्न किये जाते हैं उनका उत्तर देते समय उनको टालें नहीं, गम्भीरता से प्रश्नों का उत्तर दें। यह नहीं होना चाहिये कि उत्तर देते जा रहे हैं और मुस्कराते जा रहे हैं। हम गम्भीरता से प्रश्न करते हैं तो हंस कर या मुस्करा कर टालें नहीं बल्कि जिम्मेदारी से जवाब दें। आप टाल देते हैं मुस्करा कर....

श्रीमती सुमित्रासिंह : दांत दिखा देते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कह सकती हैं, मैं यह नहीं कहता।

हम आपको सहयोग देना चाहते हैं। जो हक अपोजिशन का है और जो रोल अदा करना है, वह हम करना चाहते हैं और सहयोग देना चाहते हैं। जो इन्फार्मेशन हम लेना चाहते हैं वह जनहित में है। जनहित में जो इन्फार्मेशन है उसको आप छिपाना चाहते

(श्री रामनारायण चौधरी)

हैं और तथ्यों को छिपाना चाहते हैं वह नहीं होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : जिनके चेहरे पर सदा मुस्कराहट रहती है उनको...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इसमें कतई दिलचस्पी नहीं है कि किसी तथ्य को छिपाया जाय। निश्चित रूप से माननीय रामनारायण जी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और एक जिम्मेदार मन्त्री भी रह चुके हैं। उनका यह कहना सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिये नहीं है। बल्कि और कोई चीज शायद उनके दिमाग में है...

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : यही तो कारण है। आप हर बात को सीधे नहीं लेते हैं। यह कोई सही तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस पर वाद-विवाद करने की अनुमति नहीं दूंगा। जो भी इस पर आपके विचार हों वे माननीय अध्यक्ष को उनके चेम्बर में दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और अर्ज कर दूं कि इस प्रकार के आचरण का प्रदर्शन करने की चेष्टा करने वाले यहां प्रथम व्यक्ति वह थे जिन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस प्रकार की चेष्टा की, इन्टरप्शन करने की चेष्टा की। यह, क्रान्तिकारिता से सम्बन्धित नहीं है। निश्चित रूप से यह बहुत भिन्न चीज है। मैं निवेदन करूंगा कि गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करें। हम चाहते हैं सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले। हमारी तरफ से एक क्षण के लिये भी इस प्रकार का प्रयास नहीं रहा कि सदन से कोई स्थिति या तथ्य छिपाये जायं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा। हमारे पास कोई तथ्य ऐसे नहीं हैं जो कि छिपाये जायं लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक एक साथ 10-10 सदस्य पूछने लगते हैं...

(व्यवधान)

आप सुन लें। आप सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप पुराना रिकार्ड देखें। आप पढ़े-लिखे हैं तो उनको जवाब देते वक्त देख लें। आपका सिर्फ एक जवाब आता है कि भूतपूर्व सरकार ने ऐसा किया है। हर बात में यह कहते रहते हैं।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? बीच बीच में बोलने की जरूरत क्या है माननीय सदस्य को?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय जयकृष्ण जी बार बार उछल रहे हैं...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह भाषा अन-पार्लियामेन्ट्री है—उछल रहे हैं। इस पर मैं चाहूंगा व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस सदन को जो मैंने आपके द्वारा निवेदन किया है।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
आप उनको बुलाकर इस पर विचार करके सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था करें।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

मैंने बहुत सिन्सियरली निवेदन किया था आपके द्वारा कि हमें कोई संशय नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय कोई बात छिपाते हैं। लेकिन एक दूसरे पर विश्वास न होना और हम पर विश्वास न रखना, यह भी तो गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। चर्चा मत करिये।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : ये मानेंगे नहीं क्योंकि ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिस समस्या के समाधान के लिये यह चर्चा कर रहे हैं, उससे ज्यादा यह समस्या बढ़ रही है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह उचित नहीं है। आप हमें चेम्बर में बुला लीजिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : हम सबको चेम्बर में बुला लीजिये।

मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर अस्वीकृति

श्री शंकर लाल (जेतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम 292 में स्पष्ट है। अध्यक्ष के पास शक्ति है और अध्यक्ष महोदय उस शक्ति का उपयोग करें। सदन में वाद-विवाद होता रहता है लेकिन इसमें वाद-विवाद की बात नहीं है। जो जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय की है वह तो स्पष्ट है। यहां प्रश्न यह है कि जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय गुप्ता जी ने उठाया उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी। यह इसलिये रख रहा हूं कि माननीय पालीवाल जी गवर्नमेंट के चीफ व्हिप है, पार्टी के नहीं हैं-सरकारी चीफ व्हिप हैं। हाउस को चलाने की उनकी जो जिम्मेदारी है, उसका उन्होंने निर्वहन नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, उनको जो भत्ता और दूसरी सुविधायें मिलती हैं, वह इसीलिये मिलती हैं कि सरकार की तरफ से हाउस को ठीक तरह से चलाया जाय। हाउस में उनकी पार्टी का बहुमत भी है और बड़ा भारी बहुमत है लेकिन यह लगता है बहुमत उनके पक्ष में नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब उनको मोरल अधिकार नहीं है चीफ व्हिप रहने का। इसलिए आपको इस पर व्यवस्था देनी पड़ेगी। वास्तव में स्पष्ट बहुमत है फिर भी जो प्रस्ताव उन्होंने रखा, उसको स्वीकृत नहीं करवा सके। इसका मतलब है कि हाउस को वे ठीक प्रकार नहीं चला सकते हैं और सक्षम नहीं हैं। मैं माननीय गुप्ताजी की बात का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर आपको व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं? आप नियम संख्या बता सकते हैं, कौनसा नियम है?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इनहेरेन्ट पावर आफ दी हाउस।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे एनलाइटन करिये। नियम बताइये, जरूर मैं व्यवस्था दे सकूंगा। अब जो कार्य शेष रहा है उसे पूरा करें।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से महिला सदन जयपुर से 14 लड़कियां भाग गई हैं, इस विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी मिलने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री रामनारायण चौधरी तथा श्री शीशराम ओला, सदस्य विधान सभा की ओर से झुंझुनूं और सीकर जिले में खरीफ की फसल अतिवृष्टि तथा बीमारियों से नष्ट हो जाने और रबी की फसल सर्दियों की बरसात न होने से कमजोर हो जाने के विषय में।

इस प्रश्न पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान चर्चा उठाई जा चुकी है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री शीश राम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कहने दीजिये अभी—

(3) श्री श्योपत सिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान का अधिकतर भू-भाग अकालग्रस्त होने के बावजूद सहकारी विभाग व राजस्व विभाग की वसूलियां निरन्तर जारी है, इस विषय में।

इस प्रश्न को भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान उठा दिया गया है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : अभी शेष है, मुझे और कहना है।

(4) सर्व श्री खेत सिंह, रामसिंह (145) और रतना राम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में पंचायतों के चुनाव तो हो गए हैं, किन्तु पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुये हैं, इस विषय में।

यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। इस प्रश्न को भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान उठा लिया गया है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

One at a time. श्री मूलचन्द डागा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, आपने कृपा की है और मेरे स्थगन प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से जानकारी मांगी है। मैं दो चीजें चाहता हूं, जो 14 लड़कियां भाग गई हैं उनकी उम्र 14 से 18 के बीच है। उनके फरार होने के बाद कई घन्टे गुजर जाने के बाद एफ. आई. आर. दर्ज हुई और

(श्री मूलचन्द डागा)

बयान दर्ज किये, उसकी फाइल है, सारा रिकार्ड है। ये सारी बातें कल आनी चाहिये ताकि सदन में चर्चा हो सके। आप यह नहीं कह दें कि यह लोक महत्व का प्रश्न नहीं है। सारे राजस्थान को चिन्ता है इस घटना से। महिला सदन की लड़कियां भाग गईं इसका मतलब है आपका समाज कल्याण विभाग तथा पुलिस विभाग दोनों सतर्क नहीं रहे। उनकी सतर्कता न होने के कारण या किस प्रकार भाग गई इसकी पूरी डिटेल्स दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। यह बात आ चुकी है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आज तमाम अखबारों में हैड लाइन्स में खबर है, यह नारी जाति पर कलंक है, इसकी सूचना तुरन्त सदन को दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अगर यही विषय सभी माननीय सदस्य उठा रहे हैं, तो क्या सबको बोलने की इजाजत दी जाय?

श्री मोहम्मद जहूर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसका क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : उसके ऊपर जानकारी माँगी नहीं होगी, मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार को जानकारी देना चाहता हूं। सीकर और झुंझुनू जिले में अकाल से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। झुन्झुनू जिले में 709 गांव हैं और 709 के नौ ही गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं। आज वहां समस्या इस बात की है कि काश्तकारों और मजदूरों को, जो खेती करते थे, न मजदूरी मिलती है न वे अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकते हैं। काश्तकार के भरण-पोषण की बात तो अलग है, आज उनके छोटे-छोटे बच्चे और मवेशी भी भूखों मर रहे हैं। उनके मवेशियों के लिये कोई चारा नहीं है। आज हमारे पड़ौसी प्रान्तों में एक रुपये की दो किलो कड़बी मिलती है और हमारे यहां यह दो रुपये की एक किलो मिलती है। कहने का मतलब यह है जब अकालग्रस्त घोषित किया जाता है तो लगान सस्पेन्ड किया जाता है। लेकिन यहां लगान वसूल किया जा रहा है और जो दूसरे प्रकार की वसूलियां हैं, वे भी वसूल की गई हैं। आज स्थिति यह है कि न वहां किसी प्रकार का रोजगार है, न कोई काम धन्धा है। उनका लगान कुर्की से वसूल किया जा रहा है। जो खेतों पर निर्भर करते थे, उनके बच्चों के लिये पढ़ाई का साधन नहीं रहा है। उनके पास पढ़ाई के लिये पैसे नहीं रहे हैं, इस कारण उनके बच्चों को पढ़ाई भी छोड़नी पड़ रही है। उनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में वे भूख के शिकार हो रहे हैं। अब मार्च का महीना आ गया है इसलिये अकाल राहत कार्य झुंझुनू जिले में शीघ्र शुरू करवाये जाने चाहिये। आज काश्तकार और जो खेतीहर मजदूर हैं, उनके पास बच्चों को खिलाने पिलाने का

Page No 32

(32)

(श्री शीशराम ओला)
कोई साधन नहीं रहा है, वे भूखे सोते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि अविलम्ब वसूली रोकें, वसूली को तत्काल सस्पेन्ड करें और वहां अति शीघ्र अकाल राहत कार्य खोले जायें। यह सारी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। वरना झुंझुनूं सीकर में ऐसी स्थिति आने वाली है कि लोग भूख से मरने लगेंगे और सरकार के नाम पर कलंक लगेगा, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव का बड़ा महत्व है इसलिये इस पर चर्चा के लिए अनुमति देने की कृपा करें।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में आज सुबह ही काफी जल्दी मैंने कुछ और माननीय सदस्यों के हस्ताक्षरों सहित एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका रेफरेंस भी आपने नहीं दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको एडजोर्नमेंट मोशन देने का अधिकार ही नहीं है।

श्री गोपालसिंह : आपको कहने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका एडजोर्नमेंट मोशन लेट आया है इसलिए नहीं रख सके होंगे, कल रख देंगे। समय के बाद आया है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, कल ढाई तीन बजे के लगभग एक प्रस्ताव दिया था जो पुलिस द्वारा चालीस हजार रुपये की रिश्वत लेने के बारे में था। उसके बारे में कोई निर्णय नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : वह काल अटेंशन था उसके लिये जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में आप कार्यालय से, सेक्रेटेरियट से जानकारी कर लें।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मोशन बहुत इंपोर्टेंट था। उसकी जानकारी मिलनी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत इंपोर्टेन्ट सवाल था···

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री मदनसिंह दांता : एक महत्व का प्रश्न है वह आपकी···

श्री उपाध्यक्ष : पहले रामनारायणजी बोल लें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन···

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसके लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है। हमारे विधायक श्री बजरंगलालजी के यहां आज बहुत बड़ी चोरी हुई। उस सम्बन्ध में हम चाहते हैं···

श्री उपाध्यक्ष : होम मिनिस्टर साहब से मिल लें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह जनता पार्टी के विरोध में बोले तो चोरी हो गई। आज और कोई बोलेंगे तो उनके यहां भी चोरी हो जाएगी।

श्री रामनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने और श्री शीशरामजी ने एक सूचना स्थगन प्रस्ताव की आपको दी थी। आपने कृपा कर के उस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मान्यवर, राजस्थान का शेखावाटी का हिस्सा, जहां कि जन संख्या 21 लाख के करीब है, अकाल से भयंकर रूप से पीड़ित है। लोग भूख से मर रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं और लोग राजस्थान से हरियाणा और पंजाब की तरफ जा रहे हैं। लोगों की क्रय शक्ति खतम हो गई है। बच्चों को भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है। जो गर्भवती महिलायें हैं उनको पूरी खुराक नहीं मिल रही है। वृद्ध लोग पूरी खुराक नहीं मिलने के कारण मरने की स्थिति में हैं। भयंकर पीलिया रोग फैल रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी भयंकर स्थिति में इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर राज्य सरकार से स्थिति की जानकारी मंगायें। जैसा आपने जिक्र किया कि राज्यपाल महोदय के भाषण में जिक्र कर दिया गया है। मान्यवर, समय की कमी के कारण कोई भी माननीय सदस्य शेखावाटी के भयंकर अकाल के सम्बन्ध में खास तौर पर चर्चा नहीं कर सके हैं। वहां पर लगान वसूल हो रहा है, सरकारी बकाया वसूल हो रही है, काश्तकारों के मवेशी कुर्क किए जा रहे हैं, उनकी प्रोपर्टी नीलाम की जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप राज्य सरकार को कहें कि शेखावाटी के अन्दर लगान की वसूली रोक कर काश्तकारों को मदद दी जाय, काश्तकारों को फोडर दिलाया जाय, कन्सेशनल रेट पर फोडर दिलवाया जाय। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सरकार से तथ्य मंगाये जावें और शेखावाटी में जो भयंकर अकाल है, जो लोगों की हालत है, उस पर वक्तव्य दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि राजस्थान में बहुत से इलाकों में कुर्कियां की जा रही हैं अन्धा-धुन्ध तरीके से, सरकारी विभागों द्वारा, रेवेन्यू विभाग और दूसरे सहकारी विभाग द्वारा। आज उनका एक ही काम रह गया है कि गांव में घूम घूम कर गरीब लोगों की कुर्कियां की जायं। वह कुर्कियां किसी बड़े आदमियों की नहीं की जा रही हैं। अभी दो तीन दिन से हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और अन्त्योदय के नाम पर सत्ता पक्ष की ओर से इस बात की डींग हांकी जा रही है कि हमने 35 पर्सेंट का उदय कर दिया। कल ही हमारे एक मंत्री महोदय कह रहे थे कि अन्त के 35 पर्सेंट का हमने उदय कर दिया है। अभी वे मंत्री महोदय हैं नहीं यहां। मैं चाहूंगा कि आपकी अन्त्योदय की क्या हालत है उसके बारे में आपको बताऊं। अभी हाल ही में मैं अन्ता तहसील में गया था। कोटा जिले में अन्ता तहसील है, वहां के गांव वाले मुझे मिले और वहां के नाम बता रहा हूं कि क्या हालत है लोगों की। एक तरफ आप पेश कर रहे हैं कि हमने सारा का सारा उदय कर दिया अन्त का। और अब मैं सोच रहा हूं कि आप अन्त किसका कर रहे हैं? जिनका उदय हो रहा है उनका वापस अन्त कर रहे हैं। आपके सारे सरकारी अधिकारी उनका अन्त करने में लगे हैं। एक गांव है अन्ता तहसील में, उसका नाम है सौर खण्ड कलां। अन्ता तहसील के सौर खण्ड कलां गांव में

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

एक कल्याण नाम का गूजर है। उस गरीब ने पांच सौ रुपया कर्जा लिया। किसान कर्जा लौटाता है उसके पीछे एक बैकग्राउण्ड होता है कि वर्षा कैसी हुई, फसल कैसी हुई? पिछले साल फसल को कीड़े खा गये आपको पता है कि पिछली दफा हमारे यहां पर एक कीड़ा पैदा हुआ जो अधिकतर फसल चौपट कर गया। बीमारी की वजह से जो ज्यादा फैलता है, कातरा खा जाता है। तो पहले तो कातरा खा गया और बाकी जो घर में बरतन पड़े हैं उनको सरकारी अधिकारी कातरा बन कर खा रहे हैं। यह उस गूजर के यहां पर हुआ है। पांच सौ रुपये की कुर्की है जिसमें से 495) रुपये ब्याज और पांच रुपये कुर्की करने का खर्चा जो गांव में वसूल किया गया। आपके अधिकारी उसके घर गए और क्या क्या कुर्क किया यह आप नोट कर लें। एक एक रुपये के सात नोट···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : बिल्कुल संक्षेप में ही कह रहा हूं। सात नोट एक एक रुपये के कुर्क किए। पीतल की परात नग 3, गगरा पीतल 3, देगची पीतल-1, चरी पीतल नग 1, कांसे की थाली नग 5, थाली पीतल नग 2, लोटा पीतल नग 2, गिलास नग एक बड़ा व एक छोटा, तबला पीतल नग 1, कटोरा कांसा नग 1, गंगाजली नग 1, एक चांदी की तागली व एक जोड़ी चांदी के बिछुए। चांदी की बिछुए जो औरतें पहनती हैं। यह आपके अधिकारी ने कुर्की में ली हैं। दूसरा सुनें। वालाखेड़ा के अन्दर गोपाल खाती। यह भी अन्ता तहसील में ही है। उसकी गाड़ी के दो पहिए और चार पाइयां सौ रुपये की। वालाखेड़ा के ही बजरंगलाल, जो वहां का एक गरीब किसान है, के यहां पर जो हरा धनियां हुआ था उसको कुर्क कर लिया। सारी फसल कुर्क कर ली। तीसरा भी वालाखेड़ा का ही श्रवण हरिजन है जिसके कानों की मुरकी कुर्क की। जो आठ सौ रुपये की मुरकी थी उसको कुर्क की और तीन सौ रुपये में अन्ता में बेच कर रुपया जमा कर लिया। यह आपकी अन्त्योदय योजना है। बहुत लम्बे चौड़े भाषण दे रहे हैं तीन दिनों से कि बहुत अन्त्योदय हो गया। कैसा हो रहा है अन्त्योदय। क्या हालत है आपके अन्त्योदय की। आपको मालूम है कि पिछले साल बहुत कम फसल हुई, बहुत कम इलाकों में हुई और आपको मालूम है कि इस महीने में किसान के पास कहां रुपया होता है? हम इसको तेरहवां महीना कहते हैं। फसल की कटाई और फसल घर आने के बीच में किसान के पास पैसा नहीं होता है। इस महीने में न उसको कोई व्यापारी पैसा देता है न उसके पास पैसा होता है और न फसल होती है। आप ऐसे महीने में वसूली कर रहे हैं जिसका उदाहरण हमारे सामने पहले कभी आया। यह तो आपकी हालत है फिर आप किस बूते पर आ करके इन नीतियों का बखान कर रहे हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आप वसूली ही कर रहे हैं, तो वह भी गरीबों से वसूली कर रहे हैं, और कहीं आपको वसूली करना दिखाई नहीं दिया। राजस्थान में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे राज्य का करोड़ों रुपया हड़प रखा है, रेवेन्यू का दबा रखा है। आप यह तय कीजिये कि जिस पर

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
पांच रुपये से कम कर्जा है, पांच सौ रुपये तक जिस किसान पर कर्जा होगा, किसी किसान पर पांच सौ रुपये तक लगान या कर्जा किसी तरह का होगा, उसकी कुर्की नहीं करेंगे। पांच सौ रुपये तक की छूट दीजिये छोटे किसानों को, हरिजनों को। इस तरह से कुर्कियां करके, क्या आप कह सकते हैं कि हमने अन्त्योदय कर दिया, हमने आदिवासियों का कल्याण कर दिया? आप आदिवासी आदिवासी चिल्लाते हैं और आपके अधिकारी उनका सफाया कर देते हैं। आपकी यह नीति नहीं चलेगी, इसके नतीजे बड़े खतरनाक होंगे। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि पेश्तर इसके कि स्थिति बिगड़े आप आदेश दें कि हरिजन, आदिवासी और गरीब काश्तकार पर चाहे कितना भी कर्जा हो, फिलहाल रोक दिया जावे। फसल आने के एक महीना बाद वसूली करें, कौन रोकता है आपको? यह मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना चाहता था कि फिलहाल वसूली रोकी जाय और कुर्कियां फौरन बन्द की जायं।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव···

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है और उसके विषय में···

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ आपको कहना हो बाद में कहें।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बीस सदस्यों ने दस्तखत करके प्रस्ताव दिया है अकाल की स्थिति के बारे में। राजस्थान के तमाम उन क्षेत्रों के बारे में, जो कि सरकार की तरफ से अकालग्रस्त घोषित कर दिए गये हैं। प्रस्ताव है, मेहरबानी करके···

श्री उपाध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव देरी से आया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय वर्मा जी, आपकी तरफ से प्रस्ताव देरी से आया है। नैक्स्ट वर्किंग डे के लिए रख लिया गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक क्वेश्चन रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप काफी कह चुके हैं।

श्री खेतसिंह राठौड : मेरा यह कहना है कि मुख्य मन्त्री महोदय 4 बजे जवाब देंगे। अभी तो वह हमारे माननीय विधायक बजरंग लाल शर्मा के यहां चोरी हो गई है, वहां गये हुए हैं···

श्री श्योपत सिंह मकासर : चोरी हो गई है या कराई गई है? मार दिया है उसको।

श्री खेतसिंह राठौड : मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री महोदय पंचायत समितियों और जिला परिषदों के गठन के बारे में क्या सोचते हैं, वह कोई निश्चित तारीख नहीं बता सकें तो 4 महीने या साल भर कितना समय लगायेंगे यही बता दें। क्योंकि अस्थिरता की अवस्था आ गई है। पंचायतों के चुनाव तो करा दिये हैं लेकिन आगे कुछ नहीं। 20 वर्ष बाद यह पहला मौका है जब कि पंचायतों के चुनाव तो करा दिए लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषदों के नहीं कराये। विधान सभा के चुनाव कराके बैठ गये होते तो यह

Page No 36

(36)

(श्री खेतसिंह राठौड़)
हुकूमत कैसे चलती ? इसलिए पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव जल्दी ही होने चाहिए जैसा कि विकास मन्त्री जी कह कर गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह चुनाव कब तक करायेंगे ?

श्री ईश्वर चन्द्र : आपको नैतिक अधिकार नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपने कौनसा तीर मार लिया है ?

श्री ईश्वर चन्द्र : आपको अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री नवरंग लाल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के गांवों में जो वसूली की जा रही है, उसके बारे में मैंने एक प्रस्ताव दिया था। काश्तकारों से ज्यादा वसूली की जा रही है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप इधर आ जाइये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभी को अधिकार है बात कहने का।

श्री उपाध्यक्ष : आपने भाषण दिया था इस सम्बन्ध में। जो माननीय सदस्यों के प्रस्ताव पेश हुए हैं। उनसे देर में प्रस्तुत हुआ है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : ये सत्ता पक्ष के व्यक्ति हैं। मिनिस्टर से जाकर मिल लें।

घोषणा : दलीय स्थिति

कांग्रेस (आई) दल की सदस्यता-ग्रहण

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित सदस्यों ने कांग्रेस (आई) की सदस्यता ग्रहण कर ली है :—

1.	श्री रामनारायण चौधरी	वि. सं.	141
2.	श्री रामदेव सिंह	वि. सं.	139
3.	श्री शीशराम ओला	वि. सं.	168
4.	श्री मनफूलाराम	वि. सं.	105
5.	श्री जयकृष्ण शर्मा	वि. सं.	53
6.	श्री परसराम मोरदिया	वि. सं.	80
7.	श्री हंसराम	वि. सं.	183
8.	श्री दूलाराम	वि. सं.	64
9.	श्री नरपतराम बरबड़	वि. सं.	67

श्री रामकरण सिंह : इस हाउस में इन्दिरा कांग्रेस के 9 सदस्य हैं।

श्री रतन लाल वर्मा : ये नवग्रह हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इन्दिरा जी के ये नवरत्न हैं। आपके लिए नवग्रह हैं।

(व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन
प्राक्कलन समिति, 1977-78 का प्रथम व द्वितीय प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मथुरादास जी माथुर प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

श्री मथुरा दास माथुर (सभापति, प्राक्कलन समिति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति, 1977–

Page No 37

(37)

(श्री मथुरादास माथुर)
78 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

(1) आय-व्ययक अनुमानों के ढांचे में परिवर्तन विषयक समिति का प्रथम प्रतिवेदन, एवं

(2) राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग विषयक समिति का द्वितीय प्रतिवेदन।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ .....

श्री रामकरण सिंह : एक दिन का उपयोग दूसरे दिन नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य'।

श्री रामकरण सिंह : चूंकि न मैं जनता पार्टी में हूं और न कांग्रेस में हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है, मैं आपको अवश्य अवसर दूंगा।

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था। बोलने के लिए ....

श्री उपाध्यक्ष : निर्धारित दलों को वाद-विवाद में चर्चा करने के लिए समय दिया गया था। उसका पूरा सदुपयोग मान्यता प्राप्त दलों के माननीय सदस्यों ने कर लिया है।

एक माननीय सदस्य : ज्यादा कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : उससे भी अधिक कर लिया है। मुझे आशंका है, जो सीमित समय रह गया है उसमें जो सदस्य नहीं बोल पाये हैं उनको अवसर मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : मेरा अमेण्डमेण्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सावधानी बरतें।

श्री रामकरण सिंह : मैं तो चेयर पर विश्वास करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री रामकरण सिंह : मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था।

एक माननीय सदस्य : बोलने के लिए थोड़ा समय दिया जाये।

श्री माधो सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करके बोलने वाले माननीय सदस्य का नाम बता दीजिए।

श्री हरिश कुमार शर्मा : बोलने वाले स्वयं नहीं बता रहे हैं।

श्री बालचन्द्र आर्य : पहिले भी नाम दिया है लेकिन सूची में नहीं आया है। यह सहन नहीं किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : जनता पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं उनको मुख्य सचेतक महोदय की जो सूची आई है उसके क्रमानुसार ही समय दिया गया है। मैं सूची के नाम सुना सकता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आज तक आसन की तरफ से ऐसी सूची

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं पढ़ी गई और ऐसी परम्परा डाली गई तो दूसरों के लिए मुश्किल हो जायगी। जो वक्ता बनना चाहते हैं उनको श्रोता भी बनना चाहिए।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहमत हूं इससे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं महसूस करता हूं कि गलत परम्परा नहीं डालें तो अच्छा है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो वाद-विवाद में भाग लें वे श्रोता भी बनें, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। शेष वक्ता महोदयों को अवसर नहीं मिले तो वे अवश्य उपस्थित रहें।

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने वरिष्ठता की बात कही है, मैं नवनिर्वाचित हुआ हूं, लेकिन कोई वरिष्ठता की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हिसाब से दो सौ में से मेरा नाम अव्वल नम्बर पर होना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर आप जो भी व्यवस्था···

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में

(व्यवधान)

मैं देखता हूं कि माननीय सदस्य सदन में अखबार पढ़ रहे हैं। क्या वे पढ़ सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: जो माननीय सदस्य अखबार पढ़ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वे बन्द कर दें।

श्री मदनसिंह दांता : हम बोलते वक्त अखबार नहीं पढ़ सकते, इसलिए स्टेडी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकरणसिंह : आप किसी भी प्रकार की व्यवस्था दें····

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी को समय दिया गया है वह नहीं मिल रहा है,

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका तो राज आया है, राज करिये। हमको बोलने का अधिकार है, हमको बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को भी बोलने का अधिकार है।

श्री खेतसिंह राठौड : मान्यता प्राप्त दलों का समय पूरा हो गया तो हमारे बैठने का क्या मतलब है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक आठ मिनट का समय दिया जाता है। इससे अधिक किसी भी माननीय सदस्य को समय नहीं दिया जायगा।

मैं चाहता हूं कि समय की पालना कठोरता से मैं भी करूं और वक्ता महोदय भी करें।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : जो लोग बाकी है उनका क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

Page No 39

(39)

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने उपस्थित हुआ हूं। यह सौभाग्य की बात है कि हिन्दुस्तान भर में राजस्थान ने पहल कर गांधीजी की अन्त्योदय योजना अपने हाथ में ली है। मैं अपने क्षेत्र के लिए ही निवेदन कर सकता हूं कि हर पंचायत के हैडक्वार्टर पर पहुंच कर एस.डी. ओ. से लेकर पटवारी तक सबने जागरूक होकर काम किया। इसी तरह से जमीन का अलाटमेंट भी हुआ, परिवारों का चयन भी हुआ, इसके लिए मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन अन्त्योदय योजना में जो मूल बातें हैं वह बहुत बड़ी बात हैं उनको अभी छोड़ दिया है। इसलिए मैं आपके सामने 'अन्टू दी लास्ट' के बारे में एक पैरा पढ़कर निवेदन कर रहा हूं :

"In a chapter in his Autobiography (part 4 Chapter XVIII) entitled 'the magic spell of a book' Gandhiji tells how he read Rus kin's, 'Unto the Last' on the 24 hours journey from Johannesburg to Durban. The train reached there in the evening. I could not get any sleep that night. I determined to change my life in accordance with the ideals of the book. I translated it later into Gujrati entitling it Sarvodaya.

बापू जी कह रहे हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आई। सर्वोदय का सम्बन्ध खुद के जीवन से बहुत बड़ा है। हम जो बात समाज में लाना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम अपने आपको मोड़ रहे हैं या नहीं। 'अन्टू दी लास्ट' में यही बातें हैं। पहली बात है सिद्धान्त की, सबके भले में अपना भला है। वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिए क्योंकि आजीविका का हक दोनों को एक सा है। हमारे मजदूर और किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। और चौथी बात इसमें कही गई है कि जैसा साधन वैसा साध्य, साधन बीज है और साध्य पेड़। तो हमें अपने जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। हम अन्त्योदय की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं? अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो अन्त्योदय की मूल भावना को हम छोड़ रहे हैं। महामहिम जिस दिन पधारे थे, यहां पर पहले की तरह से गलीचे के ऊपर लाल कारपेट बिछाई गई थी, पहले निरीक्षण करने के लिये निरीक्षक आये कि ठीक बिछाई गई है या नहीं। फिर एक एक कदम आगे रखते हुए आये। यही परम्परा चली आ रही है। एक तरफ हम गांवों में अन्त्योदय की बात करते हैं, जहां जेठ की लू के अन्दर आदमी बिना जूतों के पैदल चलता है दूसरी तरफ महामहिम राज्यपाल महोदय बूंट धारण किये हुए गलीचे के ऊपर जो कारपेट लाल रंग की बिछी हुई है उस पर धीरे धीरे चलते हैं, एक एक कदम। यह कहां है अन्त्योदय योजना में? मन्त्रियों के घरों पर और दफ्तरों में भी इसी तरह के कालीन हजारों रुपये की कीमत के बिछे हुए हैं जिनको जूतों के तलों से रौंदा जाता है। तीस साल से जो होता आ रहा है वही आज भी हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : पक्की बात है, अच्छी बात है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय डागा जी, समय थोड़ा है, मेहरबानी करके बोलने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : प्रभाव बहुत पड़ा है।

श्री एच. एन. शर्मा : भगवान आपकी आत्मा को शान्ति दे।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैं सचिवालय गया। गांव का आदमी हूं मैंने देखा, वहां पर बॉक्सेज लटके हुए थे। मुझे ज्ञान नहीं था, मैं समझा कि फाइलें काफी हो गई हैं और चूहे ज्यादा हो गये हैं इसलिए फाइलें ऊपर रखने के लिये हैं। मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि यह तो एयर कन्डीशन हो रहा है। एक तरफ तो हम अन्त्योदय की बात करते हैं, दूसरी तरफ एयर कन्डीशन्ड लगाते हैं, दोनों बातें कैसे चल सकती हैं—

"भवन सुलभ है एक ने–
एयर कन्डीशन्ड,
गटर कने इक भेल रयो–
ई स्वराज में ठंड।"

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस राज में इसका बजट पास हुआ था, और कांग्रेस राज में इसका ठेका दिया गया था, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इसको रोकिये, नुकसान की चिन्ता मत करिये, एयर कण्डीशन मत लगाइये। आप यह क्या कर रहे हैं ?

मैं माननीय सदस्यों के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग किनके प्रतिनिधि बन कर आए हैं ? हम उनके प्रतिनिधि बनकर आए हैं जो 65 प्रतिशत पावर्टी लाइन के भी नीचे हैं। हमें भी दवाई उसी तरह से मिलती थी जैसे दूसरे लोगों को। लेकिन ज्यों ही मैं विधायक बना, मेरी पत्नी, मेरी माता, जो भी मेरे पर आश्रित हैं, सबको दवाई मुफ्त मिलने लगी। लेकिन जो पीछे खड़ा है, जो पावर्टी लाइन के नीचे है उसको कौन दवाई देगा ? अन्त्योदय वाली बात मेरे मन में उतरी है इसलिए संकल्प करता हूं कि जिस तरह से अन्त्योदय वाला एक गरीब किसान दवाई लेता है मैं भी उसी तरह से दवाई लूंगा और राज से दवाई का लाभ नहीं लूंगा।

माननीय सदस्यों को दवा देकर ठीक रखेंगे तभी तो वह गरीबों की बात कह सकेंगे…

श्री गुल मोहम्मद : अगर दवाई नहीं लेंगे तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : आप ठीक फर्मा रहे हैं। गांधीजी जब विलायत गये तो उनके सामने कई तरह की पोशाकें रखी गई। उन्होंने कहा, मैं गरीबों का प्रतिनिधि हूं। अगर मैं नंगे बदन जा सकता हूं तो जाऊंगा। नहीं तो बादशाह से नहीं मिलूंगा। हम यहां गरीबों के प्रतिनिधि बन कर आये हैं। आप क्यों चिन्ता करते हैं कि स्वस्थ रहेंगे या अस्वस्थ रहेंगे ? जैसे वे गरीब लोग बिना दवाई के मरते हैं हम भी वैसे ही मर जायेंगे। मैं जब से विधायक बना हूं, दवाई का पैसा नहीं लिया। अब भविष्य में भी रीएम्बर्समेंट नहीं कराऊंगा। एक तरफ भयंकर बेकारी हो, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही हो और दूसरी तरफ जो राज के नौकर हैं उनको दवाई का पैसा मिल रहा है। आप कृपा करके ऐसी विषम भीषण परिस्थिति में सबके लिए एक जैसा करें। यह तभी होगा जब विधायक लोग भी दवाई का पैसा खुद खर्च करेंगे…

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी से निर्णय करवा लें।

श्री मनोहर सिंह मेहता : आपने हमारे लिए निजी कार्य से फर्स्ट क्लास में घूमने के लिए 12 हजार किलोमीटर की छूट दे रखी है, कैसी अजीब परिस्थिति है ! विधायक विधान सभा के काम के लिए जाए तो समझ में आ सकता है। अपने प्राइवेट काम के लिए 12 हजार किलो मीटर घूमना उचित नहीं है। मैंने मांग की थी कि मैं दूसरी श्रेणी में घूमना चाहता हूं लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं हो सकी और मेरी मांग का कोई परिणाम नहीं निकला। मैं द्वितीय श्रेणी को भी छोड़ता हूं। अन्त्योदय योजना के आदमी को अपने जीवन में बहुत सारी बातें उतारनी पड़ेंगी।

अभिभाषण के पैरा 66 में लिखा है कि सरकार राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने के लिए कृत संकल्प है। मेरे घर में 8 मेहमान आए। मैंने कहा मैं कृत संकल्प हूं आपको भोजन देने के लिए। मेहमान शाम तक बैठे रहे। पूछा, कब भोजन देंगे ? मैंने कहा, कृत संकल्प हूं आपको भोजन दूंगा। दो दिन बाद पूछा, फिर मैंने कहा, मैं कृत संकल्प हूं। इस तरह से नहीं चलेगा। आपको कथनी और करनी दोनों को एक करना पड़ेगा। अगर हम सचमुच अन्त्योदय चाहते हैं तो शराब को पूर्ण रूपेण बंद करना पड़ेगा। अगर शराब बंद नहीं होती है और शराब की आय पर ही जीना है तो आप निश्चित समझिए कि स्वराज्य और रामराज्य कभी साकार नहीं होने वाला है।

चाल चले यूं और बात करे यूं और।
मनख बात सुणसी नहीं, मती मचावे शोर।

दोनों तरफ इशारा है। आपने गली गली घर घर में शराब पहुंचा दी, शराब की आमदनी 22 करोड़ तक ले गए। हम भी उसी तरह से करेंगे तो जिस तरह से ये लोग गए, हम भी चले जायेंगे।

(1.12 म.प.)

(श्री मन्जूर अली, सभापति, पीठासीन)

एक बात मैं श्री मीठालाल मेहता के बारे में कहना चाहता हूं। वह हमारे यहां जिलाधीश रहे हैं, गांव गांव में अपनी छाप छोड़ आए हैं, ऐसे आदमी को मुख्य मंत्री ने अपने सचिव के पद पर रखा है इसके लिए मैं मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं।

एक बार फिर पुरजोर शब्दों में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि करनी और कथनी में कहीं अंतर नहीं आना चाहिए।

श्री सभापति : श्री सुरेश कुमार !

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पर बोलने में खास रुचि होती। लेकिन जब से यह सत्र शुरू हुआ है तब से मैं निरन्तर देख रहा हूं कि मरु प्रदेश बनाए जाने की बड़ी भारी मांग लोग कर रहे हैं। पहले ही दिन शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री खेतसिंह ने वकालत की। उसके बाद हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने बड़ी अर्थपूर्ण मुस्कान से पूछा, "क्या वास्तव में आप मरु प्रदेश बनाना चाहते है ?" तो, माननीय खेतसिंहजी ने मुस्कराहट के साथ गर्दन झुका दी।

(श्री सुरेश कुमार)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मरु स्थल के विकास की बात बड़े जोर शोर से कही गई है। मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि पूर्वी राजस्थान के विरुद्ध शायद कोई षड्यन्त्र पनप रहा है। श्रीमन्, पिछले 30 वर्षों से पश्चिमी राजस्थान के लोग पूर्वी जिलों का शोषण करते रहे हैं, सबसे बड़ी योजनायें पश्चिमी राजस्थान के लिए बनी हैं। अब मरु प्रदेश की बात कह कर इस षड्यन्त्र को फिर पनपाया जा रहा है। इसलिए मुझे बाध्य होना पड़ा कि मैं कुछ बोलूं।

मैं पिछले सत्र में भी निवेदन कर चुका हूं और मेरा विश्वास है और मान्यता है कि पूर्वी जिलों, भरतपुर, अलवर व सवाई माधोपुर, का विकास राजस्थान का अंग बने रहने पर सर्वथा असंभव है। इसका एक मात्र हल होगा, एक नए बृज प्रदेश का निर्माण जो पूर्वी राजस्थान के हितों की रक्षा कर सके।

डीडवाना से आए हुए एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ने जोर शोर से खेद प्रकट किया हाई कोर्ट बैंच को जयपुर लाने पर लेकिन उन्हें क्या पता कि धौलपुर और करौली के लोगों ने कितने कष्ट झेले हैं जोधपुर आने जाने में।

गई बार भरतपुर-अलवर दोनों जिलों के लोग बरबाद हो गए, किसानों के खेत बरबाद हो गए, उद्योगपतियों की फैक्ट्रीज बरबाद हो गई लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय के श्री मुख से एक शब्द भी सहानुभूति का नहीं निकला, मुझे इस बात पर खेद है। भरतपुर जिले में अब तक 11 हजार एकड़ भूमि जलमग्न है, लोगों की खेती बरबाद हो गई है फिर भी लोगों को लगान की माफी नहीं दी गई, यह सरासर पक्षपात है। यदि पश्चिमी राजस्थान में ऐसी बात होती तो सूखा ग्रस्त घोषित करके तरह तरह की सुविधायें दी जातीं। मैं मानता हूं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए भरतपुर के लिए 5.20 करोड़ रुपयों का अनुदान नवम्बर, 1977 में दिया गया लेकिन सदन के सदस्यों को आश्चर्य होगा यह जानकर कि इस राशि की स्वीकृति को सचिवालय में एक वरिष्ठ आयुक्त अपने सीने से लगाए दो माह तक गर्मी लेते रहे, 5.20 करोड़ रुपयों की गर्मी लेते रहे, दो महीने तक फाइल से चिपके रहे, आवश्यक निर्देश सिंचाई विभाग को नहीं दिये गये, आवश्यक मशीनरी नहीं दी गई, जिले के अन्दर आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई, सर्वेक्षण के उपकरण नहीं दिए गये...

एक माननीय सदस्य : उसका नाम बताइए।

श्री सुरेशकुमार : आप जानते होंगे। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है, यह उनसे संबंध रखता है। उन्होंने दो महीने तक नवम्बर, 1977 की स्वीकृति कलेजे से लगाकर रखी, यह सारा षड्यंत्र है। अगर आपको सिंचाई आयुक्त का नाम मालूम न हो, तो इससे बढ़कर अनभिज्ञता क्या हो सकती है?

(व्यवधान)

श्रीमान्, आपको भी मालूम है कि कौन हैं सिंचाई विभाग के आयुक्त। अजी साहब, इनका बड़ा नाम है यह राज्य सरकार में। प्रिन्सीपल प्राइवेट सेक्रेटरी बने हुये हैं। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी के नाम से जाने जाते

(श्री सुरेश कुमार)
हैं। सभापति महोदय, उनको सभी जानते हैं। नवम्बर, 77 में ही जो स्वीकृति भेज दी गयी थी उसको वह श्रीमान जी अपने सीने से लगाये उसकी गर्मी लेते रहे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अजी साहब हम तो सिंचाई विभाग के आयुक्त तो क्या मंत्री कौन है सिंचाई विभाग के उनको भी भूल गये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी तो मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, भाई।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, यह सिंचाई विभाग के आयुक्त का ××× था कि नवम्बर, 77 में जो स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी 5 करोड़ 22 लाख की केन्द्रीय सरकार की पर वक्त पर सिंचाई विभाग को आवश्यक निदेश नहीं दिये गये। काम समय पर पूरा नहीं किया गया तो सारा भरतपुर पूरी तरह से बरबाद हो जायेगा।

श्री माणकचचन्द सुराणा : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी ने जो सदन में एक अधिकारी के खिलाफ में ××× शब्द का उपयोग किया है वह सदन की परम्पराओं के विपरीत है। हमें ऐसे शब्द उपयोग में नहीं लाने चाहिये। यह असंसदीय शब्द हैं। इसे सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज किया जाना चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता: ××× और ×× शब्द दोनों एक ही हैं। तो फिर ××× शब्द कोई कहे तो उसे भी हटाया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, अंग्रेजी में नोनसेन्स शब्द जब अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है तो फिर हिन्दी का ××× शब्द कैसे अनपार्लियामेन्ट्री हो सकता है? यह असंसदीय नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह असंसदीय शब्द है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री सुरेश कुमार : यह ××× शब्द अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है। नोनसेन्स शब्द जो अंग्रेजी का है वह पार्लियामेन्ट्री है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अंग्रेजी का नोनसेन्स शब्द जब अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है तो यह ×××शब्द असंसदीय शब्द नहीं है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अगर यही ××× शब्द माननीय सदस्य के लिये यूज किया जावे तो आप को कैसा लगेगा?

श्री सुरेश कुमार : पहले आप हिन्दी की डिक्शनरी पढ़ें और फिर बाद में आकर पूछें।

(व्यवधान)

××× शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, शान्त रहें।

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, सदन की भावना है कि ××× शब्द को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाय।

श्री सभापति : ××× शब्द सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज कर दिया जाय।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, सुरेश कुमार जी, आप कृपया समाप्त करें। काफी समय हो गया है आपको।

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, अगर बीच बीच में माननीय सदस्य इन्ट्रप्ट करेंगे तो समय तो लगेगा ही।

तो, मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, भरतपुर की बाढ़ को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में 5 करोड़ 20 लाख रुपये राजस्थान सरकार को दिये गये। अगर समय रहते हुए वह पैसा भरतपुर की बाढ़ को रोकने के लिये पूरा काम में नहीं लिया गया, अगर समय पर पूरा स्टाफ नहीं स्वीकृत किया गया, आवश्यक मशीनरी नहीं लगायी गयी, सर्वेक्षण उपकरण नहीं लगाये गये तो काफी अन्याय होगा। मेरे जिले के साथ अन्याय किया। आज तक अन्याय होता आया। श्रीमन्, मुझे पीड़ा होती है इसीलिये मेरा निवेदन है कि निर्धारित काम पूरे नहीं होंगे। और जल्दी में कुछ होगा भी तो वह अगली बरसात में बहकर यमुना में विश्राम ले लेगा। इससे जनता जनता पार्टी के मन्त्रियों और विधायकों को भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्रियों और विधायकों की श्रेणी में खड़ा कर देगी।

सभापति महोदय, प्रशासन में सुधार लाने की बात जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कही गयी है, मैं संक्षेप में उस पर कुछ कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, जिस प्रशासनिक मशीनरी को अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए स्थापित किया था उसे ज्यों का त्यों कांग्रेसी सरकार ने अपना लिया। इसी सड़ी गली व्यवस्था को हमने अपने सीने से लगा रखा है। इस व्यवस्था में परिवर्तन किये बिना सुधार नहीं होगा। इस परिवर्तन के लिए हमें आई. ए. एस और आर.ए. एस., आई.पी.एस. और आर.पी. एस. के विभेद को मिटाना होगा। सेवा-काल के हिसाब से वरीयता स्थापित करनी होगी। यह सम्भव नहीं हो सके तो कम से कम इतना सरकार कर ही सकती है कि उच्च पदों के 50 प्रतिशत स्थानों पर आर.ए.एस. और आर.पी.एस. कैडर के अधिकारी साधारण प्रक्रिया के अनुसार ही जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक भी बन सकें, सचिव और आयुक्त भी बन सकें ताकि उनके लम्बे अनुभव का लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट में एक दो बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिए।

××× शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, सिर्फ एक दो बात कह कर एक मिनट में ही समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति पर तो मैं बोलूंगा ही नहीं क्योंकि आपने समय कम दिया है।

राज्यपाल महोदय ने मुझे खेद है, प्रदेश के नवयुवकों को सर्वथा ही भूला दिया। एक शब्द भी उनकी समस्याओं के बारे में नहीं कहा। आज नवयुवकों के विरुद्ध अनुशासनहीनता, उद्दण्डता और तोड़फोड़ के दोष लगाये जाते है। लेकिन यह सब होता क्यों है ? इसका समाधान क्या है ? इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों को शक्ति के उपयोग के लिये न सही ढंग से अवसर प्रदान किया जाता है और न उनको सही दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाता है। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि हमारे यहां पर प्रदेश में खेल और सांस्कृतिक मन्त्रालय की अलग से स्थापना हो। हमारे यहां पर जो अच्छे खिलाड़ी हों उनको सरकारी नौकरियों में उच्च पद प्रदान किये जाने चाहिये। उनके लिये कुछ पद सुरक्षित रखे जाने चाहिये। ऐसा करने से नवयुवकों को प्रोत्साहन मिलेगा और निश्चित रूप से नवयुवकों का ध्यान उद्दण्डता और अनुशासनहीनता से विमुख होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, मुख्य सचेतक महोदय खूंखार नजरों से मुझे घूर रहे हैं। उनके हाथों में शायद चाबुक है। मुझे सतर्कता बरतनी पड़ेगी।

कुछ भी हो लेकिन कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिससे निश्चित रूप से उन्हें धन्यवाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये। वायदे के अनुसार पंचायतों के चुनाव कराये, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विकास निगम की स्थापना, तथा जलापूर्ति के लिये जलापूर्ति निगम की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है। यह सही है कि वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाये गये है। गांव गांव में गरीब को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में अनाज और आटा उपलब्ध हो रहा है, इससे जनता को भारी राहत मिली है। जनता सरकार की सर्वत्र सराहना हो रही है। अतः मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण पर हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और माननीय सदस्य श्री माणक चन्द सुराणा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, श्रीमान, आपकी सहिष्णुता के प्रति भी धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री ईश्वर चन्द्र !

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं बोलने खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, पिछले तीन दिनों से निरन्तर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद चल रहा है। सभी माननीय सदस्यों ने साफ तौर से दो बातें अधिकांश रूप से कही। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में अन्धकार की उपासना करके सूर्य को लगातार नकारने की कोशिश भी की। यह कोई बढ़िया बात

(श्री ईश्वर चन्द्र)

नहीं। सभापति महोदय, 28-2-78 का और इससे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि जनता राज्य और जनता पार्टी की सरकार को नयी व्यवस्था लानी है और व्यवस्था परिवर्तन करनी है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उल्लू को दिन में ही कुछ नजर नहीं आता हैं।

श्री हरिश कुमार शर्मा : सभापति महोदय, उल्लू शब्द....

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य ने जो कहा है कि उल्लू को ही दिन में नजर नहीं आता। इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: मैंने उसे पुलिंग के लिये प्रयोग किया है। आप क्यों बोलती हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री ईश्वर चन्द्र : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसने हमारे राजस्थान में कुछ कीर्तिमान स्थापित किये हैं। हमारे यहां पर गरीबों का उत्थान हुआ है फिर भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सदन के सदस्य, जो सी. पी. एम पार्टी के है और गरीबों के तथा मजदूर वर्ग और काश्तकारों के हिमायती बनते हैं, ने कहा कि जनता पार्टी की सरकार ने उनके लिये कुछ नहीं किया। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। जनता पार्टी की सरकार ने जो अल्प समय में काम किया उसके लिये गौरव करने में हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन जो गरीबी की रेखा है, माननीय सभापति महोदय, निरन्तर सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि 565 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। मैं इन आंकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आपको निवेदन करूं कि 12 प्रतिशत लोग 15 रुपये से 18 रुपये की मासिक आमदनी के ऊपर जीवित हैं। इसके साथ ही साथ मैं कुछ आंकड़े और बताता हूं। 63 प्रतिशत लोगों के पास 19 प्रतिशत जमीन है और 37 प्रतिशत लोगों के पास 81 प्रतिशत जमीन है। जो 37 प्रतिशत बड़े बड़े भूमिपति हैं, जिन्होंने भूमि पर कब्जे कर रखे हैं, जो बड़े बड़े लखपति हैं, जिन्होंने फार्म के फार्म ले रखे हैं, जिन्होंने सीलिंग कानून के तहत राजस्व मन्डल के फैसलों के नाम से साजिश करके जमीन अपने नाम करवा ली है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक बेरी आयोग के सामने हम उनके मामलों को नहीं लायेंगे तब तक अन्त्योदय की योजना कागजों पर ही रहेगी और वास्तव में भूमि का वितरण सम्भव नहीं होगा।

अभी थोड़ी देर पहले पंचायतों के चुनावों के बारे में कांग्रेस की ओर से काफी बहस हो रही थी। श्री रामनारायण जी बड़ी बहस कर रहे थे और बार बार सवाल कर रहे थे। उन्होंने 13 साल से पंचायत राज संस्थाओं को पंगु बना दिया, उनका अवमूल्यन कर दिया और उनको भ्रष्टाचार के 'अड्डे बना दिया। आज भी उनकी नैतिक हिम्मत है कि वह पंचायतों की बातें करते हैं। मैं कहूंगा

(श्री ईश्वर चन्द्र)

कि जनता सरकार ने जो कदम उठाया है वह एक साहसिक कदम रहा है। लोकतांत्रिक परम्पराओं का जो ढांचा तैयार किया गया है एक लम्बी लड़ाई और संघर्ष के बाद उसके लिये जनता सरकार वाकई बधाई की पात्र है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में साहित्य, कला और संस्कृति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। क्या हमारी सरकार साहित्य, कला और संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है? क्या महिलाओं के लिए, क्या अल्पसंख्यकों के लिए और अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए कोई कार्यक्रम जनता सरकार के पास नहीं है? अल्पसंख्यकों को क्या सुरक्षा दी जा रही है?

श्री श्योपतसिंह मकासर : कुर्की का कार्यक्रम है न।

श्री ईश्वर चन्द्र : कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, माननीय श्री साम्यवादी सदस्य साहब। मैं आपको एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब तक हम आधारभूत नीति नहीं अपनायेंगे तब तक हमें इस भाषण का अनुमोदन करने में हिचक है। मैं समझता हूं कि यह बहुत स्पष्ट नीति है. . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, दो तीन मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक 60 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को नहीं देते तब तक आपकी सारी घोषणायें और नारे बेकार होंगे और कांग्रेस सदस्यों को बार बार बोलने का मौका मिलेगा, वह यहां आकर इस प्रश्न को उठायेंगे कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप नीति बनाइये, आप यह नीति बनाइये कि 60 प्रतिशत इन लोगों को आरक्षण दिया जाये तब जाकर क्रांतिकारी कार्यक्रम कर सकेंगे।

इसी तरह से हिन्दी के विकास के लिए कोई योजना नहीं है। आज आंकड़े ले लीजिए, टाइप राइटर्स नहीं हैं हिन्दी के। जो सर्क्यूलर्स जारी होते हैं वह अंग्रेजी में जारी होते हैं। जब दफ्तरों में पता लगाते हैं तो मालूम होता है कि हिन्दी के टाइप राइटर्स नहीं हैं। हिन्दी का विकास इस तरह से भाषण देने से नहीं किया जा सकता। जब तक आप हिन्दी के विकास की योजना नहीं बनायेंगे तब तक हिन्दी भाषा का विकास नहीं होगा। इसके अलावा आप ऐसे चीफ जस्टिस को ला रहे हैं जो कि हिन्दी नहीं जानते हैं। हम क्या तो उनके सामने रिट पेश करेंगे और क्या उनके सामने बहस कर पायेंगे? अंग्रेजीकरण आप वापस करना चाहते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो हिन्दी का खातमा राजस्थान में बहुत जल्दी हो जायेगा। इसको रोकना अत्यन्त आवश्यक है।

(समय—समाप्ति—सूचक घण्टी)

उर्दू के बारे में कहना चाहता हूं. . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ईश्वर चन्द : माननीय सभापतिजी, बहुत बुनियादी बात कहने जा रहा हूं। हमारे यहां 2.57 प्रतिशत लोग उर्दू बोलते हैं, 27 प्रतिशत लोग मारवाड़ी बोलते हैं और 60 प्रतिशत लोग राजस्थानी बोलते हैं। हमारे राज्यपाल महोदय ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है इन भाषाओं के बारे में। इनके बारे में सारे भाषण में बिल्कुल मौन रहे और कोई नीति नहीं बताई है। यह कहा गया था कि किसी यू. डी. सी. से भाषण लिखवा लिया गया। यह सही लगता है . . .

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बहुत है।

श्री ईश्वर चन्द्र : मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। श्रीमान्, आपके जो डाइरेक्टर एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज हैं उन्होंने रामकिशोर जी व्यास के बंगले को दो हजार रुपये के किराये पर लिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, तशरीफ रखिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : मैं एक शेर और बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : एक शेर।

श्री सभापति : आप बैठिये, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : शेर तो बोलने दीजिए।

श्री ईश्वर चन्द्र : एक शेर के साथ मैं अपनी बात खतम करूंगा।

'दुनियां को बदलने का तस्लीम तेरा दावा हम फिर भी कहते हैं दुनिया वही दुनियां है। न अपने आप बदली है, न अपने आप बदलेगी, ये दुनियां है तू दुनियां को बदल दे देखता क्या है।'

तो मैं चाहूंगा जनता सरकार से कि इस दुनियां को बदल दे। जो सामाजिक व्यवस्था है चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो यदि हम बुनियादी नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो न तो काम चलेगा, न राजस्व अभियान चलेगा और न अन्त्योदय की कार्यवाही चलेगी। इसके साथ ही आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : मैं तमाम मोअजिज सदस्यगणों से प्रार्थना करता हूं कि वह 7-8 मिनट ही लें। यदि इस तरह चार-चार, पांच-पांच मिनट ज्यादा लेंगे तो बहुत से माननीय सदस्य महरूम हो जायेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी बात से आप अहतराम करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्री गुल मोहम्मद : सभापति महोदय, हमने 28 तारीख को अपना नाम दिया था। हमारा नाम कब आयेगा ?

श्री सभापति : सूची में आपका नाम है। आपका नम्बर भी आ जायेगा।

श्री जय कृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, थोड़ा टाइम इधर भी दे दिया जाये तो हाउस का चार्म बना रहेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं अर्ज करूंगा कि आप श्रीमती उजला अरोड़ा को बोलने दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मैं यह बात कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने जो कार्य नहीं किये उन कार्यों की तरफ सरकार प्रेरित हुई है, मैं इसके लिए इसे धन्यवाद देती हूं। पंचायतों के चुनाव वर्षों से पड़े हुए थे वह हमारी इस सरकार ने कराये, मैं इसके लिये धन्यवाद देती हूं। साथ ही मैं इसके लिये भी धन्यवाद देती हूं कि पंचायतों के अनुदान की कमी के कारण काम रुके पड़े थे, सरकार ने अनुदान की राशि बढ़ाई है। पंचायतों के काम अब सुचारु रूप से चल सकेंगे।

इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अभिभाषण को हमने सुना और पुस्तिका को पढ़ा है। पैरा 66 की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं..

एक माननीय सदस्य : पुस्तिका नहीं, अभिभाषण।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभिभाषण, मेरी गलती मान ली।

पैरा 66 की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी इसमें यह शब्द प्रयोग किये गये हैं 'सरकार राज्य में शराबबन्दी के लिये कृत संकल्प है' लेकिन नीति की घोषणा बाद में करेगी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी यह संकल्प की बात कही गई है, संकल्प एक बार लिया जाता है। शनैः शनैः जो कार्य होता है, उसको संकल्प नहीं माना जाता। सरकार को शराबबन्दी की घोषणा इस सदन में कर देनी चाहिये थी। शराबबन्दी करने में निरन्तर विलम्ब हुआ है। पिछले तीस सालों से विलम्ब होता रहा है। सरकार कहती रही कि हम शराबबन्दी करेंगे। जो पिछले माननीय आबकारी मंत्री रहे हैं वह जैन हैं, जैन धर्म में भी शराब उचित नहीं है। शराब पीना और लोगों को पिलाना गलत है। सभी धर्म कहते हैं कि शराब गलत चीज है। यह अनैतिक व्यापार है, इसको बन्द कर दिया जाना चाहिये। बहुत दुःख है कि इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं की गई कि आने वाले अप्रेल माह में जो ठेके दिये जाते हैं उसमें कमी की जायेगी। इस बात की प्रशंसा करूंगी कि कुछ जिले और बढ़ाये गये हैं। लेकिन इस बात की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि 10 जिले और 13 तहसीलें नाकाफी हैं। शराबबन्दी के लिए कई बार आन्दोलन किये गये। ऐसी परिस्थिति नहीं है राजस्थान की जिसमें शराबबन्दी नहीं की जा सके। सम्पूर्ण राजस्थान में शराबबन्दी हो जानी चाहिये। यह अनैतिक व्यापार है, सरकार को इससे मुंह मोड़ना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जिन जिलों के लिए घोषणा की गई है, उनके बराबर की लाइन वाली पट्टियों में शराबबन्दी की घोषणा नहीं की गई है। इधर से उधर जाकर शराब पीयेंगे। यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जहां एक जिले में शराबबन्दी की घोषणा की गई है उसके बराबर के जिले में उतनी ही ज्यादा दुकानें खोल दी गई हैं। यह शनैः शनैः शराबबन्दी का कार्यक्रम नहीं है। आने वाले बजट में मुझे सम्भावना है कि शराब की बिक्री की बढ़ोतरी की घोषणा की जायेगी जब कि कार्यक्रम यह होना चाहिये था कि सरकार को शराब से बिल्कुल मुंह मोड़ लेना चाहिये। जो गलत काम है वह सर्वथा गलत है। यदि मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
मेरे बेटे को यह नहीं कहूंगी कि चोरी करके ला, मेरा पेट पाल। यह अनैतिक व्यापार है। शराब की आय, चोरी और वेश्यावृत्ति जैसी आय है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कोई भी मंत्रीगण कुछ नोट नहीं कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : स्मरण शक्ति तेज है।

श्री सभापति : हो सकता है उनकी धारणा तेज हो।

एक माननीय सदस्य : हृदय में नोट कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या ऐसा नियमों में प्रावधान है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह कहना चाहूंगी कि वेश्यावृत्ति की आय, अनैतिक कार्यों की आय से भी गिरी हुई शराब की आय है। सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि इस गलत रास्ते को न पकड़े, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

इसी संदर्भ में मुझे यह कहना है कि पैरा 39 में यह कहा गया है कि गंगानगर शुगर मिल्स के आधुनिकीकरण हेतु 1 करोड़ 62 लाख रुपये की योजना तैयार की गई है। क्या यह योजना शराब को बढ़ाने के लिये की गई है? यह इसमें स्पष्ट नहीं किया है लेकिन इतना स्पष्ट है कि राज्य सरकार बाहर की बनी हुई शराब ही नहीं, अपने यहां की शराब की पैदायश ज्यादा बढ़ाकर लोगों को अनैतिकता की ओर बढ़ा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगी, कुछ ही शब्द में अपनी बात कहना चाहूंगी। आपकी घंटी बजते ही एक शेर याद आया—

लब पे तोबा है
हाथ में सागर
दोहरा गुनाह करता हूं

मैं इस सरकार को आगाह करना चाहती हूं कि हमें आने वाले समय के लिये सोच लेना चाहिये, अप्रेल में जो ठेके दिये जायें, वे न दिये जायें। मैं यह भी कह देना चाहती हूं कि पिछले दिनों जो गलत तरीके से बनने वाली शराब के कारण रैगरों की कोठी पर मौतें हुईं, उनको भी याद रखें। वे भी हमारे भाई थे, वे भी किसी के बेटे थे। इस तरह की शराब पीकर मौत न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे समाज का कितना उत्थान होगा। केवल शासन व्यवस्था बनाये रखने का ही नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करने का दायित्व भी हमारा है। जनता सरकार इस से मुंह मोड़े..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और··

श्री सभापति : एक मिनट।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी, पिछली बरसात में हमारे जयपुर जिले और राजस्थान में अनेक विलेज टैंक टूट गये। गांवों में पानी के तालाबों की क्षति हुई है इसलिये मवेशियों के लिये पानी नहीं रहा और कुओं में सीम नहीं रही।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
जहां पानी की कमी आती थी, वहां पानी की व्यवस्था नहीं की गई। जयपुर में 17 लाख रुपये बांधों की मरम्मत के लिये मन्जूर किये गये। दूसरी बरसात आने को है, अब उन बांधों की मरम्मत का कार्य क्या होगा। मार्च में पैसा लैप्स हो जायेगा। जहां 80 प्रतिशत लोगों की बात होती है वहां गांव वालों का आप ध्यान रखें। मैं कहना चाहूंगी, राजस्थान भर के जो राहत कार्य हैं उनकी ओर अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी, महिलाओं के रोजगार के लिये इसमें कुछ उल्लेख नहीं है, कोई राहत नहीं दिखलाई देती है। हमारे यहां की महिलायें बेशक कुछ कम पढ़ी-लिखी हैं लेकिन जो कुछ भी पढ़ी लिखी हैं वे भी इधर-उधर मारी-मारी फिरती हैं। इसके लिये व्यवस्थित योजना बनाई जानी चाहिये थी। राजस्थान में इसका सर्वथा अभाव है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगी, मैंने मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि पेन्शन की जो राहत दी है उसके लिये धन्यवाद देती हूं। उनको ध्यान दिलाया था कि हमारे यहां वृद्धा पेन्शन नहीं है, कुछ महिलायें ऐसी भी होती हैं जो 30-35 साल की उम्र में विधवा हो जाती हैं। उनकी आय का कोई साधन नहीं रहता इसलिये वृद्धा पेन्शन होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्या !

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो मिनट में मेरी बात समाप्त करती हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी बात तो समाप्त कर दूं।

मैं कहना चाहूंगी, वृद्धा पेन्शन के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये। जहां अपाहिजों के लिये आप सोचते हैं, जहां आप आश्रितों के लिये सोचते हैं तो यह भी सरकार का दायित्व है कि इस तरह की विधवाओं के लिये भी पेन्शन का एक कोष निर्माण करें। मैंने इसके लिये मुख्य मंत्री महोदय को 201) रु. प्रारम्भिक कोष बनाने के रूप में भी दिये हैं लेकिन उसके आगे क्या प्रगति हुई, इसकी सूचना मुझे अभी तक नहीं मिली। वे किस प्रकार इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं ?

मैं स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहूंगी। इस तरफ भी माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आप सिर पर मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति के लिये क्या कदम उठा रहे हैं? सरकार क्या कदम उठाने जा रही है जिससे यह प्रथा समाप्त हो। जो गन्दा काम करें हम उन्हें अछूत कहें और उनके साथ छुआ-छूत का व्यवहार रखें, यह आज के युग में कतई उचित नहीं है। आपने तीन तीन मील तक कालोनियां बसाई हैं, यह गलत किया है लेकिन यह भी गलत होगा कि आने वाले समय में हम इस प्रथा को समाप्त न करें। समाज में सदियों से चला आ रहा यह कोढ़ एक दिन में दूर नहीं होगा। इसको धीरे धीरे दूर करने के हमको प्रयास करने होंगे और इस गन्दी प्रथा को समाप्त करना होगा।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं केवल एक मिनट का समय चाहूंगी–

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मैं प्रार्थना करूंगा, आप समाप्त करिये।

माननीय सदस्या, मैं बहुत अदब से रिक्वेस्ट करूंगा।

श्री कौशल किशोर जैन !

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, युग की गति से देश, जमाना चलता है।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के पंचायत मंत्री महोदय को जिन्होंने 13 साल से चलती हुई जो पंचायतें भ्रष्टाचार और अनाचार में लिप्त थीं, उन पंचायतों के चुनाव करा कर राजस्थान में, भारत के पंचायती राज में एक कीर्तिमान कायम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को जिन्होंने राजस्व अभियान चलाकर, अन्त्योदय की योजना चलाकर, 2 अक्टूबर, 77 को गांधी जी के नाम को साक्षी करके कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, बी. डी. ओ. से लेकर ग्राम सेवक तक और चाहे कलेक्टर हो, एस. पी. हो, बी. डी. ओ. हो, पटवारी हो, गिरदावर हो, ग्राम सेवक हो, सबको जिला मुख्यालयों पर गरीबों की भलाई के लिये भेज दिया। मुझे याद है गरीब व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति जिला मुख्यालयों के कितने चक्कर लगाते थे, कितने तहसीलों के गरीब लोग चक्कर लगाते थे लेकिन उस समय न कलेक्टर को उनसे मिलने की फुर्सत थी, न तहसीलदार को मिलने की फुर्सत थी, न किसी अन्य अधिकारी को उनसे मिलने की फुर्सत थी। जनता राज्य के आते ही, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के आते ही राज्य में चाहे कलेक्टर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे गिरदावर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे बी. डी. ओ. हो और चाहे ग्राम सेवक हो सब जन-प्रतिनिधियों को साथ लेकर राजस्व सम्बन्धी सारे मामलों को निपटा रहे हैं। गरीब लोगों को घर बैठे ऋण का भुगतान किया है। भारत के इतिहास के अन्दर, राजस्थान के इतिहास के अन्दर यह पहला अवसर था जब गरीबों को उनकी कुटिया पर न्याय मिला, उनके चौपाल पर न्याय मिला। मैं इस बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। अपने अपने क्षेत्रों के विधायकों ने गांव गांव में जाकर, चौपाल लगाकर, पेड़ों के नीचे बैठकर राजस्व के मामले निपटाये हैं। अतः मैं उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

मैं राजस्थान के राज्यपाल महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना कृपापूर्वक अभिभाषण दिया उसमें पर्यटन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं। राजस्थान पर्यटन का केन्द्र है। जनता सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से एक ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार किया है और वह 8 माह में ही हमारे सामने आया है। राजस्थान के राज्यपाल महोदय जब चित्तौड़ पधारे थे तो चित्तौड़ के पद्मिनी के महलों को देखकर, पद्मिनी के महल के शीशे को देखकर पूछा

(श्री कौशल किशोर जैन)

जो भारत के इतिहासकार पद्मिनी को देखने वाले ये शीशे क्या बताते हैं। उन्होंने उस सत्य को स्वीकार किया है। उन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग में भाषण करते हुये कहा था ये शीशे उस जमाने की सत्यता को बताते हैं। मैं निवेदन करूंगा, जनता सरकार ने पर्यटन पर और चित्तौड़ की कला पर ध्यान दिया है। 30 साल से यह पर्यटन केन्द्र कांग्रेस की सरकार के ध्यान में नहीं आया लेकिन जनता सरकार चित्तौड़ को पर्यटन के क्षेत्र में ले आई।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री श्री पुरुषोत्तम कौशिक जब उदयपुर के वनों को देखने के लिये पधारे तो रास्ते में एकलिंग जी के मन्दिर, जो उदयपुर से 13 मील दूर है, की स्थापत्य कला को देखकर हमारे केन्द्रीय मन्त्री जी ने कहा था, मेरा दुर्भाग्य है कि यह इस रूप में देखने को मिल रहा है। 30 साल के अन्दर यह चिन्ता नहीं की गई कि इसको पर्यटन केन्द्र बनाया जावे। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से सास-बहू का मन्दिर है, राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से हल्दीघाटी का मैदान है, राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से गोगुन्दा में बनी महाराणा प्रताप की छतरियां हैं जो उदयपुर से 22 मील दूर हैं। राजस्थान के इतिहास में ये कई पर्यटन के स्थान हैं लेकिन पिछली सरकार ने कभी यह चिन्ता नहीं की कि इनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जावे। उदयपुर की पाल पर महाराणा प्रताप और मानसिंह का मिलन हुआ था, महाराणा प्रताप ने मानसिंह को भोजन पर निमन्त्रण दिया था और मानसिंह ने मना कर दिया था। वहां पर आज महाराणा प्रताप की समाधि बनी है, उस पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया था। वहीं पर महाराणा प्रताप का शेष जीवन व्यतीत हुआ। मैं निवेदन करूंगा, पर्यटन का यह विकास हमने सोचा है।

इसी प्रकार राजस्थान में रणकपुर का मन्दिर है। रणकपुर बढ़िया स्थान है। आज से चार सौ साल पहले उस पर 29 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। आप अन्दाज लगाइये, कितना भव्य स्थान होगा वह।

अब मैं एक बात कह कर अपनी बात पूरी करूंगा। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जब गौर से अध्ययन किया तो लगा कि राजस्थान की आबादी में 33 लाख आदिवासी हैं, जन जाति के व्यक्ति 12.1 प्रतिशत हैं और 33 लाख में से 20 लाख लोग उदयपुर डिविजन में रहते हैं। 30 साल से इन आदिवासी जातियों पर और जन जातियों पर कोई विचार नहीं किया गया। ये आदिवासी जाति और जन जाति के लोग उदयपुर डिविजन के ही नहीं राजस्थान के जंगलों के मालिक हैं। जागीरदारों को जागीरों का मुआवजा मिल गया, 30 साल में जिनकी छोटी सी जागीर थी, उनको तो मुआवजा दिया गया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग गरीबों के मसीहा बनते हैं 'मोहनलाल सुखाड़िया ने कत्थे के जंगलों को उस प्रभावशाली व्यक्ति को दे दिया, जिसने उदयपुर में सिनेमा बनाया लेकिन पानरवां के जंगल आदिवासियों को नहीं दिये। जनता पार्टी ने पहली बार घोषणा की है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का निगम बनाकर उनके हकों की रक्षा की जाएगी। यह सिद्धांत

(श्री कौशल किशोर जैन)

पहली बार स्वीकार किया गया है कि वनों का वास्तविक मालिक बनवासी है। वनों से पाई जाने वाली लकड़ी, वनों से पाया जाने वाला कत्था, वनों से पाया जाने वाला गोंद और वनों से प्राप्त होने वाली अन्य वन सम्पदा का वह मालिक है।

मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार को, माननीय सभापति।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

महोदय, गत तीस सालों में इन वनवासी लोगों ने, इन आदिवासी लोगों ने, जन जाति के लोगों ने जितनी भी जंगलात की जमीनों पर कब्जा किया है, उस जमीन को जंगलात से निकाल कर दें। माननीय राजस्व मन्त्री जी यहां पर बिराजमान हैं, मैं उनसे खास तौर से निवेदन करूंगा कि उस जमीन को जंगलात से निकाल कर...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह आपको कैसे मालूम हुआ कि उनको मालिक कर दिया है? यह घोषणा कब हुई? यह कब गजट में आया हुई है?

श्री कौशल किशोर जैन : आपको मालूम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह जो जमीन है उस जमीन को...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अब इस जुमले को पूरा कर लीजिये।

श्री कौशल किशोर जैन : उस प्रकार की जितनी जमीन आदिवासियों को प्रदान की है, मैं सूची प्रस्तुत कर सकता हूं इसके समर्थन में कि घरियावद के जंगलों में उदयपुर के कितने लोगों ने कब्जे किये हैं। मैं बता देना चाहता हूं जनता सरकार को कि बड़े-बड़े लोग, जो कांग्रेसी कहलाते हैं, जो आज तक प्रधान रहे हैं, सरपंच रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, कांग्रेस के मिनिस्टर रहे हैं, इस सूची में अग्रगण्य हैं। उन सबने जंगलात की जमीन पर जो कब्जे किए हैं उनसे वापस निकलवा कर गरीब आदिवासियों को वह जमीन दें। मैं स्वागत करूंगा उस कमेटी का जिसने इस प्रकार की रिपोर्ट मांगी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री मूलचन्द डागा : किसने मांगी है रिपोर्ट? यह तो आप उनकी रक्षा कर रहे हो।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय डागा जी, आप मुझे बोलने दें। सभापति महोदय, मुझे दो मिनट का समय दें तो मैं इनकी बात का उत्तर दूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मुझे दो मिनट का समय दें। मैं इनकी बात का उत्तर देना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री मदनसिंह दांता !

श्री कौशल किशोर जैन : अन्त में मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात पूरी करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर कुछ टिप्पणी करूं उससे पहले मैं उस घटना विशेष का उल्लेख करना चाहता हूं, उस वार्ता का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि हमारे डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय से की। यह सदन में पहला टाइम था जब ऐसी बात हुई। खैर, अच्छी बात है, अच्छी परम्परा है और हमारे अध्यक्ष महोदय ने उनको इजाजत दी।

श्री हरिश कुमार शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वरिष्ठता के आधार पर नए सदस्यों की भावना पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, जो पक्षपात किया जा रहा है, इस नाते मैं सदन से बहिर्गमन करना चाहता हूं। इनसे पहले मेरा नाम था, अब मेरा नाम पीछे कैसे रह गया। मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री मदन सिंह दांता : माननीय सदस्य ने मांग की और मांग रखवाई कि जो कांग्रेस के लोग हैं उनके मन पर बहुत कुठाराघात हुआ है क्योंकि उनसे उनका झण्डा छीना जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह कांग्रेस का वह झण्डा था जो त्याग और बलिदान का प्रतीक था, सिद्धान्त का प्रतीक था। राजाओं के भी झंडे थे, जब उनसे भी त्याग और बलिदान नहीं हुआ तो उनके झण्डे की भी कोई कीमत नहीं रही। वे उसको समझ नहीं सके तो उनका झण्डा भी नहीं रहा। गांधीजी ने कभी भी यह नहीं मांग की थी कि उनका झण्डा रहे। इसलिए मैं इन माननीय सदस्यों को कहूंगा कि यदि उनमें इतनी हिम्मत हो कि वे अपना झण्डा ऊंचा रख सकें तो उस झण्डे के लिए त्याग और बलिदान करना चाहिए। त्याग और बलिदान के बिना अगर वे उस झण्डे को लेकर चौपड़ पर खड़े होंगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे कि × × × झण्डे के पीछे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय में कुछ कहना · · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि ये × × × अल्फाज हाउस की डिग्निटी के लिए उचित नहीं है। इनको एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री नरेन्द्रपालसिंह : ऐसे लोगों ने यहां पर मांग की थी इसलिए यह सब कहना पड़ा है····

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, यह तो मुहावरा है कि × × × शोभा नहीं देती है···

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्या से गुजारिश करूंगा कि वे तशरीफ रखें।

श्री गुल मोहम्मद : सभापति महोदय, ये कोई असंसदीय शब्द नहीं हैं इसलिए इनको एक्सपंज नहीं किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : आसन की रूलिंग होने के बाद इन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : ये असंसदीय भले ही नहीं हों, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये शब्द बोलना ठीक भी नहीं था।

× × × अभिव्यक्ति उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मदनसिंह दांता)

सभापति महोदय, गवर्नर साहब को भाषण के लिए धन्यवाद देते हैं इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। पालियामेंट्री सिस्टम में हम देखते हैं कि विरोधी लोग जो भी हों, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो या आपकी गवर्नमेंट चलती हो, फिर भी उनकी जैसी मर्जी होती है वैसा कह कर और कुछ भी टिप्पणी करके धन्यवाद प्रस्ताव की खिलाफत करते हैं चाहे गवर्नमेंट कितना ही अच्छा काम करे। इसलिए इस बात में कोई खास महत्व नहीं है कि धन्यवाद दें या नहीं।

अन्त्योदय योजना के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। यह एक योजना है, यह अभी कार्य रूप में परिणित नहीं हुई है। अभी यह योजना है। इसकी कैसे शुरुआत करें, कहां से करें, इसका एक एक्सपेरीमेंट था जिसमें सभी का सहयोग लिया था। एक महीने तक तहसीलदार आए, कलेक्टर आए और सम्पूर्ण सरपंच थे, प्रधान थे, जिसमें विरोधी भी थे, और भी थे और हमसे भी पूछा गया था कि और कोई आइटम हो तो बतावें। मुझे पता नहीं, किन-किन सदस्यों ने भाग लिया या कौन कौन उपस्थित थे। मैं सीकर जिले की बात जानता हूं। हमारे जिले के जितने सदस्य थे कांग्रेसी भी थे, हम भी थे। हमने रात दिन काला किया, हम रात भर गांवों में रहे। उसमें एक बात जरूर हुई कि पटवारियों को, राज्य कर्मचारियों को जो मौका मिलता था कुछ खराबी करने का वह मौका उनको नहीं मिला। रात को हमारे सी. आई. डी. घूमते थे और रात को तलाश करते थे कि किस के पास जमीन है और किसके पास नहीं है। कइयों की जमीन जोड़ी गई, कइयों के करेक्शन हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा, राजस्व अभियान के अन्दर फायदा अगर किसी को हुआ है तो वह माताओं और बहिनों को फायदा हुआ है। यह पहला टाइम था राजस्थान के अन्दर जिस वक्त कि माताओं और बहिनों के नाम राजस्व में जमीन लिखी गई है। वे तो आज तक रोती थीं कि लड़का माता को रोटी नहीं देता था, किसी बहिन को भाई जमीन नहीं देता था। ऐसे सैंकड़ों केसेज थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हजारों और सैंकड़ों माताओं और बहिनों के नाम जमीन रजिस्टर हुई है ताकि वे आराम से रह सकें। कइयों ने रात को अपनी माता के पांव पकड़ लिए कि हम तुमको रखेंगे, तुम हमारी माता हो, अपने नाम जमीन मत लिखाओ लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम तो इस योजना में जमीन लेंगी।

दूसरा अन्त्योदय योजना के बारे में, पहले भी बजट भाषण के दौरान मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि आप पैसे का प्रबन्ध करके इस काम को शुरू करना। उन्होंने काम शुरू कर दिया इस आधार पर कि कुछ हम करेंगे कुछ जनता मदद करे। जनता कुछ मदद करेगी। वह मदद किस तरह की हुई। बड़ी कठिनाई अभी तक चल रही है। बैंक के मैनेजर को इजाजत नहीं है कि वह कर्ज दे दे। कलेक्टर ने भी बहुत दबाव दिया लेकिन वे कहते हैं कि हमारे इस तरह का प्रावधान है बैंक के अन्दर कि जिसके पास पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है और कोई साधन नहीं है तो कर्जा नहीं दे सकते। हम सबने उनकी जमानत दे दी। दो दो लाख की जमानत दे दी, अब हमारा क्या होगा यह तो

(श्री मदनसिंह दांता)

पता नहीं। उनके पास पैसा जरूर पूग गया। उनकी जमानत सरपंच और विधायक ने दी है। यह बड़े अफसोस की बात है कि योजना तो रखी लेकिन पैसा नहीं रखा। ओल्ड-एज पेंशन हुई, अन्त्योदय योजना शुरू हुई लेकिन पैसे की वजह से काम नहीं हो सका। बाकी पनवाड़ी को पैसा मिला है, चाय वाले को पैसा मिला है, लड्डे वाले को पैसा मिला है। कुछ राज्य कर्मचारी जो पुराने ढंग के थे उन्होंने जनता पार्टी को बदनाम जरूर किया है। हमारे यहां के नायब तहसीलदार, हमारे यहां का वेटेनेरी के डाक्टर के बारे में मैंने खुद भैरोंसिंह जी से शिकायत की और कहा कि इस तरह के व्यक्ति होंगे तो यह योजना चलेगी नहीं। उसकी शिकायत माननीय मन्त्री महोदय नोट कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने तत्काल वहां से हटाया। मैंने कहा . . .

श्री कैलाश मेघवाल : यह व्यक्तिगत बातें यहां नहीं बोलें।

श्री मदनसिंह दांता : यह व्यक्तिगत बात नहीं है। इसी तरह से मास्टर जी ने रेवेन्यू में ट्रान्सफर किये। आठवां दिन नहीं बीता कि फिर आ गये। इस तरह की ××× चल रही है। मैं निवेदन करूंगा . .

श्री सुरेश कुमार : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ××× शब्द प्रयोग किया है। यह असंसदीय है इसे हटाया जाये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसकी जगह क्या हो, आप ही बता दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह इस मौके पर नामुनासिब है। इसको हटाया जाये।

श्री मदन सिंह दांता : दूसरे दल उनकी ही खिलाफत कर रहे हैं. उसको क्यों तब्दील किया। हमारे यहां तीन थानेदार थे। नामी खाने वाले और चोरियां कराने वाले उनको तब्दील किया, उसके बाद तीन दिन में ही आकर कहा कि दबाव पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा प्रजातन्त्र में दबाव आता है। वह नहीं होना चाहिए। जो दबाव खाते हैं उन्हें हट जाना चाहिए। जो घोटाले हुए हैं, वह कुछ दबाव से हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं। जिस वक्त चार्ज लिया गृह मंत्री का, तो जो गृह मंत्री के पास आया उसी के लिये लिख दिया। आई. जी. पी. हैं लेकिन उनको कोई पता नहीं।

श्री सुरेश कुमार : माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय प्रो. केदार यहां नहीं हैं। उन पर यह आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्री मदन सिंह दांता : मेरा यह प्रस्ताव है। हमारे मिनिस्टरों को यहां रहना चाहिए।

सारे कर्मचारी थे उनमें विश्वास पैदा हुआ। एक सिपाही भी जाकर उनसे मिल सकता था। आई. जी. पी. जैसे स्तर के आदमी को हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत बुरे जवाब दिये हैं। मैं समझता हूं कि वह इरादा करें तो अपने अधिकार से आई. जी. पी. को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के शब्द कहे जायें, यह नहीं होना

××× शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री मदनसिंह दांता)

चाहिये । इसका मुख्य मन्त्री को और सबको ध्यान रखना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपके नीचे के अफसर हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार गया। मैं यह सोच रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री यह सोच रहे होंगे कि कांग्रेस शासन कर रही थी, वह हट गई तो भ्रष्टाचार भी हट गया। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। भैरोसिंह जी ने सोचा होगा हम तो उधर नहीं बैठते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के आचार्य प्रशासन में हैं। अण्डर ग्राउण्ड वाटर वर्क्स के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जिस रोज वह मुख्य मंत्री बने तो मैंने उनसे कहा, ढड्ढा के बारे में क्या ओपीनियन है। तो उन्होंने कहा कि उनके तो खाते भरे पड़े हैं। माननीय खेतसिंह जी को बुलाया था। पूछा, यह कैसा आदमी है? तो उन्होंने कहा, आदमी तो भ्रष्टाचारी है। जब आपके नीचे आदमी था तब आपको मालूम था कि वह कैसा आदमी है। गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं। गवर्नमेंट के पास सारे कागज हैं। खेतसिंह जी का जैसे मैंने नाम लिया उन्होंने इसको लगाये रखा था। खेतसिंह के लिए तो यह सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी थी। खेतसिंह जी ने जब पार्लियामेंट चुनाव लड़ा तो ढड्ढा साहब ने जीपें भेजीं। गाड़ियां भेजीं। 29–6–77 को जब उनके राज्य का सूर्य अस्त हो रहा था तो खेतसिंह जी ने 80 हजार रुपया लेकर 8 आफिसरों को प्रमोशन दिया ।

(व्यवधान)

कोटा के अन्दर 5 लाख का घोटाला हुआ है, उसकी भी जांच नहीं हुई है। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया को गलत सर्टिफिकेट दिये हैं प्रमोशन के लिए। इसी प्रकार से ड्रिलिंग मशीन का मामला है। गवर्नमेंट जमीन पर बिल्डिंग बना रहे हैं। इस विभाग में एक केमेकल आफिसर है दास-गुप्ता जो रशिया और अमेरिका से कोर्स करके आये हैं लेकिन वह 5 साल से बैठे हुये हैं। आज ढड्ढा हर हफ्ते हवाई जहाज से जाते हैं। मैं चाहूंगा कि भैरोंसिंह जी इसके बारे में ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री मदन सिंह दांता : अब मैं पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में ऐसे इलाके हैं, जिनको रीयलिटी में प्रायोरिटी मिलनी चाहिये। जहां तीन मील दूर से पानी लाते हैं वह दो गांव हैं, मुण्डा और भेड़जा । यह ऐसे गांव हैं, जहां तीन मील दूर से पानी लाते हैं। मुण्डा में वह कहते हैं कि हम योजना चलायेंगे। एक नाथूसर गांव है, बीकानेर जिले में शायद महबूब अली जी को मालूम है। वहां 25 हजार रुपया देने को तैयार हैं। यह नोखा में है।

मैं कानसिंह आयोग के बारे में भी कहना चाहूंगा। कानसिंह आयोग इसलिए है कि आपातकाल में सताये गये लोगों के बारे में सुनवाई करे। एक टोंक का केस है। कानसिंह जी ने कहा कि इस केस को नहीं लेते हैं। मैं भैरोंसिंह जी के पास गया जब उन्होंने भेजा तो फिर कह दिया कि इसका तो

(श्री मदनसिंह दांता)
आपको ही अधिकार है । जब कार्नसिंह आयोग गवर्नमेंट की ओर से सुनवाई करने के लिए है तो अच्छे केसेज को उनको लेना चाहिए । जाति से कोई मतलब नहीं है । यह नहीं है कि किसी मुसलमान ने शिकायत कर दी तो वह नहीं लें । वेरी रेयर केस है तो लेना चाहिए । दोनों के अधिकारों की लड़ाई में हम डूबे जा रहे हैं ।

मुख्य मंत्रीजी इस पर भी ध्यान दें कि एडमिनिस्ट्रेशन या देश या कोई भी शक्ति, जनशक्ति विदाउट प्रिन्सिपल नहीं चल सकती । मैंने सबको देखा हुआ है । जनसंघ गया, रामराज्य गया · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कांग्रेस के चार टुकड़े हो गये । खुदा के लिए आपका जो एक ढांचा बना हुआ है, उसको तोड़ें नहीं । एक जनता पार्टी बनी हुई है, मामूली-सी मिनिस्ट्री के लिए इतना होहल्ला करके आप तोड़ देंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप काफी टाइम ले चुके हैं ।

श्री मदनसिंह दांता : अच्छा !

श्री सभापति : Thank you. जीथिग भाई ।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का न तो समर्थन किया है और न विरोध ।

श्री रामकरणसिंह : सभापति महोदय, मैं आसन से बहुत ही अदब के साथ अर्ज करूंगा कि मैंने संशोधन प्रस्ताव दिया है । क्या वर्तमान कानून में कोई हेर-फेर हो गया है कि संशोधन देने पर भी बोलने नहीं दिया जायगा । इसके बारे में आप अपनी रूलिंग फर्मा दीजिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद शुरू होने से पहले और उसके बाद भी आज दूसरा, तीसरा दिन है । अब आप अमेण्डमेन्ट का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि · · ·

श्री रामकरणसिंह : मैं सोच रहा था कि आसन इस बारे में विचार कर रहा है । मुझे लगा कि विचार नहीं किया गया तब मजबूर होकर मुझे आसन को जगाना पड़ा । इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं और जगा रहा हूं कि इस बारे में आप रूलिंग दें कि जो परम्परा अब तक चली आ रही है वह अगर सही है तो इसके अनुसार आप मुझे बोलने दें । और वह परम्परा सही नहीं है तो वैसा फर्मा दें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आसन ने रूलिंग दे दी है ।

श्री सभापति : श्री जीथिग भाई !

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वर जी !

श्री जयकृष्ण शर्मा : आसन ने क्या व्यवस्था दी है, आप कह दीजिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप सुन लीजिये, हमारे तो कान हैं ।

Page No 60

(60)

श्री सभापति : मैंने अर्ज किया कि कोई तरमीम पेश की है तो उसको दो-तीन रोज तक प्रेस नहीं किया। इस वजह से आपको पर्मिशन नहीं दी जा सकती। जुडिशियरी का यह तरीका भी है कि कोई डिले हो जाता है तो–it is ordinarily delayed.

श्री रामकरण सिंह : मैं आपकी रूलिंग को मानता हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि जब शासन इस बात को मानता है तो फिर शासन इस परम्परा को नहीं तोड़े। मजबूर होकर बहुत ही लाचारी के साथ किसी को अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं हो, मैं यही अर्ज करूंगा।

श्री सभापति : जब भी मौका आयेगा, गौर किया जायेगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, अभिभाषण में कई बातें कही गई हैं, उनमें से 13 साल के बाद में जो पंचायत चुनाव का कार्यक्रम इस जनता सरकार ने किया यह एक सराहनीय वर्क है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान की जनता छोटे-छोटे गांवों में और छोटी-छोटी ढाणियों में बसने वाली है, उसने 13 साल में अनेक बार यह सुना कि पंचायतों के चुनाव कराये जायेंगे। इस बार घोषणा हुई, उसके बाद भी उनको आशंका थी कि शायद पंचायत राज के मामले में जनतन्त्र राजस्थान में खतम हो चुका है। इसके लिए मैं जनता सरकार को और पंचायत मन्त्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि 13 साल के बाद में पंचायतों के चुनाव करवाये। इसके लिए ग्रामीण जनता और राजस्थान की जनता आपकी आभारी है।

दूसरी राजस्व अभियान की बात है, इसके संदर्भ में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि भ्रष्टाचार चल रहा है। जहां तक राजस्व अभियान का सवाल है गांव-गांव के अन्दर अलाटमेन्ट कमेटीज बनीं, गांव-गांव में एस. डी. ओ. गये और दफा 91 के केसेज को, रेगुलेराइजेशन के केसेज को निपटाया जो कि लाखों की संख्या में हैं। नामान्तरण के मामले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चौमू क्षेत्र में 2 हजार 9 सौ मामलों को तस्दीक किया गया, यह मुझे देखने का मौका मिला। भूतपूर्व सरकार जब शासन में आई थी उससे पूर्व के यह मामले चले आ रहे थे। उनका कम्पलीशन किया गया इस राजस्व अभियान के दौरान।

एक और अच्छी बात ओल्ड एज पेन्शन के बारे में हुई। जनता पार्टी की सरकार ने जिनके घरों में कमाने वाले नहीं हैं, उनको घर-घर से ढाणियों से बुलाकर ओल्ड एज पेन्शन सैंक्शन की। तीस साल के अन्दर, यह पहला अवसर था जब जनता सरकार ने ओल्ड एज पेन्शन देने का कार्य किया।

जहां तक अन्त्योदय योजना का सवाल है, यह एक बहुत अच्छी योजना है। बहुत अच्छा कदम है। लेकिन, सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसमें जिस गति से कार्य होना चाहिये था उस गति से कार्य नहीं किया गया।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

मैं तो ग्रामीण जनता से चुनकर आया हुआ विधायक हूं इसलिए ग्रामीण जनता के बारे में ही आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि जहां तक विद्युत विभाग में घोटाले का प्रश्न है और जिसकी चर्चा विधान सभा के पिछले सत्र में भी बहुत की गई थी, मैं उसके सम्बन्ध में माननीय विद्युत् मन्त्रीजी को और जनता सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि विद्युत् उपभोक्ताओं को जो कन्सेशन्स दिये गये हैं वह पहले तीस सालों में कभी नहीं दिये गये। जहां तक लोड-फैक्टर का सवाल है, इमर्जेन्सी के पीरियड में किसी · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

का कनेक्शन डी. सी. हो जाता · · · · · ·

सभापति महोदय मेरे को बहुत कम टाइम मिला है।

श्री सभापति : सात मिनट हो चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : लोड फैक्टर में तीन महीने के बजाय 6 महीने किये गये हैं। इस प्रकार से कई ऐसी चीजें हैं जिनके लिए जनता पार्टी की सरकार धन्यवाद की पात्र है।

जहां तक मीटर व्यवस्था का सवाल है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने तेजपुरा गांव में घोषणा की थी कि राजस्थान के कृषक उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए मीटर व्यवस्था हटाई जाकर दूसरी व्यवस्था की जायेगी। इस बात का जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा नम्बर 33 में भी आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिंग आदि के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाई को देखते हुए सरकार कृषि कार्यों में विद्युत् की रेट पर फ्लेट रेट लगाने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। इसी संदर्भ में जो और कार्य किया गया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं मौके पर जाकर आया हूं, इसलिए राज्य सरकार के माननीय विद्युत् मन्त्रीजी को स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं।

राजस्थान में पचास वेटरनरी हास्पिटल खोले गये और उनमें से तीन जयपुर जिले को दिये गये लेकिन दुर्भाग्य है कि तीन में से दो जयपुर में दिये गये, एक पुरानी बस्ती में और दूसरा हीरापुरा में। इस बात का दुःख है, मैं आपके माध्यम से यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि जयपुर जिले की जमुवा-रामगढ़ पंचायत समिति में एक भी वेटरनरी हास्पिटल नहीं है। इसी तरह से जयपुर जिले की सबसे बड़ी पंचायत खेजरोली चौमू पंचायत समिति की जो है वहां पर बारह सौ की आबादी है। उन लोगों में निराशा हुई कि राज्य सरकार उन गांवों को नेग्लेक्ट कर रही है और शहरी क्षेत्र में वेटरनरी हास्पिटल खोल रही है जहां पर पहले ही खोले हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार भी भूतपूर्व सरकार के रास्तों पर चलने जा रही है।

मैं कहना चाहूंगा कि जहां सस्ता न्याय सुलभ करने की बात आती है, राजस्व मण्डल, अजमेर में जो विचाराधीन मुकदमे पड़े हुए हैं उनकी संख्या को मद्दे नजर रखा जाय और जयपुर डिविजन के मुकदमों की

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)
संख्या देखी जाय तो जयपुर पहला डिविजन है जिसके सर्वाधिक मुकदमे हैं। जयपुर कलेक्टोरेट में जो रेवेन्यू बोर्ड की बेंच चल रही हैं उसमें एडमीशन और स्टे आर्डर की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए ग्रामीण जनता को उसके लिये अजमेर जाना पड़ता है और अजमेर में मुकदमे तय होते हैं। इसलिए मैं सरकार को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जयपुर डिविजन के भारी संख्या में मुकदमे आते रहते हैं इसलिये जयपुर डिविजन में इसकी एक बेंच होनी चाहिये चाहे अलवर में हो, चाहे सीकर में हो, चाहे जयपुर में हो, इसकी बेंच स्थायी रूप से होनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, यह ग्रामीण क्षेत्र की बात है, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। कृषि उपभोक्ताओं से जहां 25 पैसा प्रति यूनिट लिया जाता है वहां उद्योग-पतियों से बिजली के न के बराबर पैसे लिए जाते हैं, यह भेदभाव नहीं है?

शहरों में देखते हैं जहां 5 प्लाट्स हैं, वहां प्लाट्स बाद में बनते हैं, सड़कों का निर्माण पहले होता है। अभिभाषण के अंदर 5 हजार की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़े जाने की बात कही है, वहां शहरी क्षेत्र में 10 प्लाट्स को भी सड़क से जोड़ा जाता है। कम से कम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया जाए ताकि राजस्थान के 80 प्रतिशत लोग, जो गांवों में रह रहे हैं, को महसूस हो कि जनता सरकार आने के बाद ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया गया है। इसी संदर्भ में लोकप्रिय प्रधान मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा, हमारे मुख्य मन्त्री ने भी उसका समर्थन किया है लेकिन जहां तक योजनाओं का सवाल है, मैं देखता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों को अभी तक उसी तरह से नेगलेक्ट किया जा रहा है जिस तरह से भूतपूर्व सरकार ने किया

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आधा मिनट।

श्री सभापति : धन्यवाद मोशन पर आप ख्याल जाहिर करें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : शहरों में न्यायालयों का केंद्रीयकरण है। दो उपजिलाधीश हैं जिनके पास शत प्रतिशत मुकदमें ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, चौमू की जनता जयपुर में सिविल व रेवेन्यू के मुकदमों के लिये आने जाने का सालाना 10 लाख रुपया रोडवेज का किराया देती है। इसलिये शहरों के अन्दर जो न्याया-लय हैं वह गांवों के अन्दर खोले जायें। राजस्व मन्त्री, क्या पता क्यों मेरा भाषण समाप्त होने से पहले ही उठकर चले गए हैं। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चौमू में तहसील की स्थापना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री भैरव लाल काला बादल।

(अनुपस्थित)

श्री टीकम चन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : सभापतिजी, महामहिम राज्यपाल के अभि-भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

(श्री टीकम चन्द कान्त)

है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। लगातार तीन दिन से दोनों ओर के माननीय सदस्य बोल रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि बहुत तीव्र गति से हमें व्यवस्थाओं में परिवर्तन चाहिए। 8 महीनों में कुछ नहीं हुआ, 10 महीनों में कुछ नहीं हुआ, 12 महीनों में कुछ नहीं हुआ, ऐसी आवाजें बार बार आ रही हैं। इधर बैठने वाले माननीय सदस्य जब कभी 30 साल का नाम लेते है तो उधर इनके मन में ऐसा गुस्सा आता है कि वे एकदम से उठकर कहते हैं कि बार बार 30 साल का नाम क्यों ले रहे हैं। हम रा जो वर्तमान है वह इनके 30 वर्ष के भूतकाल में से प्रस्फुटित हुआ है अतः 30 साल की बात हम नहीं छोड़ सकते। जब मूल्यांकन की बात आती है, जब अच्छे कामों को समक्ष रखकर तुलना की बात आती है तो आवश्यक है कि हम 30 साल का नाम लें, इनके भूतकाल की बातें इन्हें कहें और अपने कल के बारे में बतायें। 30 वर्ष के शासन के बाद हमें इन्होंने जो व्यवस्था दी है उसके सहारे उस परिवर्तन की बात की जा रही है, जिसकी कल्पना श्री जयप्रकाशजी ने की है, परन्तु यह परिवर्तन एकदम नहीं लाया जा सकता। अगर एकदम परिवर्तन लाया जाए, यदि एकदम व्यवस्था बदलने की बात की जाय, तो उसे जनता किसी भी रूप से स्वीकार नहीं करेगी। व्यवस्था को एकदम बदलने का कदम अलोकतांत्रिक ढंग से उठाना पड़ता है। जब अलोकतांत्रिक ढंग से बदलने की बात आती है तो लोकतंत्र को खतरा पैदा होता है। परिवर्तन आना चाहिए ,लेकिन धीमी गति और सतत् क्रियाशीलता से आना चाहिए। परिवर्तन की गति भले धीमी हो।

सभापति महोदय, उसी चीज को समक्ष रखते हुए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने शासन में आने के बाद में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जाने वाले हैं, हम पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हजार रुपये के नोट बंद किए गए, परन्तु किसी ने वाह-वाह नहीं की, किसी ने नहीं कहा यह समाजवाद का रास्ता है, गरीबों को ऊपर उठाने का रास्ता है। रेलवे बजट पर रेल मंत्री ने कहा कि प्रथम श्रेणी और एयर कन्डीशन की सीटें नहीं बढ़ाई जायेगी, द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में हम गद्दे लगायेंगे, यात्रा में चाहे दो रातें हों चाहे तीन रातें लेकिन केवल 5 रुपये ही लिए जायेंगे, जिस आरक्षण के लिए 50 पैसे थे वह 25 पैसे कर दिये, एक रुपये में रेल में खाना मिलेगा। उसके उपरांत भी 65 करोड़ का रेल बजट में लाभ है। परन्तु किसी ने भी प्रशंसा नहीं की किसी ने भी धन्यवाद नहीं दिया।

इसी प्रकार अन्त्योदय योजना का भी इन्होंने खूब मखौल उड़ाया। इन्होंने कहा यह एक स्टन्ट है। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो अन्त्योदय योजना एक व्यवहारिक और ठोस विचार है, एक भावना है कि हम गरीबों को ऊपर उठाना चाहते हैं। जो वास्तव में पीछे की पंक्ति में बैठे हैं उनको हम उठाना चाहते हैं। परन्तु यह प्रशासन व्यवस्था जो कि इन्होंने हमें दी है 30 वर्ष के शासन के बाद उसके सहारे ये सारे काम नहीं हुए हैं। अन्त्योदय योजना का विचार महान है, परन्तु इसकी प्रशंसा इन्होंने नहीं की । मैं राजस्व अभियान के मध्य गांवों में गया हूं, कैम्प अटेंड किए है, ग्राम सभायें अटेंड की हैं। ग्रामों के सारे लोग वहां मिलते थे सारे फैसले उनके

(श्री टीकम चन्द कान्त)

समक्ष होते थे जैसे 5 गरीब लोगों के चयन की बात हो, या अन्य कोई राजस्व के मामले जिस ढंग से निपटाए गए उनका ये मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये तो गए ही नहीं गांवों में, यह मुझे मालूम है। कांग्रेस के एक साथी से मैंने कहा था कि मैं अन्त्योदय योजना व राजस्व के मामले निपटाने के अभियान में गांव गांव जा रहा हूं, आप जा रहे हो या नहीं। उन्होंने कहा, नहीं। मुझे विश्वास नहीं।

श्री माधो सिंह (रेवदर) : ××× ।

श्री सभापति : ××× शब्द को नोट नहीं किया जाए।

श्री टीकम चन्द कांत: मैंने कहा आप जायें। जो गलत है उसे गलत कहने और विरोधी पक्ष का कर्त्तव्य निभाने यहां बैठे विरोधी पक्ष के लोग गांवों में नहीं गए। लेकिन ग्रामवासियों से पूछा जाये तो कहेंगे कि यह बहुत अच्छा हुआ। आज हर ग्रामवासी इसकी प्रशंसा कर रहा है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, हमारी अन्त्योदय योजना एक बहुत ही सफल योजना रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जल्दी समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि आप उस दल के हैं। हां, मैं उस दल का हूं। मैं जिस दल का हूं और जिस दल ने मुझे जिस कार्य से प्रभावित किया है उसकी मैं प्रशंसा जरूर करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अन्त में मैं मेरे जिले जालोर के बारे में एक और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में अपने विचार प्रगट कर दें। Please.

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं जिस वर्ग से आया हूं उसके बारे में तो दो शब्द निवेदन कर दूं। दो मिनट सिर्फ।

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिये। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : एक मिनट तो बोलने दें।

श्री सभापति : आप मुख्तसर फर्मा दें। बाकी माननीय सदस्यों को भी बोलना है। मेहरबानी करके एक ही मिनट में समाप्त कर दें।

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह गृह मन्त्रालय के बारे में है। मैं यह नहीं कहता कि पहले वाले गृह मंत्रीजी कोई अयोग्य मंत्रीजी थे पर मैं इतना जरूर निवेदन करना करना चाहूंगा कि अभी हमारे मुख्य मंत्री

××× शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री टीकम चन्द कान्त)

जी ने गृह मन्त्रालय को माननीय श्री सम्पत-राम जी को दिया है। उसने लोक मानस को प्रभावित किया है। यहां सदन में कई बार, सभापति महोदय, कई माननीय सदस्य यह कहा करते हैं कि हरिजनों पर और दलित वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। पर यह मैं कह सकता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार आयी है जनता पार्टी के कारण हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत मिली है। इसके साथ साथ जब से गृह मंत्रालय एक अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के पास चला गया है तब से हमारे अनुसूचित जन जाति और हरिजनों का मनोबल बढ़ गया है। लोगों में यह विश्वास पैदा हो गया है कि अब हमारे साथ अत्याचार नहीं होंगे। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो यह काम है वह बहुत ही अच्छा किया है। इसका सभी वर्गों ने और खास तौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों ने स्वागत किया है। मैं इसके लिये मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं और उन्हें इस काम के लिये धन्यवाद देता हूं। वह एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सदन के करीब पचास साठ सदस्यों ने मुख्य मंत्री को उनके इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है। इसके पहले पत्र लिख कर धन्यवाद भी दिया है करीब पचास एम.एल. एज. ने गृह मंत्रालय हरिजन मंत्री को दिया जाय, मुख्य मंत्री जी आपने जो यह निर्णय लिया है उससे समाज की रचना में शक्ति और सम्बल मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं समाप्त कर ही रहा हूं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे देश की जो व्यवस्था है वह बिना परिवर्तन के सुधर नहीं सकती है। आज लोग यहां पर कहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, वह गलत है। कांग्रेस वालों को यह उम्मीद हो सकती है क्योंकि कांग्रेस के पिछले तीस सालों के कुशासन की वजह से हमारे देश में जो राष्ट्र हित के प्रति जागृति आनी चाहिए थी वह नहीं आ सकी। उनके ही कारनामों के कारण हमारा देश एक सुप्त राष्ट्रवादी देश बन गया। सभापति महोदय, एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि सभी अपने ही बारे में सोचने लगे। किसी को भी राष्ट्र के बारे में सोचने का विचार ही नहीं आया। इस पिछले तीस साल के शासन में सिर्फ ऐसे ही नागरिक पैदा हुए। किसान खेत के बारे में सोचता है, अधिकारी और कर्मचारी अपनी कुर्सी और अपने ही परिवार के बारे में ही सोचता है, अन्य किसी के हित के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं समझता। इस तरह से यहां देश में कोई परिवर्तन की बात ही पैदा नहीं हो ऐसा सुप्त राष्ट्र हमारा बन गया। स्टूडेन्ट ने अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा कि उसके कार्यों से राष्ट्र को क्या फायदा हो सकता है और उसका राष्ट्र के प्रति कोई फर्ज है, किस जरिये फर्ज पूरा करना है। यह किसी ने नहीं सोचा। सभापति महोदय, न विद्यार्थी वर्ग ने सोचा, न किसान ने सोचा और न ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सोचा। उन्होने तो सिर्फ एक बात ही सोची कि कैसे पैसा कमा लें। उनके

(श्री टीकम चन्द कांत)
मन में राष्ट्र के प्रति कोई भावना नहीं थी, सिर्फ यही भावना थी कि पैसा कमा कर अपने भवन बना लें या अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को पालें। तो, सभापति महोदय, कांग्रेस शासन में एक निराशा ही पैदा हुई और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया और इसी कारण से हमारा राष्ट्र एक सुप्त राष्ट्र हो गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक विषय पर और बोलना चाहूंगा। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने लाल मुंह करके आर. एस. एस. के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किये। अभी भी कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मैं आर. एस. एस. से संबंधित हूं और मेरी सहानुभूति आर. एस. एस. से है। यह सही है कि मेरी सहानुभूति संघ के प्रति है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यह संघ ही है जो कि हमारे देश के बच्चों का सही निर्माण कर सकेगा। अभी तीन नवम्बर 1977 को पटना में संघ का अधिवेशन था। उसको हमारे देश के नेता श्री जय प्रकाश नारायण जी ने सम्बोधित किया था। उन्होंने संघ को नजदीक से देखा है। उन्होंने यह कहा कि एकमात्र संघ ही ऐसी संस्था है जो कि हमारे राष्ट्र में परिवर्तन ला सकती है। यह मेरे शब्द नहीं हैं, यह जय प्रकाशनारायण जी के शब्द हैं। श्रीमान, उन्होंने भी स्वीकार किया कि संघ ठीक है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जन जाति का सदस्य हूं और मैं जानता हूं कि गांवों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के साथ कितना अत्याचार होता है। मैंने वह जुल्म सहे हैं। लेकिन मैं इस संघ का शुक्रगुजार हूं कि इस संघ ने मुझे अपनाया, इस संघ ने मुझे एक भावना दी और जुल्मों के विरुद्ध लड़ने की शक्ति दी। मुझे स्वाभिमान प्रदान किया। मुझमें यह भावना पैदा की कि जातियों का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव देश के लिये एक कलंक है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। जो भी आपके विचार धन्यवाद प्रस्ताव के प्रति हों वह प्रकट कर दें।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, मैं अपने विचार प्रकट करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं इतनी ही बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि इस सदन में जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है और उसमें जनता पार्टी की सरकार द्वारा किये गये कार्यों के बारे में जो भी कहा गया है उसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल अजीज : धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करना था तो एक ही लाइन में समर्थन करके समाप्त कर देते।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : सभापति महोदय, 28 फरवरी को राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया और उसके ऊपर माननीय सदस्य श्री माणकचन्द सुराना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में रखा उसका समर्थन करते हुए कुछ बातें मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस सदन में बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि जनता पार्टी की सरकार बने आज आठ महीने हो गये हैं किन्तु जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या काम किये। मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले तीस साल तक कांग्रेस शासन में कुछ भी नहीं हो सका। वही विपक्ष के कांग्रेसी माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जनता पार्टी ने आठ महीने में क्या किया? सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से यह स्पष्ट पता लग जाता है कि जनता पार्टी ने क्या किया? जनता पार्टी अगले वर्ष क्या करना चाहती है?

विधान सभा में हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी, जनता पार्टी पंचायतों के चुनाव करायेगी और देश में प्रजातन्त्र को कायम रखेगी। उसी घोषणा के अनुसार हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पंचायतों के चुनाव कराये। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार पिछले 30 वर्षों से शासन में थी और पंचायतों के पंचों और सरपंचों के बलबूते पर हुकूमत में बैठी हुई थी। कांग्रेस सरकार ने जिस पंचायती राज को मृतप्राय कर दिया था उसी पंचायती राज को वापस जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों के चुनाव करा कर जीवित किया। इसके साथ ही सरकार नगरपालिका व सहकारी क्षेत्र में चुनाव कराने की पहल करे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कांग्रेस सरकार प्रति व्यक्ति गांवों में पंचायतों को चार आने अनुदान दिया करती थी वहां हमारी जनता पार्टी की सरकार ने प्रति व्यक्ति अनुदान को चार आने से बढ़ा कर ढाई रुपया कर दिया। आज, सभापति, महोदय, हमारे देश की अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में रहती है लेकिन कांग्रेस शासन में गांवों के विकास के लिए कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ शहरों का विकास होता रहा। अब जनता पार्टी ने गांवों का विकास करना शुरू कर दिया है। ढाई रुपया प्रति व्यक्ति गांवों में पंचायतों को देने से काफी विकास होगा।

सभापति महोदय, हमारी जनता पार्टी की सरकार ने दूसरा यह कार्य किया कि राजस्व अभियान चालू किया। राज्य में जो कांग्रेस शासन काल के करीब दस लाख मामले अनिर्णीत पड़े थे उनमें से 9 लाख से भी अधिक मामलों को ठीक किया। इतना ही नहीं एस.डी. ओ., कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी वर्ग के लोगों ने जिन गांवों को देखा तक नहीं था वहां आन दी स्पोट जाकर मामलों को निपटाया। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव के लोग तो बेचारे सोच ही नहीं सकते थे कि एस.डी.ओ. साहब और तहसीलदार साहब उनके मामलों को निपटाने वहां भी आ सकते हैं। आज जनता को गांवों में महसूस हुआ कि अब जनता का सही राज्य आ गया है। राजस्व अधिकारियों ने, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एस. डी. ओ. हो और तहसीलदार हो, जन प्रतिनिधियों के साथ जाकर गांव गांव में उन मामलों को निपटाया है। जिन अधिकारियों

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

के पास एक नहीं अनेकों बार जाने व सैकड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी काम नहीं होता था, वही काम बिना पैसे खर्च किये, बिना चक्कर लगाये गांव की चौपाल पर बैठकर हो रहे हैं। जनता व राज्य के बीच जो खाई थी वह दूर हो गई है।

इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात जनता सरकार ने की है वह अन्त्योदय योजना की की है जिसमें उस परिवार को ऊंचा उठाया जायेगा जो गांव का सबसे ज्यादा गरीब है। हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य कहते हैं कि यह अन्त्योदय योजना क्या है। मैं यह भी मानता हूं कि अन्त्योदय योजना के अन्दर ऋण भी है और सहायता भी है। सहायता किस परिवार को दी जायगी? ऋण किस परिवार को दिया जायगा? उस परिवार को जिसकी तरफ उनका ध्यान तक नहीं गया। ऐसे पांच परिवार, जो कि पीड़ित थे, असहाय थे, को सहायता देनी है। अन्त्योदय योजना के लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं। आज भी मेरी मान्यता है कि काम करने की ताकत को देखते हुए सरकार अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के ऊपर अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवारों को ऋण और सहायता मुहैय्या कराये। सरकार को यह देखना चाहिए कि बैंक किस तरह से ऋण दे। आज हम जिन परिवारों को ऊंचा उठाना चाहते हैं हमने उनसे जमानत मांगी और गारन्टी ली तो उन परिवारों का ऊंचा उठना सम्भव नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आदमी के काम करने की क्षमता के ऊपर ऋण मुहैय्या किया जाये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी योजना कागजों में ही रह जायेगी। जनता सरकार ने वही किया है जो कर सकती है। जनता सरकार ने पंचायतों के चुनाव कराये, अन्त्योदय योजना लागू की। अन्त्योदय योजना के द्वारा राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने गरीबों के मसीहा बनकर 5 लाख परिवारों का उत्थान करने की बात कही थी। यह तभी होगा जब कि आदमी की क्षमता पर ऋण मुहैय्या कराने की सरकार स्वयं जिम्मेदारी ले। उनको ऋण मुहैय्या कराये तब जाकर ही अन्त्योदय योजना सफल होगी।

इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो भिखारीपन की समस्या है उस समस्या को सुलझाने का जनता सरकार काम कर रही है जब कि कांग्रेसी शासन ने देश को दुनियां के सामने भिखारी के रूप में खड़ा किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, भीलवाड़ा के अन्दर माण्डल गन्ने का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वहां पर तीन खण्डसारी की मिलें हैं। मैं इस प्रश्न पर बजट के समय भी बोल सकता था लेकिन मैं इस पर अभी बोलना आवश्यक समझूंगा। इसके लिए यदि दो मिनट ज्यादा भी आपको देने पड़ें तो, माननीय सभापति महोदय, मुझे क्षमा करेंगे। भीलवाड़ा जिले के अन्दर माण्डल में गत 50 सालों से गन्ना पैदा होता आ रहा है। कांग्रेस सरकार ने तीन खण्डसारी मिलों के लिए अनुदान दिया और फैक्ट्री बनीं। फैक्ट्रियां चलें, बदस्तूर चलें, वह पनपें, हमें दिक्कत नहीं लेकिन मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि विगत सरकार का खण्डसारी गन्ने की खरीद के लिए प्रतिबंध नहीं था

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)
उसी पुरानी योजना के अन्तर्गत अभी भी गन्ना खरीद रहे हैं। आज गन्ने के भाव इसलिए नहीं बढ़ सकते कि कानून के तहत इन खण्डसारी की फैक्ट्रीज को अमुक कीमत पर गन्ना खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसकी कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। यह प्रतिबंध नहीं होने से आज गन्ना 7 रुपया, 8 रुपया और 6 रुपया क्वि. के भाव से वह खरीद रहे हैं। जहां जलाने की लकड़ी 25 और 26 रुपया क्वि. है वहां गन्ना 6 रुपया क्वि. है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां एक तरफ सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में छूट दी है वहां दूसरी तरफ उनके द्वारा काश्तकारों का शोषण हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस समस्या की ओर अविलम्ब ध्यान दे। यह माण्डल की ही समस्या नहीं है बल्कि राजस्थान में जहां खण्डसारी की मिलें हैं वहां मालिक लोग अपने मनमाने भाव पर गन्ना खरीदते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, धन्यवाद प्रस्ताव पर इससे ज्यादा नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हुआ अपनी सीट लेता हूं।

जय भारत !

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश कुमार शर्मा।

(अनुपस्थित)

राजस्व मंत्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : इधर के सदस्यों में से भी किसी को समय दिया जाना चाहिए श्रीमन्।···

श्री सभापति : मैं बहुत अदब के साथ कहता हूं कि इधर का टाइम खतम हो गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारा टाइम तो अभी आ रहा है।

श्री सभापति : राजस्व मंत्री जी।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति जी, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। मेरे जो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हैं उन्होंने राजस्व संबंधी कुछ बातें कही हैं, मैं अपनी बात उस तक ही सीमित रखूंगा।

माननीय रामनारायणजी चौधरी ने फर्माया कि राजस्थान में 50 लाख खातेदार हैं, सीलिंग कानून लागू हो गया लेकिन जमीन पर धाकड़ों ने कब्जा कर रखा है याने जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है और सीलिंग को प्रभावी ढंग से नहीं लगाया गया। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं और आश्वासन देना चाहता हूं सदन को···

एक माननीय सदस्य : यह सरकार की ओर से जवाब है?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं अपने राजस्व संबंधी मामलों के लिए कह रहा हूं । मैं और बातों के लिए नहीं कहूंगा ।

राजस्थान में 46,50,282 खातेदार हैं । जो सीलिंग का पुराना कानून और नया कानून बना है उसमें कुछ खामियां मुझे मालूम पड़ती हैं, कुछ लूप होल मालूम पड़ते हैं । यही वजह है कि जमीन पर कई व्यक्तियों का कब्जा नहीं हो सका । यह भी सही है कि जबरदस्ती भी कब्जा नहीं देने की कार्यवाही मेरे सामने आई है । तो मैंने ऐसे मामलों की जांच करवाना शुरू किया है और अगर वास्तव में किसी ने कानून की अवहेलना करके जमीन अपने कब्जे में कर रखी है और जिनको अलाट होनी चाहिए थी उनको अलाट नहीं हुई या अलाट होने के बाद उस पर कब्जा नहीं दिया गया किन्हीं कारणों से तो उसके लिए राजस्व विभाग की ओर से पूरी कार्यवाही की जायेगी ।

दूसरी बात माननीय रामनारायणजी चौधरी ने कही है श्रीमती इंदिरा गांधी के संबंध में । मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार के समय ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए थीं । लेकिन मैं एक दो बातों का जवाब देना मुनासिब समझता हूं । पहली बात यह है कि देश का औद्योगीकरण हुआ । ब्रिटेन के प्रधान मंत्री जेम्स कालहन यहां आये तो उन्होंने भी कहा कि भारत का औद्योगिक देशों में दसवां नम्बर है । याने भारत उन दस देशों में से है । मैं भी मानता हूं कि देश का औद्योगीकरण हुआ है लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि औद्योगीकरण किसे कहते हैं । औद्योगीकरण के माने यह है कि जब उद्योग धंधे खुलें तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्वाह करते हैं, उन 80 प्रतिशत लोगों का जो प्रेशर जमीन पर है वह प्रेशर उस जमीन से हटना चाहिये और उद्योगों में उनको रोजगार मिलना चाहिए । जैसा कि माननीय श्री मानकचन्दजी पुराणा ने कहा था कि यह होना चाहिए था लेकिन यह नहीं हुआ । सन् 1947 से 77 तक किसानों की भूमि पर दबाव कम नहीं हुआ है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । उसका परिणाम यह हुआ कि करीब 46 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि बेरोजगारी बढ़ी । यह कहना कि औद्योगीकरण के साथ ही साथ कृषि की भी उन्नति हुई और कृषि की उन्नति की वजह से आज 3 लाख टन अनाज भारत सरकार के गोदामों में भरा है, यह बिल्कुल मेल नहीं खाता । हिन्दुस्तान की आबादी 62 करोड़ है, जो देश अपने आपको उन्नत समझता है उस के बाशिन्दों को पूरा खाना नहीं मिलता है । प्रत्येक व्यक्ति को 1500 कैलोरीज भोजन मिलना चाहिये । 62 करोड़ की आबादी के लिये 13 करोड़ टन अनाज, कांग्रेस के राज में 12 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ, तो प्रति व्यक्ति क्या पड़ता है । तो लोगों को भूखा मारा । लोगों के पास अनाज खरीदने की ताकत नहीं है, क्रय शक्ति के अभाव में अगर अनाज नहीं बिका तो उसको ज्यादा बताया जाय और कह दिया जाये कि हम एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखते हैं, यह बात समझ में नहीं आती । यह मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं ।

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

एक बात और, एक बिन्दु और उठाया माननीय सदस्य ने कि बंगलादेश की आजादी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिलाई। यह माननीय सदस्य, जो मेरे मित्र हैं, ने फर्माया है। बंगलादेश आजाद हुआ, इसको आजादी किसने दिलाई, इसका लम्बा चौड़ा इतिहास है। सन् 1950 में डा. लोहिया जी ने एक पुस्तक लिखी थी 'गिल्टीमैन आफ इन्डियाज पार्टीशन'। इसमें उन्होने कहा था कि एक ऐसा वक्त आने वाला है 20-25 वर्षों में, जब बंगलादेश में बगावत होगी। वहां के निवासी कहेंगे, बंगलादेश आजाद होना चाहिये, पाकिस्तान के अन्दर नहीं रहना चाहिये। सन् 1950 की लिखी हुई पुस्तक है। भारत सरकार संकोच करेगी। भारत वर्ष के नागरिकों का कर्त्तव्य होना चाहिये कि भारत सरकार को मजबूर करें। वह की वह तस्वीर सामने नजर आती है। जो स्वप्न देखा था, वह पूरा हुआ। मेरे एक मित्र हैं बंगला देश में। सन् 1953 में सोशलिस्ट कांफ्रेन्स हुई थी, वहां गया था, वे मिले थे। वे बंगलादेश की आजादी के बाद दिल्ली मिले थे। जब शेख मुजीब रहमान का कतल हुआ उसके बाद मिले थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, कैसे हुआ ? कहने लगे, इन्दिरा गांधी ने बंगलादेश को अपना सूबा बना रखा था। कौनसी जगह कौनसा कलेक्टर होना चाहिये, दिल्ली से टेलीफोन जाता था ढाका के अन्दर कि अमुक व्यक्ति अमुक जगह का कलेक्टर बना दिया जाये। बंगाली मानस पूर्ण देश भक्त है, राष्ट्रीयता उनमें कूट कूट कर भरी है। उन्होंने इसको अपना अपमान समझा और अपमान का बदला लेने के लिये शेख मुजीब का कतल हुआ। यह बात सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं···

श्री अब्दुल अजीज : क्या शेख गद्दार थे ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण यह झगड़ा हुआ।

श्री जय कृष्ण शर्मा : आपकी सरकार ने क्या काम किया है ? इन्दिरा गांधी को बदनाम करने के लिये बैठे हुए हैं ? आप कुछ काम करने की चेष्टा करो····

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इन्दिरा गांधी का चरित्र हनन तो कांग्रेसी खुद कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये, बैठिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप बैठिये। मैं अदब से कहता हूं, आप बैठिये।

श्री मदनसिंह दांता : इन्दिरा गांधी को पता होता कि शेख साहब की मृत्यु होने वाली है, तो शेख मुजीबुर्रहमान को मरने नहीं देतीं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय सभापति जी, राजस्व महकमे के बारे में कहा गया कि पास बुकें नहीं दी गईं। मैंने जैसा निवेदन किया, 46,50,282 खातेदार हैं उनमें से 32,10,156 को पास बुकें दे दी गई हैं, बाकी को नहीं दी गई हैं। इसके लिये भी राजस्व विभाग द्वारा कोशिश की जा रही है और हिदायत दी गई है कि जल्दी वितरण की जायें।

एक बात और कहूंगा, सभापति महोदय, मुख्य मंत्री के कार्यालय में सारी शक्ति

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

केन्द्रित हो गई है, यह बात इस सदन के माननीय सदस्य श्री बजरंगलाल जी ने कही है।

श्री अब्दुल अजीज : मुख्य मन्त्रीजी कहते है, कालवी जी में सारी शक्ति आ गई है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि मैं तारीख 8 फरवरी को राजस्व मन्त्री बना और आज 4 तारीख है, 25 दिन हुए हैं लेकिन मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि कोई शक्ति प्रोवर सेन्ट्रलाइज मुख्य मंत्री ने अपने हाथ में नहीं की।

श्री मदनसिंह दांता : आपके मंत्री महोदय ने मुझे बताया है।

श्री सभापति : जब मंत्री जी बोल रहे है, आप कृपया उनको बोलने दें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : कोई शक्ति उनमें केन्द्रित नहीं हुई है, यह बिल्कुल गलत है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

उस आदमी की ओर से एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है जो इस हाउस मे नहीं है। जब मुख्य मंत्री स्वयं 4 बजे के करीब बोलने वाले हैं तो कोई बात मुख्य मंत्री के बारे में कही गई है मुख्य मंत्री खुद इसका स्पष्टीकरण देंगे, कोई दूसरा सदस्य इस बात को नहीं कहें।

एक माननीय सदस्य : हर मिनिस्टर को जवाब देने का अधिकार है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसलिये माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि केवल रेवेन्यू के मामलों का जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : तीन दिन से इस बैंच के लोग आपको शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। आप धैर्यपूर्वक सुनें। आप सीनियर सदस्य हैं। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मुझे सुनिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, अगर सदन के अन्दर कोई भी बात गलत तरीके से चलती है तो हर एक सदस्य का अधिकार है कि गलत बात सदन में न करने दे। इस नाते मेरा परम कर्तव्य है कि रेवेन्यू मिनिस्टर को निवेदन करूं। एक माननीय सदस्य, जो सत्तारूढ़ दल के लायक माननीय सदस्य है, ने आरोप लगाया है मुख्य मंत्री पर, छोटे मुख्य मंत्री का और तमाम शक्तियों के सेन्ट्रलाइज होने का। इसलिये मुख्य मंत्री जी बता दें तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू के सम्बन्ध में उत्तर दूंगा। यह सफाई का तरीका है।

श्री सभापति : कृपया मुझे सुनिये। इस बहस मुबाहिसे के दौरान मैं यह समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री महोदय को अपना उत्तर रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक महदूद कर देना चाहिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह तो वही कह सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय को बोलने दीजिये।

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि पूरी शक्ति मुख्य मंत्री में केन्द्रित

(श्री माणकलाल ठाकोर)

है। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे जो मन्त्रिमंडल के सदस्य हैं वह उनके नौकर के समान हैं। इसलिये मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण करने का हक है। वह ही कह सकते हैं कि उनके पास भी शक्ति हैं या नहीं। इसलिये यह बिल्कुल रेलेवन्ट है और उनको बोलने की इजाजत मिलनी चाहिये।

श्री केदार नाथ (श्रम मंत्री) : सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता था। आपने रेवेन्यू मंत्री को अपना भाषण रेवेन्यू तक ही सीमित रखने के लिये कहा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केबिनेट का कोई भी मंत्री राज्य सरकार की तरफ से बोल सकता है और अपनी बात कह सकता है। आप उन्हें कन्फाइन नहीं कर सकते। इसलिए महरबानी करके यह जो रूलिंग आपने दी है, उस पर आप फिर विचार करें। यह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है।

श्री सभापति : मैंने जो कुछ भी रूलिंग दी है, उसकी मन्शा यह नहीं है कि मैं माननीय मन्त्री महोदय को जोइन्ट लायबिलिटी से एक्सक्लूड कर रहा हूँ, बल्कि मेरी मन्शा सिर्फ इस हद तक है कि क्योंकि मुख्य मन्त्री जी इस सदन में पधारने वाले हैं और उनका भाषण होने वाला है, इसलिए मुनासिब यही होगा कि आपकी तकरीर आपके महकमे तक ही महदूद रहे, इससे समय बचेगा।

श्री नवनीत पालीवाल : इसको रूलिंग न मानकर सुझाव मान लें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय सभापति जी, एक माननीय सदस्य श्री रतन लाल जी ने राजस्व विभाग के बारे में फर्माया कि किसान जमीन का मालिक नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। जनता पार्टी सामाजिक परिवर्तन लाना चाहती है, पर क्या वह यह चाहते हैं कि आज जो सरकार जमीन की लैण्डहोल्डर है और किसान टिनेन्ट है, इसकी टिनेन्सी खत्म करके उसको लैण्ड-होल्डर बना दिया जाये? यह तो हो नहीं सकता। जहां तक जमीन की मिलकियत का सवाल है, किसान अपनी जमीन को बेच सकता है, रहन रख सकता है, उसको विरासत में दे सकता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि किसान जमीन का मालिक नहीं है, लैण्ड रिफार्म्स एक्ट, जागीर का कानून, टिनेन्सी एक्ट, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, इन सभी में किसान को जमीन का मालिक माना गया है। वह शायद समझ नहीं पाये हैं, इसलिए मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ।

एक बात यह कही गई कि जो जमीन आदिवासी लोगों के लिए थी, वह प्रभावशील लोगों को दी गई। इसके लिए राज्य सरकार ने बेरी कमीशन की स्थापना की है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनके पास जो भी विवरण हो वह बेरी कमीशन के सामने प्रस्तुत करें। इसके अलावा मेरी तरफ से अगर कोई कार्यवाही की जा सकती है तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं करूंगा। इतनी ही बातें मैं निवेदन करना चाहता था।

नीति के सम्बन्ध में एक बात मैं कहना चाहूंगा। जनता पार्टी की सरकार दिशाहीन है और उसकी कोई नीति नहीं है, ऐसा कहा गया। मैं पूछना चाहता हूं...

श्री श्योपतसिंह मकासर : It is drifting.

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : Drifting towards something better.

मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से दरयाफ्त करना चाहूंगा कि क्या नीति की दिशा होती है। हिन्दुस्तान में 62 करोड़ की आबादी है, हजारों तरह की जातियां हैं, कई तरह के धर्म हैं, हजारों साल का सड़ा हुआ भारतीय समाज है। क्या परिवर्तन किया जाये और किस तरह से किया जाये ? हिन्दुस्तान की जनता ने निर्णय लिया है कि वह लोकतन्त्र में पूर्ण आस्था रखती है। जितने भी चुनाव हुए, सन् 1977 में और 1978 में, उनमें जनता ने यह तय कर दिया कि हम लोकतन्त्र के जरिये, जमहूरियत के जरिये, देश का शासन करना चाहते हैं। तो फिर जनता पार्टी इस बात के लिये कटिबद्ध है कि किसी तरह से वह समतामूलक, सच्चा और समृद्ध, केवल समतामूलक ही नहीं बल्कि समृद्ध भी, दोनों को साथ लेकर, इस देश और समाज का निर्माण करे। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आप अनुभवी हैं, अगर आप चाहें कि एक साल में सारा परिवर्तन हो जाये, तो वह तो डिक्टेटरशिप से हो सकता है, जो कि भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। वह नहीं हो सकता। जिस राजनेता या दल ने डिक्टेटरशिप लाना चाहा, उसको जनता ने उखाड़ फेंक दिया। यह इस देश में नहीं हो सकता। लोकतन्त्र की प्रक्रिया तो उलझन भरी होती है, लम्बी होती है। कोई भी कानून हम बनाते हैं, उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम दिशाहीन नहीं हैं, हमारी दिशा है। हम समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं और समाज को समृद्ध बनाना चाहते हैं लेकिन वह होगा लोकतांत्रिक और जमहूरियत के तरीके से...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं कहता हूं कि 13 दिन में इन्दिरा गांधी ने इतिहास बदल दिया था।

श्री दाऊदयाल जोशी : तीस साल में क्या किया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय को बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बन्दूक की नोक पर किया गया।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह साहब इनका पाइन्ट नोट कर लीजिये।

क्या इन्दिरा कांग्रेस बन्दूक की नोक पर खड़ी है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने यह नहीं कहा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके पास कोई दिशा है ? कोई प्रोग्राम है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब आप तकरीर फर्मा रहे थे, तो माननीय मंत्री जी सुन रहे थे। अब आप उनको सुनिये, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : मंत्री महोदय से जानकारी करने का हमारा अधिकार है।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप तशरीफ रखें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नीति के सम्बन्ध में लोकसभा के चुनावों के समय सारा मेनीफेस्टो हिन्दुस्तान की जनता के सामने रखा गया था। वह आप पढ़िये, काफी अच्छा है। ऐसा दर्शन आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पुस्तक में नहीं मिलेगा, पी.एच.डी. का स्टूडेन्ट भी नहीं बता सकता। आप सभी शिक्षित हैं, विद्वान हैं, वह पढ़िये।

इसलिये, माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण कृपापूर्वक इस सदन में दिया है, उसके लिये मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री सूर्य प्रकाश।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, उधर ही उधर फर्माते रहेंगे या इधर भी कृपा करेंगे ?

श्री सभापति : मैं बड़े अदब के साथ मुतिला कर चुका हूं कि विपक्ष का वक्त पहले ही समाप्त हो चुका है।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, चीफ व्हिप ने हमको जानकारी दी है कि··

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप केवल बोलने के लिये ही नहीं, सुनने के लिये भी तशरीफ रखें। पेशन्स से सुनिये।

श्री सूर्य प्रकाश (खैरवाड़ा) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अवसर पर मैं जनता सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए कार्य किये हैं उनके लिए सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही जो पिछली सरकार ने 13 वर्षों से पंचायतों के चुनाव नहीं कराये थे और उस तेरह वर्ष का जो कचरा था उस कचरे को साफ किया उसके लिए माननीय पंचायत मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तेरह साल का कचरा साफ किया।

इसके उपरान्त मैं निवेदन करूंगा कि कुछ लोगों ने यह आम चर्चा बना रखी है कि जनता सरकार एक तानाशाह सरकार है, तानाशाही पर चलने वाली सरकार है या एक तरह से तबादलों की सरकार है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि जिस कांग्रेस सरकार ने तीस साल पहले तबादले किए थे वह एक ऐतिहासिक बात थी। तीस वर्ष पहले हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेजों को इस हिन्दुस्तान से हटाया था तो वह एक तरह से तबादला ही था। उसके तीस वर्ष उपरान्त इस वक्त सरकार बदली है और जनता सरकार आई है. इसलिए सरकार को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, तीस वर्षों से जो अंग्रेजियत पनप रही थी उस अंग्रेजियत को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने जो तबादले किए हैं वे तबादले भी अधिकांशत: जनता के हित के लिए किए हैं और जो विदेशी थे उस विदेशियत का हमारी सरकार ने तबादला किया है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस साहसिक कदम के लिए, इस साहसपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। यह बात जरूर हो सकती है कि जहां सौ व्यक्तियों का कार्य होता है तो उसमें 75 व्यक्तियों को लाभ हो सकता है

(श्री सूर्य प्रकाश)

तो 25 व्यक्तियों को नुकसान भी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार के सारे काम ही बन्द हो जायं। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो तबादले किये हैं वह जनता के हित के लिए तबादले किए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन पिछले मामलों को देखते हुए।

मैं, सभापति महोदय, कुछ ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा और आर्थिक सुधार की हमारे क्षेत्र के अन्दर हमारी सरकार ने जो नई योजनायें चलाई हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। इसके अन्दर अन्त्योदय योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारी गरीब जनता का जो फायदा हुआ है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो योजना चलाई है उसके द्वारा गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। हमारी सरकार ने जो भूमि अलाट की है, इसके पहले भी हमारे सामने आता है कि पहले जो सरकार थी उसने भी भूमि अलाटमेंट का अभियान चला रखा था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उस अभियान के अन्तर्गत हमारे कई ग्रामीण क्षेत्रों में हत्याएं हो गईं लेकिन ये उसका स्वागत कर रहे थे, उसमें सहयोग दे रहे थे। इसके विपरीत यह योजना विधिवत् योजना है, इसमें किसी की हत्या नहीं हुई और जनता के अधिकार पर कोई कुठाराघात नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं हमारी सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्रों के अन्दर ऋण व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो पाई है जिसकी शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था की जावे। इसके साथ-साथ गरीबों के उत्थान के लिए...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्रस्ताव पर ही अपने विचार प्रगट कीजिए।

श्री सूर्य प्रकाश: जो योजना चल रही है उस अन्त्योदय योजना के अन्दर पैसा खर्च किया जा रहा है, बजट दिया जा रहा है, भूमि अलाट कर रहे हैं लेकिन यह योजना गरीब को ऊपर उठाने की योजना बनाई है इसका उद्देश्य है कि गरीब के अन्दर जागृति पैदा की जावे। वह जागृति इस हद तक पैदा नहीं की जा रही है जिस हद तक की जानी चाहिए। इसलिए इसके अन्दर यह भी कार्य किया जाना चाहिए कि गरीबों को जागृत किया जावे। उनको मालूम हो कि वे गरीब किस कारण से हुए हैं, क्या कमियां हैं? उन कमियों को दूर करने के लिए गरीबी के कारणों को दूर किया जाना आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया प्रस्ताव पर अपने विचार प्रगट करें।

श्री सूर्य प्रकाश: मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय नत्थीसिंह।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी तरफ भी आपका ध्यान दिलाऊं। कल भी निवेदन किया था लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। आपकी नजरे इनायत या तो जनता पार्टी की तरफ जाती हैं या कांग्रेस पार्टी पर नजर जाती है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तशरीफ रखिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरी सूचना के मुताबिक आपका नाम लिस्ट में हैं और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एक पर्टीक्यूलर टाइम पर ही आपका नाम पुकारा जाना है। जब वह वक्त आएगा मैं आपका नाम पुकार लूंगा। वह वक्त अभी नहीं आया है।

माननीय नत्थीसिंह!

(अनुपस्थित)

माननीय ताराचन्दजी!

(अनुस्थित)

माननीय निर्मलकुमारजी!

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : आदरणीय सभापतिजी, राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अभिभाषण दिया उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमान्, जब से राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय भैरोंसिहजी जब से हमारे नेता बने हैं तब से राजस्थान क्रांति के पथ पर अग्रसर है। आज सारा देश राजस्थान की ओर देख रहा है। राजस्थान में अन्त्योदय की योजना लागू हुई है। आज गरीब सोच रहा है कि हमारे लिए भी कोई सोचने वाला है, हमारी तरफ भी कोई देखने वाला है। गरीब परिवारों का चयन किया गया और उनको ऊंचा उठाने के लिए हमारी सरकार ने जमीन दी। हम उनको लोन दे रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं। वे किसी प्रकार से आत्म निर्भर बनें, समाज के दूसरे सक्षम लोगों के बराबर आकर खड़े हों–इस प्रकार के प्रयत्न राजस्थान में हुए हैं। यह किस के नेतृत्त में हुए? यह हमारी जनता सरकार के नेतृत्व में हुए। ये कांग्रेसी बन्धु मौन साधे बैठे हैं, मौज उड़ा रहे हैं और गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज तक जिन्होंने गरीबों को कोसा है, आज दिन तक जिन्होंने गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, आज जब उनके लिए कोई योजना आई तो उस कार्यक्रम का भी विरोध किया है। यह उनके लिए शर्म की बात है।

(व्यवधान)

महोदय, राजस्थान में राजस्व अभियान लागू हुआ जिसमें 9 लाख मामले निपटाए गए। कांग्रेस के लोग खुद ग्रामों के अन्दर गए नहीं और कहते हैं कि यह सारा नाटक हुआ। हम गए हैं मौके पर, हमको मालूम है कि क्या हुआ? जगह जगह ग्राम सभाएं बुलाई हैं...

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : हम कैसे नहीं गए?

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : आप नहीं गईं। आप नाटक करते हैं, हम गए हैं।

Page No 78

(78)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : नाटक करते हैं तो क्या हीरो हिरोइन हैं ।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : आज राजस्व अभियान से 9 लाख केसों का निपटारा हुआ है और लोगों की जो कठिनाइयां थीं वे कम हुई हैं । यह किसके नेतृत्व में हुआ ? हमारी जनता पार्टी की सरकार और माननीय भैरोंसिहजी के नेतृत्व में हुआ है···

श्री जयकृष्ण शर्मा : खाली चिलम ही भरते रहोगे या कोई काम की बात भी कहोगे ।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : पंचायत चुनाव कांग्रेस वालों ने नहीं कराए । पंचायतों का गला घोट कर बैठे थे । जनता सरकार ने यहां पर कहा था कि हम पंचायतों के चुनाव करायेंगे और हमने वायदा पूरा किया है, पंचायतों के चुनाव करवाये हैं । बाकी के चुनाव भी हो जायेंगे । रहे सहे भी हो जायेंगे ।

महोदय, आज राजस्थान की जनता सरकार ने कितने चिकित्सालय खोले हैं कितने स्कूल खोले हैं...

(व्यवधान)

इस साल भी खोलेंगे...

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : सुनना भी सीखें ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो मिनिस्टर रहे हैं, आपको तो धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : खाली चिलम ही भरते रहोगे या कुछ काम भी करोगे····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं एक बात जानना चाहता हूं···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चिलम भरने वाली बात खतम कर दी जाय ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य । कृपया विराजिए ।

श्री नवनीत पालीवाल : आप तो संजय की चिलम भरिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमने संजय की चिलम नहीं भरी है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, टेक्निकली न सही लेकिन हाउस के दौरान इसको बरकरार रखना अच्छा नहीं है ।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, झूठ शब्द को तो ये मानते नहीं हैं··

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह कोई मौजू बात नहीं है।

(व्यवधान)

अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप तशरीफ रखिये ।

Page No 79

(79)

श्री शंकरलाल : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : मेरा समय कम कर रहे हैं । कृपा करके इनको बैठाइये ।

श्री शंकरलाल : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री रामनारायण चौधरी : चिलम छोटा व्यक्ति बड़े की भरता है । लड़का बाप की चिलम भरता है, पोता दादा की चिलम भरता है । यह कोई बात नहीं है ।

श्री नवनीत पालीवाल : और आप संजय की भरते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप चिलम नहीं भरते हैं ।

श्री नवनीत पालीवाल : आपने तो संजय की भरी है···

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपका न बोलना ही अच्छा है ।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : सभापति महोदय, इन सबको बैठाइये, मेरा समय बरबाद कर रहे हैं ।

श्री सभापति : मैंने आपकी बात सुन ली है, माननीय सदस्य । क्या अर्ज कर रहे हैं, वह भी अब सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

चिलम भरना टेक्निकली न सही लेकिन जिस रेफरेन्स में कहा गया है वह बाप और बेटे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि इसको दूसरे रूप में ही इस्तेमाल किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : चिलम भरो या कुछ भी करो लेकिन करो तो सही ।

श्री मूलचन्द डागा : भरने का काम आप लोगों का है ।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय सभापति जी, आज सारे देश में सबसे बढ़िया जो बात हुई है, वह यह हुई है कि भावों में कमी हुई है । आज सारी वस्तुओं के भाव कम हो रहे हैं । ये भाव कम क्यों हुये ? जनता सरकार की नीतियों के कारण, जन कल्याण की नीतियों के कारण कम हुये हैं । पिछली सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम उठाया लेकिन भाव कम नहीं हुये क्योंकि वे जखीरेबाजों से मिले हुये थे ।

श्री मूलचन्द डागा : भाव कौनसे कम हुये हैं जरा बता दें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सरसों का तेल जिसकी आप मालिश करते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : किसी के भाव कम नहीं हुये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको बोलने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : जवाब दे रहे हैं, सभापति जी, भाव कम हो गये । मैं कहता

(श्री मूलचन्द डागा)
हूं जनता पार्टी के भाव कम हो गये हैं। इनके भाव कम हो गये क्या ?

श्री नवनीत पालीवाल : भाव तो मूलचन्द जी डागा के कम हुये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : टके के भाव भी नहीं रहे हैं आपके।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : सभापति महोदय, मैं फिर भी कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

श्री शंकर लाल : आपने जो शब्दों की व्यवस्था की है, वह तो ठीक है लेकिन अभी माननीय सदस्य जोशी जी ने यह कहा कि टके के भाव भी नहीं बिकते। यह सदन के माननीय सदस्य का अपमान है। इस प्रकार नहीं कहा जा सकता है।

श्री राम नारायण चौधरी : आप इसकी व्यवस्था दीजिये। क्या ये कह सकते हैं कि टके के भाव नहीं बिक सकते।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो हीरा और मोती के भाव ही बिकता। आपने सही कहा है कि टके के भाव नहीं बिकता।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : सभापति जी, हमारी सरकार ने अपने चुनाव के घोषणा-पत्र में 18 साल के लड़कों को मताधिकार देने की बात कही थी परन्तु इसके अन्दर कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है इसका समावेश किया जाय, क्योंकि हमने जो वायदा किया था, बात कही थी उसका जनता में महत्व है, जनता हमारी बात पर विश्वास करती है, और यह कहती है कि जनता सरकार के वायदे पूरे होंगे। आज विद्यार्थी वर्ग हमारी ओर देख रहा है। मेरा निवेदन है 18 साल के लड़कों को मताधिकार दिया जाय।

दूसरी बात हमने बिक्री कर को समाप्त करने की कही थी। इसमें जो उलझनें हैं 19-18 फार्म भरने पड़ते हैं, उनको समाप्त करके बिक्री कर का सरलीकरण हो, जिससे व्यापारी वर्ग भी परेशान न हो।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी घोषणा थी समाप्त करने की।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : सभापति जी, हमने कहा था कि हम राजस्थान के अन्दर बेरोजगारी नहीं रहने देंगे और यदि बेरोजगार रहे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज बजट में इसकी भी व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था राजस्थान में प्रारम्भ की जाय।

श्री मूलचन्द डागा : it is agood proposal.

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : सभापति जी, शिक्षा के बारे में कोई नई बात नहीं कही गई, जो पुरानी नीति थी वही राज्यपाल महोदय ने इसमें कही है। मेरा निवेदन है इसमें शिक्षा के कोई नये स्वरूप का उल्लेख होना चाहिये था। उत्पादन आधारित शिक्षा की सम्भावनाओं को देखते हुये राजस्थान के कम से कम 500 स्कूलों में उत्पादन की शिक्षा प्रारम्भ की जाय और सारे राजस्थान में किस प्रकार यह अधिक से अधिक बढ़े, इस पर विचार किया जाय। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को भी इस नीति के अन्तर्गत

(श्री निर्मल कुमार)
लिया जाय और वहां शिक्षा सहायकों को भेजा जाय ताकि वे उनको ठीक प्रकार समझा सकें। ऐसे शिक्षा सहायक कम वेतन पर आपको उपलब्ध हो सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है उनको रोजगार देकर सारे विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाय।

स्वास्थ्य योजना के बारे में यह नीति निर्धारित की है कि प्रत्येक एक हजार की आबादी पर स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त करेंगे।

स्वास्थ्य मन्त्री जी से निवेदन है कि जो चलती फिरती चिकित्सा का वाहन है, उसका प्रत्येक महीने भ्रमण करायें तो आपरेशन करने में जो करप्शन होता है, उसे रोक सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं शराबबन्दी नीति के बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार की नीति पर हमें शंका होती है। सरकार शराबबन्दी की बात करती है...

(3.40 म. प.)

(श्री रामचन्द्र चौधरी, उपाध्यक्ष, पदासीन)
लेकिन राजस्व बढ़ रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : वाह, क्या बात कही है।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : एक बात मैं और निवेदन करूंगा। जब से मैं यहां आया हूं, आर. एस. एस. को लेकर बार-बार कहा जाता है.....

एक माननीय सदस्य : very good

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : आप बकवास करते हैं। झूठे आरोप लगाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. का काम लोगों की सेवा करना है। किसी का ट्रांसफर करवाना उसका काम नहीं है।

एक बात उधर की तरफ से कही गई थी, देश की नेता इन्दिरा गान्धी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री पद के लिए इन्दिरा गान्धी एक कलंक हैं। वह देश की नेता नहीं हैं। देश के नेता जयप्रकाश नारायण हैं।

श्री मूलचन्द डागा : वह देश की नेता है और रहेंगी।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मंजूर अली।

श्री भायो सिंह कछवाह : एक मेरा निवेदन है। हुजूर मैं भी टोपी पहनकर आया हूं। इतनी बड़ी पहनकर आया हूं। 21 तारीख को जोधपुर बन्द हुआ था। यह भी वहीं की बनाई हुई है। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन किया था आज आखरी समय में ही समय दिया जाय लेकिन छः फीट का आदमी नजर नहीं आया। मैं निवेदन करता हूं यह जोधपुर का नक्शा नजर नहीं आया। यही मेरा निवेदन है कि नाम बोलने में भेदभाव नहीं होना चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा : बड़ी हिम्मत की है। बड़ी मजबूती से बात की है।

श्री मंजूर अली : जनाब सदरे मोहतरम, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर शुक्रिये की तहरीक की ताईद करता हूं। यह अभिभाषण जनता सरकार की पिछली आठ माह की कारकर्दगी का खुलासा है और अगले साल की सरकार की पालिसी का एलान है। मैं पिछली कारकर्दगी पर तबसरा व पोलिसी में तजवीज जरूरी समझता हूं। इसमें पंचायतों का जहां जिक्र किया गया है, कांग्रेस ने पंचायतों के इलेक्शन 13 साल तक नहीं करवाये। मैं समझता हूं, बल्कि यकीनन कांग्रेस सरकार ने पचायतों के इलेक्शन नह करवा कर सरपंचों, प्रधानों व जिला-प्रमुखों को सियासी रिश्वत दी है। सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख जो पांच साल के लिए चुनकर आये थे, उनको 13 साल तक कायम रखना यह पोलिटिकल ब्राइबरी है। यह जम्हूरियत का ब्लैकमेल था क्योंकि उनको 13 साल तक कायम रखकर उनसे सियासी अगराजो मकासिद हासिल किये गये। साथ ही साथ मेडिकल और हैल्थ के बारे में जिन यूनिट्स का एलान किया गया है, यह खुशी की बात है कि 5 यूनानी दरवाने खोले गये। एलोपैथिक की 105 यूनिट्स, आयुर्वेदिक की 173, होम्यपैथिक की 22 यूनिट्स खोली गई इसमें मुझे एक खतरा भी नजर आया है। वह यह कि जनस्वास्थ्य रक्षक मुकर्रर किये जायेंगे। नीम हकीम खतराए जान, नीम मुल्ला खतराए ईमान छः महीने की ट्रेनिंग के बाद ही जो वह स्वास्थ्य रक्षक इलाज करेंगे तो इससे गांवों मे रेट आफ मार्टेलिटी बढ़ जायेगी। डेथ रेट के रजिस्टर खोले जावें, नतीजा सामने आ जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी बात है। इसे ऊपर तक पहुँचा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मंजूर अली : इसमें फैमिली प्लानिंग के लिए जो कहा गया है वह भी खतरे की एक निशानी है।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : माननीय सदस्य, अफसरों की गैलरी की ओर मुखातिब होकर बोल रहे हैं। माननीय सदस्यों की ओर मुखातिब हों।

श्री मंजूर अली : मैं अर्ज करूंगा, कोई निशाना फैमिली प्लानिंग का मुकर्रर नहीं किया जाये। फैमिली प्लानिंग में अगर कोई निशाना रख दिया गया तो पिछली सवारी दोहरा दी जावेगी और जोर-जबरदस्ती होगी।

श्री मूलचन्द डागा : बन्द ही कर दीजिये।

श्री मंजूर अली : गुजिश्ता तीस सालों में, अल्पसंख्यकों के हकूक पामाल हुए हैं। पालिसी में भी माइनोरिटीज के हकूक के लिए कोई एलान नहीं किया गया है। कान्स्टीट्यूशन में राइट्स इसलिए दिये गये कि वह माइनोरिटीज को भी महफूज किए जा सकें। मैं समझता हूं कि पिछले सेशन में भी मैंने यह बात रखी कि माइनोरिटीज के लिए सेन्ट्रल कमीशन की ताईद में एक ऐसा कमीशन राजस्थान में भी मुकर्रर होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी आवाज सुनी नहीं गई। मैं जनता सरकार से मतालबा करूंगा

(श्री मंजूर अली)

कि माइनोरिटीज के हकूक की हिफाजत के लिए एक कमीशन फौरन कायम किया जाय जो उनके हकूक की हिफाजत करता रहे। हर जमहूरियत में अल्पसंख्यकों की हालत सेक्यूलरिज्म की कसौटी होती है।

श्री जय कृष्ण शर्मा : कायम करवाइये।

श्री मंजूर अली : आप अगर माइनोरिटीज का दूसरे वर्गों से मुकाबला करें तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस कितना कम है। जयपुर, जोधपुर और कोटा को छोड़कर राजस्थान भर में अल्पसंख्यक बहुत गरीब और बेरोजगार हैं। उनका स्टेटस इतना कम क्यों है, इसके वजूहात क्या हैं, इसकी जांच की जाये। मैं गुजारिश करूंगा कान्स्टीट्यूशन में दी गई जमानतें क्या निभाई जा रही हैं? इसलिए मेरी मतालबा है कि उनके हकूक के बारे में एक कमीशन कायम करें। जहां तक रोजगार का मामला है, सिर्फ 5 यूनानी दवाखाने खोले हैं, जब कि 105 एलोपैथिक, 173 आयुर्वेदिक, और 25 होम्योपैथिक। यूनानी सिर्फ 5 खोले गये हैं। मैं अल्प–संख्यकों के नुमाइन्दे की हैसियत से एहतजाज करूंगा कि इनके रोजगार के जरिये बजाय बढ़ाने के कम किये जा रहे हैं चाहे इसके कारण केवल इनकी तरफ से लापरवाही ही क्यों न हो। अगर यूनानी डिस्पेन्सरीज भी ज्यादा खोली जायेंगी तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, इसलिए इस पर भी गवर्नमेन्ट गौर करे।

मैं अर्ज करूं कि मैं जनता पार्टी का विधायक हूं इसलिए मैं तो कुछ शक नहीं करता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 8 महीनों में जो नताइज सामने आये हैं उनसे अल्पसंख्यकों की जानिब बेतवज्जही की बहुत सी मिसालें देखने में आई हैं। डीग में एक पटवार ट्रेनिंग सेन्टर खुला है, मैंने सुना है कि चार सौ में से केवल चार लड़के अल्पसंख्यक वर्ग से लिए गये हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि उसके आंकड़े आप मंगाकर देखिये। मैं कई जगह पर गया हूं। अनस्किल्ड लेबर में भी हर आफिस में, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का आफिस हो या वाटर वर्क्स का हो, हर जगह इनको नेग्लेक्ट किया गया है। मैं नहीं कह सकता यह किस वजह से हुआ? वहां पर 'ए' क्लास आफिसर हैं वे न मालूम क्या समझ बैठे हैं कि अगर इनको नहीं लिया गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। जनाबे सदर······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि राजस्थान में कुल तीन आर. ए. एस. आफिसर अल्पसंख्यक हैं, मुहम्मद शब्बीर खान जो असिस्टेन्ट सेटलमेंट आफिसर, कोटा हैं, आबिद अली जो रजिस्ट्रेशन इन्सपेक्टर हैं और उमरदराज जो रिहेबिलिटेशन आफिसर हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के कुल ये राजस्थान सरकार के आर.ए.एस. आफिसर हैं। तीनों में से किसी एक को भी एस. डी. एम. या किसी दीगर की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर नहीं लगाया गया है। मेरा अर्ज करना है कि तीन आफिसर में से किसी एक को भी कहीं एस.डी.ओ. नहीं लगाया जा सकता था? इन बातों को दुरुस्त किया जाय, हम यह बात तीस साल से कहते आये हैं। अगर सरकार की इन कमजोरियों पर नजर नहीं रखी गई तो

(श्री मंज़ूर अली)
शकूक हकीकत में बदल जायेंगे और अल्पसंख्यकों का जमहूरियत में यकीन नहीं रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह आवाज जोर से कहिये।

श्री मन्ज़ूर अली : मैं दो मिनट में कह देता हूं।

अभिभाषण में बिजली की फ्लेट रेट कायम करने के बारे में कहा गया है कि गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। इसमें कितना खर्च आता है ? जहां तक गरीबों को फायदा होने की बात है वहां तो कई नियम व रुकावटें सामने आ जाती हैं और अमीरों के लिये ये बातें नहीं आती हैं जब कि उनको फायदा पहुंचाना होता है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि मुख्य मन्त्री जी कमिटमेंट करें ताकि बिजली की फ्लेट रेट कायम की जाय।

श्री मूलचंद डागा : बहुत अच्छी बात है।

श्री मन्ज़ूर अली : एजूकेशन पालिसी का कोई एलान नहीं है कि सरकार अवाम को किस दिशा में ले जायगी। मैं अर्ज करूं कि किसी भी तन्दुरुस्त सोसायटी के वास्ते, किसी भी हेल्दी सोसायटी के लिए उसके मोराल वेल्यूज को कायम रखना जरूरी है। मोराल को ऊंचा किया जा सकता है केवल मजहब के जरिये। इसलिये प्राइमरी यूनिट से लेकर यूनिवर्सिटी तक मजहबी तालीम को कम्पलसरी सब्जेक्ट रखना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैं, श्रीमन्, यह मजहबी तालीम नहीं समझा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन के बाहर इनसे बात कर लें।

श्री मंज़ूरअली : रिलीजियस एजूकेशन।

श्री मूलचन्द डागा : आपका मतलब सेक्यूलरिज्म से है या किसी मजहबी तालीम से ?

श्री मंज़ूरअली : मजहब आप्शन हो लेकिन धार्मिक तालीम कम्पलसरी हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय बहुत हो गया है।

श्री मंज़ूर अली : यह स्टेट की पालिसी का मामला है, कृपया एक मिनट और। जहां तक शराबबन्दी का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि शराब उम्मुले खबाइस है, यह सभी बुराइयों को जन्म देती है। चाहे सेक्सूअल केसेज हों, चाहे ट्रक एक्सीडेन्ट हों, चाहे कत्लोगारतगिरी हो। जो शराब पीते हैं उनकी डोमेस्टिक लाइफ भी कामयाब नहीं होती है। इसलिये यकीनन तमाम स्टेट में इसको लागू करना चाहिये मेरा पुरजोर मतालबा है कि डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में फौरन नशाबन्दी कर दी जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह शक्तावत !

श्री स्योपतसिंह मकासर : आखिर में सरेन्डर हो गये।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर...

श्री श्योपत सिंह मकासर : जोर लगाइये।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : धन्यवाद प्रस्ताव, जो माननीय सदस्य माणकचन्द जी ने रखा है, के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करूंगा। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक अल्प समय में इस अभिभाषण में राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिये जो बातें दर्शाई गई हैं सचमुच में वे सराहनीय हैं।

श्री मूलचन्द डागा : चहुमुखी या चतुर्मुखी ?

एक माननीय सदस्य : चहुमुखी।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : भारतीय संविधान में हमारी प्रजातन्त्रीय परम्परा का उल्लेख है। पिछले चुनावों में भारत की जनता ने Democracy for the people by the people and of the peop e इस परिभाषा को सही मायने में चरितार्थ कर दिखाया। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद उसने इस प्रजातन्त्रीय परम्परा को चुनावों के माध्यम से कायम रखा।

श्री मूलचन्द डागा : परम्परा पहले भी थी।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कही गई कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और यहां पर 80 प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में वही पुराने तरीको से अपना धन्धा करते हैं। इनके विकास की ओर जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान दिया। हम लोग गांवों में गये और स्वयं ने देखा है, लोगों ने पगडियां डाल दीं पैरों में एम.एल.ए. के, कहते थे कि दो-दो साल हो गये हासिल देते लेकिन कब्जा नहीं देते हैं। मैंने सरकार से निवेदन किया और उनको कब्जा दिलवाया। इस छोटे से समय में 54 लाख परिवारों का चयन करना, यह स्वाभाविक है, कोई साधारण बात नहीं है। हो सकता है सभी गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पायें लेकिन सरकार की यह मन्शा नहीं है कि इन लोगों का भी चयन नही किया जाय। उनको छोड़ा नहीं जायगा। मैं सोचता हूं कि गरीब से गरीब परिवारों को इतना लाभ मिला जनता सरकार के आने के बाद, विरोधी पक्ष को भी उतना ही लाभ मिला है, ये चुनाव इस बात के प्रमाण हैं। लोक सभा चुनाव में राजस्थान में विरोधी पक्ष को एक सीट मिली थी। उसके बाद विधान सभा चुनाव में उसको 50 सीटें मिलीं। उसके बाद पिछले सत्र में पंचायत मंत्री ने घोषणा की थी कि हम शीघ्र ही पंचायतों के चुनाव करायेगे जो 13 वर्षों में नहीं हो पाए हैं। वे चुनाव हुए, उसमें भी विरोधी पक्ष की मान्यता है कि हमारे अधिक सरपंच आए हैं। तो उनको यह बहुत बड़ा फायदा हुआ है, परन्तु जनता पार्टी ने प्रजातंत्र की मिसाल कायम रखी है कि उसने चुनाव का अवसर दिया। सत्ता पक्ष में रहने के बाद मुझे डागा साहब से बहुत सीखने को मिला है। आज उनके द्वारा कानून की धाराओं को देखा जा रहा है। अच्छा होता एक साल पहले इनको देखा जाता। हमारे नेताओं को जेल में डाला, उन्होंने क्या चोरियां की थीं ? मेरी तो छोटी बुद्धि है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस अल्प समय में जनता सरकार ने 9 लाख राजस्व अभियान के मामले निपटाये।

(श्री गोविंदसिंह शक्तावत)
दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि इतने थोड़े समय में एक ही राज्य में 9 लाख मामले निपटाए गए हों। मेरे क्षेत्र कुम्भलगढ़ में 90 प्रतिशत जमीन बेकार है। भूतपूर्व विद्युत् मंत्री के जमाने का रामलाल तेजाजी का मुकदमा है जिसको 20 साल से ऊपर हो गए, 4 बीघा जमीन का मुकदमा है। 40 हजार रुपये खराब हो गए लेकिन उसका फैसला आज तक नहीं हो पाया। मैंने कोई कटाक्ष नहीं किया है...

श्री मूलचन्द डागा: मुकदमा किस किस्म का था?

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत: मैं उसको आपके पास भेज दूंगा और सिफारिश करूंगा। आपकी कृपा होगी यदि उस मुकदमे में उसकी सहायता करें और उससे पैसा न लें।

इसके बाद मैं निवेदन करूं कि यह जो नसबंदी का अभियान चला, इसमें आमेट तहसील में एक गांव है। वहां जब डाक्टर और अधिकारीगण जीप में भर कर आए तो सफेद गाड़ी देख कर गांव खाली हो गया। वहां 13 साल के बच्चे का देहांत हो गया था। उसका बुड्ढा बाप वहां बैठा हुआ था। जब अधिकारी आए तो बुड्ढे ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि गांव के लोग पहाड़ों में छिप गए हैं, बाहर आयेंगे तब बच्चे का दाह संस्कार होगा। उस बुड्ढे को उठाकर ले गए और नसबंदी की।

इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं दावे के साथ कहता हूं कि 30 साल के शासन में क्या हुआ। नादरशाह थे उसने अपने भाइयों को मारा। सदन में उस दिन कुछ माननीय सदस्य अपने को इंदिरा गांधी के समर्थक कह कर वाक आउट कर गए उस समय सदन जानता है, कितने लोग उनके साथ थे। मुझे खुशी हुई उन माननीय सदस्यों को देखकर जो एक साल पहले इंदिराजी दिन कहतीं तो दिन कहते, रात कहतीं तो रात कहते, हां में हां मिलाते।

यहां अशोक मेहता की रिपोर्ट पर कितना वाद-विवाद हुआ। जिस समय संजय गांधी के हस्तक्षेप से इंद्र कुमार गुजराल को हटा दिया और उसकी जगह विद्याचरण शुक्ल को गद्दी पर बिठाया तो कौनसा आफिसियल पद उनका था जिनको भारतीय वायु सेना के विमानों में यात्रा कराई।

श्री मूलचन्द डागा: इसके लिए शाह आयोग काफी है।

श्री गोविंदसिंह शक्तावत: उपाध्यक्षजी, यह जो सी.आर. का फार्मूला है उसके कारण हर कर्मचारी डरा हुआ रहता है। कई बार ऐसा होता है, इसलिये साल के बाद अधिकारी सी. आर. खराब न लिख दे, इससे वह डरा रहता है। मैं कहता हूं दोषी अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए। एक कर्मचारी जो अधिकारी के तहत नौकरी कर रहा है, क्यों नहीं साल भर में उसको एक या दो बार चेतावनी दी गई? साल भर उसने अधिकारी की खुशामद नहीं की, पूजा सेवा नहीं की इसलिये उसकी सी. आर. बिगाड़ दी जाती है। तो हर जगह यह भावना रहती है कि अधिकारी को खुश करें। मेरा निवेदन है कि कर्मचारी के अंदर भय की भावना समाप्त होनी चाहिए।

(श्री गोविन्दसिंह शक्तावत)

दूसरी बात, सरकार ने जनजाति निगम बनाकर जो जयसमंद झील है उसका तीन लाख का ठेका दिया है, अच्छा किया। आज 12 हजार गांवों में सड़क के कार्य चल रहे हैं। इतने छोटे समय में जनता सरकार ने काफी कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। जिसको कहीं संरक्षण नहीं मिलता था, आज वह अपने धंधे में जुटा हुआ है इस आशा के साथ कि ऐसी सरकार आई है जो दुःख दर्द तो पूछती है। पब्लिक ग्रीवेंसेज, विजीलेंस कमेटियां बनी हुई हैं, हर विधायक उसका सदस्य है, हर व्यक्ति कलेक्टर को शिकायत दे सकता है।

अंत में, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : सर्व प्रथम तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि तीन दिन के प्रयास के बाद मुझे मौका दिया। वैसे हम लोगों का समय अलग से निश्चित किया गया था।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां आकर अपनी सरकार की रीति नीति के बारे में बयान दिया, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जनता ने प्रजातांत्रिक मूल्यों में अपनी आस्था व्यक्त की और जनता ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आपातकाल में बिडला जैसे पूंजीपति को पनपाने वाली सरकार को उल्टा कर दिया। जनता सरकार बनी, जनता सरकार ने भी राजस्थान की ग्रामीण जनता को दुबारा मौका दिया प्रजातंत्र में आस्था प्रकट करने का और पंचायतों के चुनाव हुए। परन्तु उसके बाद में क्या हमारी सरकार ने प्रशासन में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना की है? नहीं। इस सदन में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो गई परन्तु इस सदन के बाहर प्रजातंत्र नहीं, नौकरशाही का राज है। मैं आपको जिला स्तर से लेकर सचिवालय तक ले चलता हूं। मेरे माननीय साथी विधायक ने सचिवालय में क्या हो रहा है, वह बताया है परन्तु हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जब तक प्रशासन में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक यह सदन के अंदर प्रजातंत्र का मखौल रहेगा और इसका असर नहीं रहेगा, कभी भी कोई इंदिरा-गांधी दुबारा बन जाएगा और नौकरशाही हावी रहेगी।

यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, लोग नारा लगाते हैं कि देश की नेता इन्दिरा गान्धी। बाहर इन्दिरा गान्धी कहती हैं कि देश की नेता मैं हूं और कहती हैं I am the opposition. आज आप यहां जनता पार्टी का राज्य आने के बाद कह रहे हैं कि हमने प्रजातन्त्र कायम किया है। आपने डिस्ट्रिक्ट-विजीलेन्स कमेटी बनाई है और दूसरी कमेटीज बनाई हैं आपने जिलों में उन सभी कमेटीज का चेयरमैन किसको बनाया है। उन सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज का चेयरमैन कलेक्टर है। यह वही आई.ए.एस. कलेक्टर्स हैं जिन्होंने इन्दिरा गान्धी के राज्य में इमर्जेन्सी में लोगों के साथ अत्याचार किया था, संविधान को तोड़ा था। जब आप प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो आपने क्यों बनाया है इन कलेक्टर्स को इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज का चेयरमैन? इन कलेक्टर्स को हटाओ। आज, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में आप

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
देखिये, 18 विधायक है और यही 18 विधायक विभिन्न कमेटियों के और डिस्ट्रिक्ट विजीलेन्स कमेटी के मेम्बर हैं लेकिन इन कमेटीज में प्रिसाइड करता है कलेक्टर। यह क्यों? जब कलेक्टर प्रिसाइड करता है तो फिर क्या यह प्रजातन्त्र है? यह तो अफसरशाही जन प्रतिनिधियों पर हावी हो गयी। आज सचिवालय में अगर कोई मीटिंग होगी तो मिनिस्टर साहब प्रिसाइड करेंगे। तो क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह पसन्द करेंगे कि उनके नीचे के मुख्य सचिव उनकी केबिनेट मीटिंग प्रिसाइड करें? आज एक विधायक मन्त्री बन जाता है और बाद में कोई मीटिंग होती है तो वह मिनिस्टर प्रिसाइड करता है और मिनिस्टर नहीं बनता है तो कलेक्टर मीटिंग को प्रिसाइड करता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटीज बनी हुई हैं उनमें हमारे बजरंगलालजी क्यों नहीं प्रिसाइड करें? वे मिनिस्टर नहीं बन सके तो क्या हुआ। वहां कलेक्टर क्यों प्रिसाइड करे? यह कौनसा प्रजातन्त्र है?

इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, अभी अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत हमारे सदन के माननीय सदस्य, जो कि प्रतापगढ़ से आते हैं, कारू भाई मीणा ने एस.डी.ओ. साहब को बताया कि इस गांव में यह परिवार है जो कि अन्त्योदय योजना में आने चाहिये। एस. डी. ओ. ने उनकी बात नहीं मानी और उनको वहीं पर छोड़ गये। आखिर, उपाध्यक्ष महोदय, कारू भाई मीणा को 20 मील पैदल चल कर आना पड़ा। एक तो गरीब हरिजन को जन प्रतिनिधि के कहने से जमीन अलाट नहीं की दूसरे उन्हें वहीं छोड़ दिया। इसके बारे में उन्होंने मुख्य मंत्री जी से शिकायत भी की, कम्पलेन्ट की और भी सदस्यों ने मुख्य मन्त्री जी को कहा पर उस कम्पलेन्ट के ऊपर मुख्य मन्त्री जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस प्रकार की स्थिति आज प्रजातन्त्र के नाम पर अफसरशाही की हो गयी है। मैंने खुद ने, उपाध्यक्ष महोदय, सचिवालय में जाकर देखा। सचिवालय में मंत्री लोगों ने अपने पास सीनियर आर.ए.एस. अधिकारी वर्ग में से प्राइवेट सेक्रेटरी रख रखे हैं जो कि सारी फाइलें देखते हैं और फैसला लिखते हैं। मंत्रीजी तो फाइलें देखते ही नहीं हैं। यह आर. ए. एस. अधिकारी उनसे जिस पर चाहते हैं दस्तखत करा लेते हैं। एक तरफ तो जिला स्तर पर आई. ए. एस. अधिकारी छाये हुये हैं दूसरी तरफ सचिवालय में आर. ए. एस. अधिकारी हैं जो राज्य चलाते हैं। यह कौनसा प्रजातन्त्र है? यह प्रजातन्त्र का मखौल नहीं तो क्या है? मैं यहां पर इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जितने भी विधायक यहां पर बैठे हैं उनमें से 80 प्रतिशत विधायक ऐसे हैं जो कि मन में यह सोचते हैं और जब भी मिलते हैं तो आपस में यह कहते हैं कि हमने क्या आफत मोल ले ली। यह क्या प्रजातन्त्र है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेसी सरकार ने जागीरदारों को तो समाप्त किया पर उन्होंने कई पोलिटिकल लैण्डलोर्ड तैयार कर दिये। उन्होंने ऐसा मखौल प्रजातन्त्र का कर दिया कि देश का विनाश ही होता गया। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने हर क्षेत्र में कुछ विधायकों

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
को चुन लिया जिनका कि कांग्रेसी मंत्री काम करते थे और जनता के भी मन में यह था कि अगर कोई काम कराना है तो उस विधायक के पास जाने से काम होगा अन्यथा नहीं होगा। उसी प्रकार इस जनता पार्टी की सरकार ने अफसरशाही को हावी करके प्रजातन्त्र को समाप्त कर दिया। आज कुछ विशेष लोग हैं जो कि काम करा सकते हैं, ऐसी लोगों में आज धारणा बनी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में डेमोक्रेसी जो कायम की यह डेमोक्रेसी हमने अमेरिका और इंगलैण्ड में जो प्रजातन्त्र है उस बेसिस पर कायम की। अमेरिका और इंगलैण्ड के प्रजातन्त्र को हमने अपने यहां पर उधार लिया। मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इंगलैण्ड में एक साल में 9 महीने तक पार्लियामेंट चलती है और अमेरिका में सीनेट की कमेटियों को बहुत पावरफुल कर रखा है। लेकिन यहां राजस्थान में नाम का प्रजातन्त्र है। यहां के प्रजातंत्र को देखें तो मालूम होगा कि आज से पांच महीने पहले विधान सभा का बजट सत्र हुआ था उसके बाद में कोई विधान सभा का अधिवेशन ही नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : माननीय सदस्य, ऐसा ही है तो आप जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आये हैं। आपने जब जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो आप विधान सभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देकर क्यों नहीं दुबारा चुन कर आते ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैंने जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। पर मैं जनता पार्टी की वजह से जीत कर नहीं आया हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जिन लोगों ने पार्लियामेंट के चुनाव में जनता पार्टी की खिलाफत की। कुम्भाराम, फूलचन्द और इन्द्रा मायाराम के आगे हमारे मुख्य मंत्री जी ने घुटने टेक दिये। मैं इन कुम्भाराम और फूलचन्द जैन, इन्द्रा मायाराम के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। आज से कुछ साल पहले मुख्य मंत्री जी इसी सदन में वर्तमान गृह मंत्री जी के खिलाफ में भ्रष्टाचार के आरोपों की बौछार करते थे, उसी दोषी व्यक्ति सम्पतराम को मुख्य मन्त्री जी ने गृह मन्त्रालय सौंप दिया। यह जनता के साथ अन्याय नहीं तो क्या है ? यह जनता की पीठ में छुरा नहीं भौंका तो क्या किया ? यह प्रजातन्त्र की पीठ में छुरा भौंका है। यह कौनसा प्रजातन्त्र है ? यह कौनसी पोलिसी है कि सम्पतराम अगर कांग्रेस पार्टी में रहें तो भ्रष्ट और अपवित्र और अगर जनता पार्टी में आ जायें तो वही भ्रष्ट व्यक्ति पवित्र हो जाता है ?

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महो-महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिये ?

एक माननीय सदस्य : क्या सम्पतराम जी जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर नहीं आये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगायें। अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एम.पी. के इलेक्शन में जो इन्द्रा के हक में ताण्डव नृत्य किया वह तो मुख्य मन्त्री जी को मालूम ही है। मुख्य मन्त्री जी घुटने टेक सकते हैं मैं कुम्भाराम, इन्द्रा मायाराम और फूलचन्द और पुराने भ्रष्ट कांग्रेसी लोगों के आगे घुटने नहीं टेक सकता। इन लोगों के साथ मिल कर क्या मुख्य मंत्री जी ने भ्रष्टाचार को पनाह नहीं दी ? मैं जनता पार्टी दल से इस्तीफा देकर जनता के बीच में गया तो क्षेत्र की जनता ने मुझे सराहा। उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया कि भ्रष्टाचार की मदद करने वालों का साथ छोड़ दिया।

(व्यवधान)

मुझे मुख्य मंत्री जी की चमचागिरी नहीं करनी है। मैं जनता पार्टी के नाम भ्रष्टाचार को पनाह नहीं दे सकता। मैं भ्रष्टाचार के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। जिस इन्द्रा का विरोध करने वालों ने इन्द्रा गांधी के सामने घुटने टेक दिये। मुख्य मंत्री ने कुम्भाराम पर 1 करोड़ और 25 लाख रुपये के घोटाले का आरोप इस सदन में लगाया वही व्यक्ति उस कुम्भाराम को जनता पार्टी की वकिंग कमेटी में रखता है। मैं किसी की ताकत पर जीत कर नहीं आया, किसी के सहारे पर नहीं जीता। मैं जनता की ताकत और भगवान की कृपा से जीत कर आया हूं। जिन दुष्टों को जेल में बन्द करना चाहिये था उनको आपने जनता पार्टी में नेता बनाया है। अरे अभी भी जनता पार्टी के विधायकों, चेतो। अभी भी समय है।

(व्यवधान)

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भूतपूर्व गृह मन्त्री श्री केदारनाथ जी ने स्टेटमेन्ट दिया है, पेट्रीइट में छपा है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किस तरह से वेस्टेड पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स किया जाता है। यह 28 तारीख के पेट्रीइट अखबार में है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जो समय दिया गया है उससे अधिक समय नहीं मिलेगा। आप सिर्फ धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में ही बोलें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, हम इन्डिपेन्डेन्ट सदस्यों के लिये 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है इसलिये मुझे पूरा समय मिलना चाहिये। मैं यहां स्पष्ट तौर से बताना चाहूंगा कि मैं अपनी पूरी बात कह कर ही बैठूंगा। मैं पूरा बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि आप उतनी ही देर तक बोलेंगे जितनी देर तक कि मैं आपको इजाजत दूंगा। इससे ज्यादा आप नहीं बोलेंगे। आपको काफी समय हो गया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय इनको बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा, कोई सदस्य कितना बोलें और कितने समय तक

(श्री उपाध्यक्ष)
के लिये बोलें यह मेरे विवेक पर निर्भर है। इन्डिपेन्डेन्ट सदस्यों के लिये 30 मिनट का समय निर्धारित था। माननीय सदस्य श्री मदनसिंह दांता निर्दलीय सदस्य पहले ही काफी समय बोल चुके हैं। वह 23 मिनट बोल चुके हैं इसलिए इनके लिये अब सात मिनट ही बोलने के लिये बाकी हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, पेट्रोइट के कोरसपोन्डेन्ट को यह बताया गया है टाइम्स आफ इण्डिया में भी छपा है कि लोगों के खिलाफ उनसे गृह विभाग पूंजीपतियों, प्रतिक्रियावादियों व भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के दबाव में आकर मुख्य मंत्री ने लिया है।

(व्यवधान)

अगर यह गलत है तो केदार जी ने कान्ट्रेडिक्ट क्यों नहीं किया? आज इतने दिन बीत गये हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह है दिशा जिस तरफ जनता सरकार कार्य कर रही है।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पेट्रोइट में ऐसा कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपने उसका खण्डन क्यों नहीं किया? आप इतने दिन चुप क्यों रहे।

(व्यवधान)

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय अखबार में छपा है कि जनता पार्टी के विधायक मोहम्मद जहूर ने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है कि उनके क्षेत्र कामां के थानेदार ने 40-50 ग्रामीण लोगों को निर्दोष होते हुए पकड़ लिया और 40 हजार रुपये की घूस लेकर छोड़ा। इसकी समय पर सूचना देने पर भी गृह मंत्री ने कोई कार्यवाही नहीं की। एस. पी. अलवर ने फोन पर उनसे बात करने से इन्कार कर दिया। यह इंगित करता है कि भ्रष्टाचार को मान्यता मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले ही आपके समय में से 23 मिनट मदनसिंहजी बोल चुके हैं। आपके पास सिर्फ सात मिनट बाकी थे और आप काफी बोल चुके हैं। आप समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इन्डिपेन्डेन्ट्स के लिये 30 मिनट थे तो उसमें 15 मिनट मेरे बोलने का समय होता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको इस बारे में पूरा बता दिया है। आप जल्दी ही समाप्त करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी कहे बिना नहीं बैठूंगा। मैं पूरी बात कह कर ही बैठूंगा।

दूसरे कच्ची बस्तियों की ओर देखिये कि हमारी दशा क्या है। सरकार को वोट दिये गरीब लोगों ने, बिडला ने नहीं। यहां एक मंत्री कहते हैं कि 3 अगस्त, 1971 तक को रेगुलेराइज कर दिया जाये और यह नीति ठीक थी It suits them because it is the Government of the capitalists and landlords दूसरे मंत्री कहते

Page No 92

(92)

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
हैं कि 22 जून तक बस्तियों का नियमन किया जाय। यह विरोधाभास समाप्त कर 22 जून 1977 तक, जब जनता सरकार बनी, नियमन किया जावे।

श्री मदनसिंह दांता : आपने पहले जनता पार्टी क्यों जोइन की ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जनता पार्टी मैंने बनाई थी, मैंने जोइन नहीं की। किसी का मुझ पर अहसान नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : आपने बनाई थी तभी तो जागीरदारों की बनी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अगर प्रोफेसर केदार से कोई मंत्रालय छीनना था, अगर भैरोंसिंह जी को शर्म आकर त्यागपत्र लेना था तो राजस्थान नहर में हुई लापरवाही और निष्क्रियता के लिए लेना था। अधिकारियों ने 2 करोड़ रुपये का बजट सरेन्डर कर दिया और 10 करोड़ रुपये के सामान का आर्डर बुक कराकर खर्चा करना दिखाया जा रहा है। महज यह दिखाने के लिए कि हमने 28 करोड़ रुपया पूरा खर्च कर दिया। राष्ट्रीय योजनाओं के अन्दर ऐसी बद-इन्तजामी है और यह इस्तीफे की मांग करते हैं मुझ से। आज भी नहर मंत्री वही हैं और भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री हैं लेकिन राजस्थान नहर का क्या हुआ ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : It is a criminal negligence on the part of the Government. योजना आयोग और कृषि आयोग से बात करके लिफ्ट योजना के लिए सरकार ने स्वीकृति दी लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कल कहा कि केबिनेट अभी लिफ्ट योजना पर विचार कर रही है। ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण शीघ्र ही समाप्त करें। मैं आपको कह रहा हूं। आपने 18 मिनट ले लिये हैं। मैं आपको अधिक समय नहीं दे सकता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : समय नहीं है तो मुझे बाहर फेंक दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको बार-बार निवेदन कर चुका हूँ आप अपना भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : दो मिनट।

केबिनेट में लिफ्ट कैनाल की योजना पर विचार करने से पहले ही चीफ इन्जीनियर ने कोलायत व गजनेर के सब डिविजन को बन्द कर दिया। जब इसे बन्द करना था तो बनाना ही नहीं चाहिए था। वह चीफ इन्जीनियर जो कि चेयरमैन बनना चाहता था उसको चेयरमैन नहीं बनाया। उस चीफ इन्जीनियर का हित राजस्थान के लिए नहीं है। उसने जान बूझकर निर्माण कार्य में ढील की है। आज वह चीफ इन्जीनियर बना हुआ है। लाखों लोग भूखे और नंगे हैं वह राजस्थान नहर की ओर देख रहे हैं कि कब पानी आयेगा। वहां तो पानी क्या आयेगा उनकी आंखों में पानी आ रहा है। राजस्थान कैनाल क्षेत्र में सात हजार अलाटीज ने कब्जा नहीं लिया लेकिन आज तक उस स्थिति को ठीक नहीं किया गया। वह

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

स्थिति बदस्तूर कायम है। नौ हजार अलाटीज में से आधे खेती कर रहे हैं पानी खराब आ रहा है।

मैं अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि अन्त्योदय योजना बहुत अच्छी योजना है, बहुत उत्तम योजना है परन्तु जल्दबाजी में यह योजना लागू की गयी है। सैक्रेटेरियट के किसी डिप्टी सैक्रेटरी के दिमाग में आया और मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम, यह अन्त्योदय योजना क्या है? यह योजना कलेक्टर्स को भेजी गयी 25 अक्तूबर को और 2 अक्टूबर को योजना चालू हो गयी। इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ 25–11–77 को। जल्दबाजी में यह योजना बना दी है। अन्त्योदय योजना को ठीक मानता हूं but it is ill drafted, ill conceived, and ill implemented.

ऐसी योजनायें अगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लागू कराई गयी तो जो हाल बीस सूत्री योजना का हुआ वही इसका भी हाल होगा। मैंने मुख्य मंत्री जी को दो महीने पहले एक चिट्ठी लिखी थी कि कोलायत क्षेत्र में 13 पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पर लोन दिया जा रहा है और गरीब किसान से कोआपरेटिव बैंक शेयर मनी मांगते हैं। समय-समय पर हमने कोशिश की और मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाया लेकिन समाधान नहीं किया।

अन्त में मेडिकल कोष बनाया गया 3 करोड़ का। इसमें से आधा पैसा सरकार देगी और आधा जनता देगी। यह सुविधा उन्हीं जगह दी जाये जहां से जनता का सहयोग आये। शहरों में मेडिकल फैसेलिटीज पूरी हो गयीं और जब गांवों की बारी आई तो कहते हैं कन्ट्रीब्यूशन दे जनता। शहरों में पांच मेडिकल कालेजेज बना दिये जहां इलाज कम और भ्रष्टाचार अधिक होता है। उसकी परवाह नहीं और लाखों परिवारों को अन्त्योदय योजना में मेडिकल फैसेलिटी देने के लिए कन्ट्रीब्यूशन की मांग की जा रही है।

अन्त में मैं कर्मचारियों के बारे में कहूंगा। जनता पार्टी ने वायदा किया था कि कम्पलसरी रिटायर्ड लोगों को वापस लिया जायेगा लेकिन आज तक बाबू जैसे व्यक्ति नहीं लिए गए। जिसने भ्रष्टाचार किया है तो उसके लिए आई. ए. एस. पहले दोषी था। आज आई. ए. एस. कायम हैं, डिप्टी सैक्रेटरी कायम है, आर. ए. एस. कायम है लेकिन सारा दोष बाबू का मान लिया। मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देवस्थान विभाग का देता हूं। मैं नहीं जानता कि वह आदमी चोर है या बदनाम है। 1973 में उसको आर. ए. एस. में प्रमोशन दिया। वह इन्सपेक्टर था। तब उसका रिकार्ड ठीक रहा फिर भी 23–10–75 को उसको कम्पलसरी रिटायर करके 30-10-75 को वापस बहाल किया गया। 31–3–77 को जब कांग्रेस सरकार की टांग कब्र में गयी हुई थी श्री हरिदेव जी जोशी ने उसको कम्पलसरी रिटायर कर दिया। उसकी रिव्यू पिटीशन पर चीफ सैक्रेटरी ने लिखा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है इसलिए दुबारा रीइन्सटेट किया जाये। चीफ सैक्रेटरी जैसे कि टिप्पणी के बाद भी न मालूम कि बड़े या छोटे मुख्य मंत्री ने केस रिजेक्ट कर दिया उसकी कोई रिपोर्ट खराब नहीं, कोई इन्क्वायरी नहीं फिर भी उसको कम्पलसरी रिटायर कर दिया। अभी तक उसका केस फाइनल नहीं

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

हुआ है। यह उदाहरण जब आर.ए.एस. जैसे व्यक्ति का है तो छोटे-मोटे बाबू लोग जो मारे जा रहे हैं, उनका क्या होगा। मेरी आत्मा अभी भी जनता पार्टी के साथ है। मैं चाहता हूं कि यह जनता सरकार थोड़ी कायम रहे इसलिए अपने अन्तरदिल से चाहता हूं कि यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है वह पास हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंह कछवाह।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना नाम दे रखा है और मेरा नाम पुकारा भी गया था लेकिन मैं नमाज पढ़ने चला गया था इसलिए मुझे समय दिया जाना चाहिए···

श्री उपाध्यक्ष : मुझे खेद है कि शायद आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी।

श्री अब्दुल अजीज : मेरा नाम काल किया गया था, मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने गया था और यह हमारा राइट है। आपको समय देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : सर्व प्रथम मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आखिरी दिन आपने कृपा करके समय दिया। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण 28 फरवरी को इस सदन में हुआ, मेजें थपथपाई गईं, स्वागत किया गया। उसी दिन जोधपुर संभाग में, जोधपुर शहर में लाखों लोगों ने जोधपुर बंद का आह्वान किया और जोधपुर बन्द रहा। जोधपुर संभाग की कई जगहों पर, मथानिया में बंद का आह्वान हुआ वहां पर भी शांतिपूर्ण जुलूस निकले।

एक माननीय सदस्य : संभाग में कहीं नहीं हुआ।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 28 फरवरी एक नया इतिहास बनायेगी। पश्चिमी राजस्थान में विकास का नया इतिहास बनायेगी। यदि विकास नहीं हुआ तो पश्चिमी राजस्थान के अन्दर एक बलिदान का इतिहास बनेगा और वह बलिदान का इतिहास अगर शुरू हो गया तो मैं समझता हूं उस वक्त चाहे कोई सरकार इस राजस्थान के अन्दर हो, उसे संभाल नहीं सकेगी। मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर संभाग राजस्थान का हिस्सा है और उन लोगों ने कुर्बानी दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब 1965 के अन्दर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ी उस वक्त जोधपुर संभाग ऐसा था कि जहां पर बमबारी करने की खुली छूट दी गई, वहां कोई एन्टी एयर क्राफ्ट गन नहीं थी और जो गन्स थीं वे किसी काम की नहीं थीं, उनसे कोई निशाना नहीं लगाया जा सकता था। उस जोधपुर संभाग को इसलिए खुला छोड़ा गया कि वहां बमबारी करते रहें और जोधपुर संभाग के लोग गोलियों से मरते रहें और अन्य लोग, जोधपुर संभाग की कुर्बानी के कारण चैन से बच सकें। जोधपुर संभाग वालों ने बलिदान दिया लेकिन सरकार ने क्या किया, हाई कोर्ट के टुकड़े किये। जयपुर के अन्दर,

Page No 95

(95.)

(श्री माधोसिंह कछवाह)

जयपुर में सब तरह का विकास हुआ है, उस खण्ड पीठ को आये। यह जोधपुर वालों को उस बलिदान का इनाम दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, बमबारी अगर जोधपुर वाले सहन कर सकते हैं तो उन लोगों के अन्दर डिमाण्ड करने की भी हिम्मत है।

जोधपुर संभाग के अन्दर पानी के तालाब हैं। वे तालाब उस जमाने के अन्दर बने थे जब कोई इन्जीनियर नहीं थे। आबादी बढ़ने के साथ वहां आज पानी की भयंकर कमी है। पशुओं को पानी नहीं मिलता। आजादी से पहले जोधपुर शहर में पानी की इतनी व्यवस्था थी कि कमी महसूस नहीं होती थी। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जोधपुर संभाग के अन्दर पानी पैसे के द्वारा भी नहीं मिलता है लेकिन दारू वहां पैसे के द्वारा मिलती है। दारूबन्दी हो गई। अन्य विकास की बात नहीं। आपने वहां पर कोई उद्योग भी स्थापित नहीं किया। जोधपुर संभाग में जहां रेत के टीवे हैं, वहां पानी की कमी है. उद्योग की कमी है, स्कूलों की कमी है और सड़कों की भी भारी कमी है। अभी राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों के लिये 260 लाख रुपये की स्वीकृति दी है उसके अन्दर भी प्राथमिकता दी गई है कोटा और उदयपुर डिविजन को। पश्चिमी राजस्थान में सड़कों की जरूरत नहीं है क्या? श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर के अन्दर लाखों रुपयों की धनराशि माइन्स से आती है, लेकिन वहां सड़कों के लिये नहीं गई। 260 लाख रुपये की स्वीकृति की जो लिस्ट है उसमें जोधपुर का नाम नहीं है। जोधपुर को तीस साल तक तो उधर बैठने वालों ने नजर अन्दाज किया, वह क्रम अभी भी जारी है। इसलिए जोधपुर के लोगों ने मजबूर होकर जोधपुर बन्द का आह्वान किया। आप इसको नजर अन्दाज नहीं कर सकते, मरु प्रदेश बने तो इसमें बाधा न की जाये। हालांकि मैं मरुप्रदेश की अलग मांग के पक्ष में नहीं हूं लेकिन इतना कहना चाहता हूं, अगर विकास नहीं किया गया, जनता सरकार को समय दिया जाता है उसमें विकास नहीं हुआ तो मैं पहला आदमी हूंगा मरु प्रांत की मांग करने वाला..

(व्यवधान)

(4.37 म. प.)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इंट्रप्शन्स न किये जायें। अच्छी सलाह दें। यहां खाना देने की बात हो रही है और आपको मजाक सूझ रही है। यह मजाक आपको पांच साल और भुगतनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आज जब मैं जोधपुर संभाग की बात कह रहा हूं, आप इस मौके पर पधार गये हैं। मुख्य मंत्री जी बिराजमान हैं ही। मैं निवेदन कर रहा था कि जोधपुर में आज भी सड़कों की समस्या है और जो माइन्स रोड्स हैं उनकी मरम्मत की जरूरत है। जो 260 लाख रुपये की पूरे राज्य के लिये स्वीकृति हुई है अब भी अगर मुख्य मंत्रीजी चाहें तो उस राशि में से कुछ राशि दे सकते हैं। मुख्य मंत्रीजी आप सदन को आश्वासन दीजिये कि जो भी साधन हैं, उन साधनों में से जो हिस्सा जोधपुर का है वह जोधपुर को दिया जायेगा। जोधपुर के हिस्से की तरफ आपका ध्यान

(श्री माधोसिंह कछवाह)

आकर्षित करना चाहता हूं, पश्चिमी राजस्थान को उस राशि में से कुछ राशि देनी चाहिए। इन तीस सालों में जिन जिन बिन्दुओं पर विकास नहीं हुआ है, जोधपुर को विकास की दृष्टि से तीस साल तक नजर अन्दाज किया है, उसको ध्यान में रखते हुए उस राशि का विकास के लिए बंटवारा किया जाये नहीं तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है, समय कम है, आज मरु प्रदेश की मांग है लेकिन समय-समय पर जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान का विकास हर वर्ष तीव्र गति से किया गया तो मैं समझता हूं कि जोधपुर के लोग, पश्चिमी राजस्थान के लोग, बलिदान देने वाले लोग किसी प्रकार इस मांग को आगे नहीं बढ़ायेंगे। जब उन्होंने सोचा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारी बात को सुनाने का, क्योंकि 30 साल तक उनकी बात को नहीं सुना गया और यह सरकार भी नहीं सुने तो जोधपुर संभाग हमेशा के लिये पीछे रह जायगा इसलिये उन्होंने यह शान्तिपूर्ण प्रदर्शन 28 तारीख को किया है। यह उनकी तरफ से चेतावनी का रूप रखती है। आज मैं इस सदन में जोधपुर की जनता की तरफ से प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस शान्तिमय मांग को समझें. शान्तिपूर्ण तरीके से समझें और राजस्थान के विकास में पश्चिमी राजस्थान का ख्याल रखें।

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने से पहले उस महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जो पश्चिमी राजस्थान में, रेत के धोरों में रहती है, उसने पानी की कमी के बावजूद भी इस परिवर्तन का साथ दिया और जनता राज्य स्थापित किया। इसके साथ ही मैं इस जनता को भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने 28 तारीख को शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी और बताया कि पश्चिमी राजस्थान के लोग क्या चाहते हैं।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण कृपापूर्वक इस सदन में दिया है उस पर भाई माणक चन्द जी सुराणा ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है। जनता सरकार ने 9 महीने से कम समय में राजस्व मामलों के निपटारे का अभियान चलाया, मैं समझता हूं विपक्ष में बैठने वाले भी सभी इससे परेशान हैं और इसीलिये आज वे भैरोंसिंह जी को भीरू सिंह कहते हैं। वे सिर्फ इसलिये कहते हैं कि भैरोंसिंह जी ने राजस्थान को एक नई दिशा देने का अपनी परिपक्व बुद्धि और सूझबूझ से नक्शा बदला है। उसका यह अन्दाजा लगा चुके हैं और वे यह भी सोचते हैं कि अगर पांच साल में भैरोंसिंह जी इसी गति से आगे बढ़े तो भीरू सिंह जी ये खुद हो जायेंगे। मेरा निवेदन है उनको कुछ समय यह देखने के लिये इन्तजार करना चाहिये कि किस तरह भैरोंसिंह जी राजस्थान के विकास को आगे ले जायेंगे। थोड़ा बहुत आपको इन्तजार करना चाहिये। अब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। पार्टी की तरफ से मेरा नाम था। लेकिन शुक्रवार की नमाज में चला गया और उसी बीच में मेरा नाम पुकारा गया था। या तो यह कह

(श्री अब्दुल अजीज)
दीजिये कि कोई भी मुस्लिम जुम्मे की नमाज पढ़ने नहीं जायेगा...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके दल को सीमा के उपरान्त बहुत उदारतापूर्वक समय दिया जा चुका है। अब मैं समय देने में कतई विवश हूं।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं कि क्या शुक्रवार को कोई मुस्लिम नमाज के लिये जा सकता है या नहीं जा सकता है? आज सरकार का उत्तर आने वाला है और मैं अपने विचारों को नहीं रख सका।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं विवश हूं अब समय नहीं दे सकता हूं। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल अजीज : आप यह व्यवस्था कर दें कि जुम्मे की नमाज पढ़ने कोई मुस्लिम नहीं जाय। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम माइनोरिटी में है—आज वेस्ट बंगाल में क्या है, वहां डेढ़ घन्टा अवश्य दिया जाता है लेकिन मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूं। मुझे बोलने का समय दिया जाना चाहिये। यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो मुझे कहना चाहिये, वह मुझे अधिकार है और वही कहता हूं।

श्री अब्दुल अजीज : आप मुझे समय नहीं देंगे। मैं कम्युनिटी विशेष के खिलाफ बोलता हूं इसलिए आपने यह बना लिया है कि समय नहीं दिया जाय। जुम्मे में मुस्लिम सदस्य नमाज नहीं पढेंगे, यह आप व्यवस्था कर दीजिये। मैं अपने दायित्व को समझता हूं लेकिन जुम्मे की नमाज के वक्त यह नहीं हो सकता कि मैं यहां रहूं।

श्री अध्यक्ष : I will have to name you Please resume your seat माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल अजीज : आज आप मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत if you. don't mind....

श्री अब्दुल अजीज : Sir, this is my right to know. I have all the regards for you but....

श्री अध्यक्ष : Mind it, I will pull you up.

श्री अब्दुल अजीज : But I would like to know whether a Muslim member of this House can go to perform his prayer or he has to remain in this House? I want your ruling on this point.

श्री अध्यक्ष : I am sorry. मैं आपको समय नहीं दे सकता हूं।

श्री जयकृष्ण!

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था को तो चेलेन्ज नहीं करता परन्तु इनके साथ अन्याय हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था, समय दूंगा और निश्चित रूप से समय दूंगा, फिर उसके बाद सभापति महोदय ने कहा, टाइम दूंगा निश्चित रूप से। इसलिये दो मिनट का समय दे दिया तो जाय ठीक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरी सहानुभूति है माइनोरिटी के साथ लेकिन मेरी भी विवशता है। माननीय सदस्य को मैं निवेदन कर चुका हूं कि बजट के समय सामान्य वाद-विवाद पर बोल सकते हैं लेकिन फिर भी मैं दो मिनट का समय दे दूंगा।

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय उदार हैं।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय कभी अनुदार नहीं है।

इधर सचेतक महोदय मेरी आफत करते हैं। जनता पार्टी के प्रति मैं अन्याय करता हूं तो मैं जनता पार्टी का आभारी होते हुये इनके प्रति गैर वफादारी प्रकट करूं, यह नहीं हो सकता है।

श्री जय कृष्ण शर्मा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पांच मिनट कृपया।

श्री मदन सिंह दांता : इनके तो पांच मिनट ही काफी हैं।

श्री जय कृष्ण शर्मा : 5 और 10 मिनट के बीच में ही बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण इस सदन में आकर हमें सुनाया। अभिभाषण को सुनने के बाद हमारे मन में यह आया कि राज्य सरकार की रीति-नीति, सिद्धान्त और उसकी कुछ बातें इस अभिभाषण में होनी चाहिये थीं परन्तु अभिभाषण में हमें बहुत बड़ा तोहफा मिला कि राज्य सरकार की नीति पर, राज्य सरकार के कोई कार्यक्रम पर, राज्य सरकार के कोई सिद्धान्त पर, राज्य सरकार की कोई गतिविधियों पर प्रकाश नहीं डाला गया। अभिभाषण में सुनने को मिला केवल सरकारी अधिकारियों को धन्यवाद, केन्द्रीय सरकार से अपनी इच्छायें तथा राज्य सरकार को आगे करने की कुछ सलाह-ये ही बातें इस अभिभाषण में देखने को मिली हैं। इससे साफ होता है इस राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश में जनता पार्टी की सरकारों के पास न कोई लक्ष्य है, न कोई सिद्धांत है, न कोई नीति है और न कोई रीति है। केवल जनता का नाम ले लेते हैं और बार बार कह देते हैं कि जनता ने इस सरकार को चुना है। 30 साल की हुकूमत में जनता की एक भावना थी कि वे सरकार को चेन्ज करना चाहते थे, कुछ तब्दीली लाना चाहते थे ताकि देश में कोई समाजवादी सरकार आकर अपना योगदान दे। जनता ने उसी के आधार पर यह सब कुछ किया और जनता सरकार कुछ सूबों के अन्दर और केन्द्र में भी बनी। इस थोड़े से आठ महीने के अर्से के अन्दर ही क्या हुआ? एक भाई अभी कह रहे थे कि लोक सभा के चुनाव, विधान सभा के चुनाव और आज देश के अन्य कुछ प्रान्तों के अन्दर जो चुनाव हुए हैं, चाहे वे चुनाव कर्णाटक में हुए हों, चाहे ये चुनाव आंध्र में हुए हों, और किन्हीं प्रान्तों में हुए हों, उन्होंने यह बताया है कि जनता सरकार के साथ कितने लोग हैं। कितने लोगों ने उनका साथ दिया है, कौन कौन से वर्ग आपके साथ हैं। यह बात आज थोड़े से अर्से में ही सिद्ध होने जा रही है। परन्तु इस बात के लिये अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात के लिए है कि जैसे एक

(श्री जग कृष्ण शर्मा)

कहावत है, एक व्यक्ति से पूछा कि तीन और चार कितने होते हैं, वह कहता कि आठ होते हैं। वह बहुत समझाने की कोशिश करते कि भाई तीन और चार तो सात ही होते हैं, आठ नहीं होते लेकिन वह नहीं मानता। तीन और चार आठ ही होते हैं। वही बात आज जनता सरकार करने जा रही है। हमेशा तीन और चार को आठ ही बता रही है। दूसरे मुल्कों ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, जिसको आप बहुत पास बिठाते हो, उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत बड़ी तरक्की हुई है। इसके गुणगान वे करते हैं। दूसरे मुल्क करते हैं और सब कहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर आजादी के बाद में बहुत बड़ी तरक्की हुई है परन्तु आठ महीनों में एक ही बात को दोहराते 2 थक जाते हैं कि इस देश में कुछ नहीं हुआ। तीस सालों में बहुत अन्याय और अत्याचार हुए। केन्द्रीय सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ, तीस सालों में अन्याय ही अन्याय हुए और देश बहुत पीछे चला गया। मैं इस बात को मानता हूं कि इस थोड़े से समय में आपातकाल में थोडी बहुत इम्पलीमेंटेशन में गडबड़ हुई जिसको ही रात दिन इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसमे मुझे अफसोस होता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैंने रेडियो पर सुना और अखबारों में पढा कि केन्द्रीय सरकार का जब बजट आया तो केन्द्रीय सरकार ने कहा कि हम सोना बेचने जा रहे हैं। अफसोस इसलिये हुआ कि घर का एक बड़ा आदमी जो पूंजी छोड़ कर जाता है वह इसलिये कि अगर औलाद नालायक हो तो भी घर बचा रहे। परन्तु औलाद इतनी नालायक तो नहीं हो कि वह अपना भरण पोषण भी नहीं कर सके। कम से कम वह अपना भरण पोषण तो करती रहे। यह कहीं नहीं देखा होगा कि यह औलाद कभी मकान बेच दे, कभी साइकिल बेंच दे, कभी स्कूटर बेच दे, कभी और कुछ बेच दे। अफसोस होता है, यह औलाद कैसी पैदा हुई जो कभी स्कूटर बेच रही है, कभी साइकिल बेच रही है, कभी बरतन बेच रही है। इसी तरह से बेचती रही तो घर में खाने को भी नहीं रहेगा। यह हालत हमारी केन्द्रीय सरकार कर रही है। यह हालत है इस देश की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर कोटा और बूंदी के लोगों ने, इस क्षेत्र के तमाम जनता पार्टी के लोगों ने······

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनिट में।

कोटा और बूंदी के लोगों ने बताया कि वहां पर इतना गन्ना पैदा हुआ है कि उस गन्ने को खरीदने वाला नहीं है। किसान को को-आपरेटिव ने लोन दे दिया और अब यह हालत होने वाली है कि 15 अप्रेल को गन्ने की मिलें, शुगर मिलें बन्द हो जायेंगी और वह गन्ना सड़ने लग जायेगा। यह हालत यहां होने वाली है। इसलिये मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कोरी बातें करते रहोगे, किसी तरह से सरकार चलती रहेगी परन्तु आप इस देश के अन्दर अगर विकास की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो यह देश आगे बढ़ेगा नहीं। लोगों की प्रजातंत्र के प्रति आस्थायें भंग होंगी। इस समय कहा गया कि हम बिजली की रेट में बढोतरी कर रहे हैं। यहां पर जो लोग बैठे हैं उनमें बहुत से किसान भी हैं···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक मिनिट में।

किसान भी हैं और दूसरे भी हैं लेकिन कोई भी किसान यहां पर खड़ा होकर कह दे कि किसी किसान ने पानी अगर दिन में दिया हो तो बता दे। कोई किसान खड़ा होकर बता दे चाहे अलवर का कह दे, भरतपुर का कह दे, जयपुर का कह दे। कहीं भी दिन के अन्दर किसान को बिजली नहीं मिली। जब बिजली मिली नहीं तो बढ़ोतरी किस की करने जा रहे हैं? एक बात जरूर है कि इस सरकार ने ट्रांसफर्स खूब किये हैं। चाहे टीचर्स के हों, चाहे बी.डी. ओज. के हों, चाहे वैद्यों के हों, खूब ट्रांसफर किये हैं। एक बेचारे मास्टर की औरत जो पंचायत के अन्दर कोप्सन में आ गई और जनता पार्टी का सरपंच हार गया और उसके विरोध में वह कोप्सन में आ गई तो दूसरे दिन ही उसका तबादला धौलपुर कर दिया। ट्रांसफर्स में भी आप मुलाहिजा करें। 232 पंचायत समितियों में 353 बी. डी. ओज का तबादला किया है। सतरह हजार टीचर्स का तबादला किया है और दो हजार आयुर्वेदिक औषधालयों में 2300 वैद्यों का तबादला हुआ है आप कितना खर्चा कर रहे हैं। आखिर ये राज्य के बजट पर ही भार पड़ने वाला है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम शराबबन्दी करने जा रहे हैं और अभी आपने तीन दिन पहले ही पन्द्रह प्रतिशत शराब की बिक्री ज्यादा करोगे इस शर्त के साथ उदयपुर में ठेके दिये हैं। कहां शराबबन्दी करना चाहते हो? कोई शराबबन्दी नहीं करना चाहते। कांग्रेस सरकार को नसबन्दी ने खतम कर दिया और मैं आपको आगाह करता हूं कि सही तौर पर आपने भी नहीं किया तो हमको तो नसबन्दी ने विरोध में लाकर बिठा दिया और आपको यह नशाबन्दी लाकर बिठा देगी विरोध में, अगर सही तौर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। योजनायें अच्छी होती हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम भी अच्छा था, पांच सूत्री कार्यक्रम भी अच्छा था लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन गलत हुआ, उसकी आपको गिला है। आपकी इस अन्त्योदय योजना में कुछ भी नहीं है, यह धोखाधड़ी है, गलत है फरेब है आपकी पार्टी का प्रचार है। अन्त्योदय योजना आपकी फरेब है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री जयकृष्ण शर्मा : जय हिन्द !

श्री अध्यक्ष : मैं बहुत आभारी हूं आपके सहयोग के लिए।

श्री अब्दुल अजीज। दो मिनट केवल।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देना या नहीं देना यह इस पक्ष या उस पक्ष के मकसद के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि एक गवर्नमेंट अपने पीरियड में लोगों को कितनी खुशहाली दे सकी इसके ऊपर मुनस्सिर करता है। मैं आपका ध्यान, अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान की पिछले आठ महीनों की तस्वीर की तरफ ले जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि गरीब लोगों के प्रति आपके इरादे क्या हैं। किसानों के प्रति आपके इरादे क्या हैं, मजदूरों के प्रति आपके इरादे क्या हैं, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(श्री अब्दुल अजीज)

अध्यक्ष महोदय, यह जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने पढ़ा उसमें बताया है कि बढ़ती हुई बेकारी को मिटाने के लिए कितना कुछ किया, यह सब सिर्फ दिखावा है। अन्त्योदय योजना यह तो भुलावा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था की जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज राजस्थान में क्या हालत है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरी केबिनेट का और माननीय सदस्यों का कि जो आज जनता पार्टी राज कर रही है, उसकी क्या हालत है। कानून बनाना ही काफी नहीं है, कानून बनाने के बाद उसकी नाजिश करना बहुत जरूरी है। आपने कानून बना रखे हैं मिलावट के, आपने कानून बना रखे हैं शराबबन्दी के, आपने कानून बना रखे हैं लोगों को राहत पहुंचाने के और आपने कानून बना रखे हैं ताकि इन्सान दिन भर की मेहनत के बाद रात को सकून से सो सके। इन सब बातों में यह सरकार नाकामयाब रही है। मैं आपको बताता हूं कि पहले खुद के यहां चोरी हुई, आज भी चोरी हुई है।

(व्यवधान)

यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी एम.एल.ए. के यहां चोरी न हो, यह कोई बात नहीं है लेकिन यह दास्तान है इस बात की कि क्या हालात हैं, यह दास्तान है इस राज के काम काज की और अधिकारियों के हालात की। बिजली के बारे में आप देखिये कि दो सौ कारखाने मकराने में हैं वे बन्द रहे क्योंकि बिजली थोड़ी देर आई, थोड़ी देर गई। मारबल उद्योग के लिए बिजली का रुक जाना बहुत बड़ा नुकसानदेह रहता है।

अध्यक्ष महोदय, छोटी छोटी समस्यायें ही नहीं, मैं आपकी खास तौर पर तवज्जोह दिलाऊं, शाह ईरान की आमद पर मुझे गिला नहीं लेकिन जिस तरह से, जिस शान शौकत से और मैं कहूं कि जिस पागलपन की तरह से स्वागत किया गया उससे मुझे गिला है। 3' × 3' का केक बनाया गया जिस पर राजस्थान नहर की तस्वीर बनाई और शाह ने अपने चाकू से उसको काटा। इसका मैं भयंकर विरोध करता हूं। क्या शाह ईरान इसलिए यहां पर आए कि हम उनके लिए राजस्थान नहर की केक बनाए और उसको शाह ईरान काटें। यह मेरे लिए बहुत ही दुख की और शर्म की बात है। राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव और सरकार के लोग भी वहां पर मौजूद थे। उनका सिर शरमिन्दगी से झुक जाना चाहिए था। जिस शख्स ने केक पर राजस्थान नहर की तस्वीर बनाई उसको राजस्थान से प्रेम नहीं हो सकता। क्या यह अच्छी बात थी? आप लोग भी इसको पसन्द नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान सरकार की कामयाबी का सवाल है

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं आपका ध्यान राजस्थान पत्रिका की एक खबर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान पत्रिका के 28 फरवरी के अंक में यह लिखा गया है कि काश संजय गांधी साउथ की तरफ भी जाते। आप बताइये, ये इनकी कामयाबी के कारनामे हैं। यह मंत्री ने कहा है और राजस्थान पत्रिका के संवाददाता ने, कार्यालय संवाददाता ने लिखा है कि अगर संजय गांधी साउथ चले जाते तो हमारी कामयाबी हो जाती। इसके मायने हैं

(श्री अब्दुल अजीज)

कि आपकी सरकार की कोई कामयाबी नहीं है, आप गलत प्रचार करके यह कामयाबी हासिल करना चाहते हैं! अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं इस बात को भी कहने से इन्कार नहीं करता कि शेखावत साहब सख्त भी और रहम दिल भी हैं। जैसा कि एक पास पोर्ट और वीसा का अनुभव हुआ है। इसी प्रकार की सख्ती पूरी केबिनेट में भी दिखाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। इसके साथ ही मेरा निवेदन है मुख्य मन्त्री जोधपुर के मरुस्थल की तरफ ध्यान दें। जो अभिभाषण दिया गया है, उसमें कई बातों की कमी नजर आती है। इसलिए मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करने में मजबूर हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रो. केदार !

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा है। हमारी जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार क्या करने जा रही है, इसके बारे में उन्होंने सुझाव दिये हैं। मान्यवर, जनता पार्टी के अचीवमेण्ट्स क्लीयर हैं और अनेक गुना हुए हैं। इस प्रकार से अवाम को 30 साल के बाद सरकार बनाने का मौका दिया है। जनता पार्टी ने विशेष कार्य यह किया है कि जो डेमोक्रेसी छीनी गई थी, उसको वापस लायी है। हमने मिल-जुल कर जिन्होंने फ्रीडम मूवमेण्ट में आजादी के लिए कुर्बानी की थी उनको याद किया। जो लोग 30 साल से बराबर समाजवाद का नाम लेते रहे हैं, समाजवाद के लिए लड़ते रहे हैं उन्होंने जो कुर्बानियां की हैं, उनके प्रति हमने फर्ज अदा किया है। जो लोग 19 महीनों तक जेलों में बन्द रहे, उनके प्रति भी हमने फर्ज अदा किया है। जो डेमोक्रेसी हम वापिस लाये हैं, यह काम कम नहीं है। आजादी के बाद यह काम एक बहुत बड़ा काम था। यह इतिहास में हमेशा याद रहेगा। डेमोक्रेटिक सोशलिस्टक पैटर्न से जो काम किया है, उसमें हो सकता है कई गलतियां हुई हों, कई फीलिंग हुई हों, कई भूलें हुई हों, लेकिन जिस कन्टेक्स्ट में यह राजनैतिक पार्टी आई है, आजादी आई है उसमें डेमोक्रेटिक फार्म में सरकार को चलाना, एक बड़ा काम था।

माननीया इन्दिरा गान्धी जी एक पार्टी की बड़ी नेता हैं, मैं मानता हूं। लेकिन 19 महीने में कांग्रेस हुकूमत उनके हाथ में थी। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा दमन इन 19 महीनों में जो हुआ है, वह वर्किंग क्लास का हुआ। उनके अन्दर जो इण्टेलिजेन्सियां थीं, वह समाप्त कर दीं। इन्दिरा जी के राज में जो चार बातें याद रखी गईं, जुडिशियरी को समाप्त कर दिया जाय, देश के अन्दर पोलिटिकल इण्टेलीजेंस को समाप्त कर दिया जाये, उनकी पार्टी के अन्दर डेमोक्रेसी समाप्त कर दी जाये।

श्री रामनारायण चौधरी : Oollectivo leadership is a fiaud,

श्री केदार नाथ : यह तो आप कहें। हम कहते हैं आर्गेनाइजेशन में कलेक्टिव लीडरशिप होती है। मैं यह मान सकता हूं। जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। 19 महीने में जनता के ऊपर अत्याचार हुए इसलिए कि इमर्जेन्सी कायम थी। मैं यह मानता हूं कि दो स्टेट में उनकी मेजोरिटी

(श्री केदारनाथ)

आई है । जनता पार्टी वहां उस रूप में नहीं थी इसलिये वह जीत कर आये हैं। स्वागत है। आज वह कहें कि वह ओल्ड कांग्रेस है, जिसने पर्सनल रूल लागू करने की कोशिश की । मैं सोचता था, सी. पी. आई. के बारे में, लेकिन उनकी पार्टी ने क्या प्रोग्राम दिया । उनका क्या एचीवमेण्ट हुआ। आज पार्टी के रूप में हमारे सामने आती है, सी. पी. आई. । उस पर कृपा की है। अब वह कहते हैं कि इमर्जेन्सी का समर्थन किया, हमारी भयंकर भूल हुई है। श्री डांगे जी बड़े लीडर रहे हैं । उनके त्याग की मैं तारीफ करता हूं । लेकिन जब इमर्जेन्सी लागू की तो उन्होंने उसका समर्थन किया । डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फण्डामेण्टल राईटस से ऊपर ले आये । तो यह तीन बड़ी पार्टी हैं । अकाली दल और डी. एम. के. रीजनल पार्टी हैं । यह फिर नेशनल तौर पर कोशिश हो रही है कि किसी तरह से पावर में आ जायें। जनता का झुकाव उधर हो गया है । किसी विकास के नाम से या किसी प्रोजेक्ट के नाम से पावर में आ जायें, ऐसा नहीं होगा। इन्दिरा जी चाहे पावर में आ जायें लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठकर वह फिर इमर्जेन्सी लागू नहीं कर पायेंगी। जनता पार्टी में आज मतभेद हो सकते हैं लेकिन अपोजीशन में बैठकर हमारे दिमाग स्पष्ट थे। हमने नहीं सोचा था कि राज करने का मौका मिलेगा। हमारी सरकार बनेगी। और न यह पोलिटिकल बेस पर होने की कल्पना थी। हमारे पास क्या फोर्स थी। पोलिटिकल फार्म में कोई काम में कमी रही हो, उसको मानना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि अपने अपने एटीट्यूट थे, तीस साल से जो अपोजीशन में थे, उनकी जो मान्यताएं थीं वह इतनी जल्दी नहीं बदल सकतीं। अब कुछ टाइम मिला है, कुछ क्लीजनेंस आई है और उसकी तरफ जा रहे हैं। तीस साल का फर्क मिटाना कोई जादू की चीज नहीं है कि इतना जल्दी मिट जाय, उसमें टाइम लगता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर अनेक बातें कही गई। यह कहा गया कि यह सरकार बनने के बाद मंत्री ऐशो आराम में आ गये, कोठियों में रहने लग गये। तो डागाजी यह चाहते हैं कि धोती कमीज खोलकर लंगोटी में आ जायं ? क्या यही आपकी सादगी का नमूना है ? आप पेन्ट कोट पहन सकते हैं, मुझे हंसी आती है। डागाजी पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं, विधान सभा के सदस्य रहे हैं, न पार्टी का अनुशासन मानते हैं, न घर की बीबी का अनुशासन मानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री यह बतायें कि यह आपको कैसे पता लगा।

श्री केदारनाथ : डागाजी कभी हमारे साथ बैठा करते थे।

यहां पर यह भी कहा गया कि फलौदी के चुनावों में सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया, मुझे हंसी आती है। मैं वहां गया था, सबसे ज्यादा चन्दा हमारे गंगानगर की पार्टी ने दिया 35 हजार रुपये और किसी से हमने नहीं मांगा। आप ताज्जुब करेंगे हमने एक मिसाल कायम कर दी, कोई सरकार की जीप और कार इस्तेमाल नहीं की, किसी का अपाइन्टमेन्ट और ट्रान्सफर नहीं किया।

श्री मूलचन्द डागा : वह तो जांच करवा लें। एक हजार गाड़ियां चली हैं वहां पर।

श्री केदारनाथ : डागाजी के पचास हजार रुपये पंचायत चुनावों में खर्च हो गये इसलिये नाराजगी है मेरे से उनकी मेरे से कहते हैं लोगों ने वोट नहीं दिये, मैं क्या करूं। फलौदी में गया था, हमने सर्किट हाउस में कार छोड़ी और कई दिनों तक लगातार पोलिंग स्टेशन्स पर घूमते रहे। मैं मानता हूं पूनमचन्दजी विश्नोई की वहां बहुत अच्छी रेपुटेशन है, मगर काम करने के तरीके हुआ करते हैं। वहां पर दो कौमें ज्यादा हैं, जाट और मुसलमान। जाटों के वोट हमको मिले, विश्नोइयों के वोट हमको मिले, इसलिये मिले कि उनका जनता पार्टी में विश्वास था क्योंकि जनता पार्टी प्रजातन्त्र वापस ले आयी है। कोई सरकारी मशीनरी काम में नहीं ली गई, कोई सरकारी धन खर्च नहीं किया गया। आप ताज्जुब करेंगे गांवों के अन्दर 13 साल के बाद लोगों ने बड़ी एकता के साथ और जोश के साथ चुनाव लड़े। पर्सेन्टेज तो मेरे पास नहीं है। आदिवासी, मुसलमान और बेकवर्ड क्लासेज के सभी लोग खड़े हुए और ऐसी जगहों पर खड़े हुए जहां एक्स जागीरदारों की मजबूत लोबी है। आठ महीने में हमने एक इम्प्रेशन पैदा कर दिया, जनता की निष्ठा को मजबूत कर दिया कि लड़ेंगे तो हमको अधिकार मिलेंगे। उनको विश्वास हो गया कि कोई भी जमींदार उनके राइट्स में बाधा डालेगा तो सरकार हमारी मदद करेगी। कहीं भी कम्युनल राइट्स या कोई प्रकार की गड़बड़ी, या कोई भी ऐसा इन्सीडेन्ट नहीं होने दिया गया और न सुना गया।

मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गवर्नमेन्ट ने किसी भी यूनियन को तंग नहीं किया। हमने हड़ताल में मुकदमे उनके खिलाफ नहीं बनाये, किसी भी हड़ताल को गैर कानूनी घोषित नहीं किया चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में हो, चाहे वह पब्लिक सैक्टर में हो। जब कि तीस साल में आपने कितनी ही स्ट्राइक्स को गैर-कानूनी घोषित किया। हमने लोकआउट को इल्लीगल घोषित कर दिया लेकिन स्ट्राइक को गैर-कानूनी घोषित नहीं किया। यह एक मिसाल है देश के अन्दर। जहां इन्दिरा जी घोषणा करती थी कि no work no wages उसको हमने तोड़ दिया और स्ट्राइक का भी पैसा दिलवाया। 15 से 35 रुपये एडहाक दिलवाये। मैं यह मानता हूं कि जिनके खिलाफ यह एटीच्यूट है वह बोलेंगे लेकिन केबिनेट नहीं डरी और हमने सरेण्डर नहीं किया।

मैं विश्वास दिलाता हूं कि खेतीहर मजदूरों में और छोटे व्यापारियों में कोई डिआर्गेनाइजेशन पैदा नहीं होगा। जो डेमोक्रेसी का बेसिक स्ट्रक्चर है वह कायम किया जायेगा और जो इसके खिलाफ लाबी है, जो ताकत है उसको नहीं पनपने दिया जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत अच्छी बात है, नीति का पालन कराइये।

श्री केदारनाथ : तीस साल में आपने विकास किया होगा, इससे मैं इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन आपने ऐसी लांबी मजबूत की, कैपिटलिस्ट की लाबी और एक्स-जागीरदार की लाबी...

श्री मूलचन्द डागा : आपने किसी लाबी को तोड़ा है आज तक ?

श्री केदारनाथ : सोशल काम्बीनेशन है, जो मैकेनिज्म है देश का उसको भ्रष्ट किया है। मैं समझता हूं डागाजी अंग्रेजी समझते हैं। लेबर और स्टूडेन्ट, की प्रोबलम्स को सोल्व करने के लिए स्पष्ट रूप से काम किया है, उनको क्रश नहीं किया। इन सबका श्रेय जहां जनतापार्टी की सरकार को है वहां आपने भी सहयोग दिया, सी.पी.आई. और अन्य दलों ने भी जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आभार मानता हूं। लेबर फ्रन्ट में जो कमी थी उसके लिए जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जो अब तक लाबी क्रिएट की गई है आइन्दा उसको डिसमेन्टल किया जाएगा। यह देखना पड़ेगा कि कौन पार्टी इसमें साथ देगी। यह रास्ता बहुत लम्बा है। आज हमने कहा है कि दस सालों में अनएम्प्लायमेन्ट खत्म कर देंगे, इन्कम की डिस्पेरिटी समाप्त कर देंगे, और 20 का रेशो बना देंगे। मेरे खयाल से कैपिटलिस्ट और एक्स जागीरदार इसके हक में नहीं होंगे आप हमारा साथ दें। माननीय मुख्य मन्त्रीजी बोलने वाले हैं। हमें क्या खयाल था कि ढाई तीन हजार आदमी मिलने आयेंगे और फाइलों का इतना ढेर मिलेगा....

श्री मूलचन्द डागा : A bad workman always querrels with his tools आप अयोग्य थे इसलिए काम नहीं कर सकते।

श्री केदारनाथ : इसलिए यह कमी हमारे अन्दर रही है, सारे राजस्थान का जैसा ढांचा हमको दिया गया, जो फाइनेन्स दिया गया, कानून और व्यवस्था की स्थिति दी गई, जिस प्रकार की मशीनरी दी गई उनमें किस प्रकार से बदलाव लाया गया यह आपके सामने है। स्ट्राइक्स में, कम्युनल राइट्स में और डिमोन्स्ट्रेशन में पुलिस का रोल बहुत बदला है, उन्होंने सहयोग दिया है। उन्होंने समझ लिया कि इमर्जेन्सी के इम्प्लीकेशन्स क्या थे और समझ लिया कि जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है। उनका साथ दिया फिर भी काफी लोग ऐसे थे, एक्सेप्शन्स थे जो बाधा डालना चाहते हैं। डागाजी, करेक्टर होता है, पहले आंख दिखाते हैं फिर भी न माने तो आस्प तेज हो गया। आप झुकने वाले नहीं हैं इसलिए सब्जेक्टिव फोर्सेज ने एक होकर काम करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं राजस्थान को ऐसे स्टेजेज से गुजरने का मौका नहीं मिला। जैसा हमने चाहा हमारे अधिकारियों ने काम किया है। अब जो नौकरशाही से आशाएं थीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था उसमें चेंज नहीं कर पाये क्योंकि मास बेस नहीं हुआ। सरकार का मास बेस नहीं है, 30 साल में खेतीहर मजदूरों को कभी जमीन बांट दी, कभी कोई बात कर दी, ऐसे काम किए हैं मगर खेतीहर मजदूर की लाबी क्रियेट नहीं की। जो लुहार हैं, जो चूड़ियां बनाते हैं, कपड़ा रंगते हैं, डागाजी, आपकी सरकार ने उनको रिकोग्नाइज नहीं किया।

श्री मूलचन्द डागा : मेरी बात कहें, इसके बजाय यह बतायें, आपने क्या अचीवमेंट्स किए। शाह आयोग में लांछन लगा रहे हैं, आप नया काम कौन सा कर रहे हैं ? दिशाहीन सरकार है, कोई दिशा नहीं दी।

श्री केदार नाथ : दिशा न आपकी है न मेरी। कमीशन नियुक्त करने में एक फायदा

(श्री केदार नाथ)

हुआ। पहले डागाजी आते थे, दरख्वास्त देते थे, तो दस्तखत हो जाते थे। अब सोच समझ कर दस्तखत करते है। तो शाह कमीशन से यह फायदा हुआ। हम समझते हैं कि पब्लिक माफ नहीं करेगी। 30 साल में गडबड़ियां कीं, विकास के नाम से, अकाल के नाम से और फायदा उठाया। अगर भय हो जाए तो आपको खुशी होनी चाहिये, भविष्य में भी कमीशन बैठ सकता है। खबरदार, इस रास्ते पर चले तो वही हाल होगा। तो कमीशन एक बहुत बड़ा एचीवमेंट है। इसलिए ज्यादा न बोलते हुए कुछ और बातें कहूं।

माननीय सदस्य ने कहा कि गंगानगर जिले में 36 हजार मुकदमे दर्ज हुए क्राइम्स के। 1975–76 में केवल 23 हुए। मैं नहीं चाहता था कि एक छोटी सी बात को लेकर आपको परेशान करूं।

	1974	1975	1976	1977
डकैती	11	9	4	4
हीनस क्राइम्स कम हुए।				
लूट	78	64	34	62
16 कम हुए।				
हत्या	95	76	69	56

अपराध कम हुए। केवल मिसलेनियस अपराधों में बढ़ोतरी हुई। जब पुलिस की मांग पर बोल रहा था तो मैंने इन्कार नहीं किया था। अपराध बढ़ रहे हैं, इमर्जेन्सी में····

श्री श्योपतसिंह मकासर : 32 हजार कैसे हुए ?

श्री केदारनाथ : 1974 में 3091, 1975 में 2880, 1976 में 2525 व 1977 में 3292। 32 हजार नहीं है।

यहां राजस्थान कैनाल की बात चली, लिफ्ट इरिगेशन की बात चली। इसका मुख्य मंत्री जवाब देंगे। राजस्थान नहर के लिए जो पैसा दिया पूरे का पूरा यूटीलाइज हुआ। लिफ्ट इरिगेशन के बारे में जब फैसला लिया जाएगा तो जिन-जिन क्षेत्रों में इरिगेशन स्कीम्स चालू करनी हैं वहां के विधायकों और एम.पीज.को कान्फीडेंस में लेंगे। हमारी तरफ से भेदभाव करने की बात नहीं। डागाजी, आप कहते हैं दिशा नहीं है। हमने इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की दिशा दी है, सारी इकानामी, सारा प्लान सोश्यो इकानामिक व्यवस्था जो बनाना चाहते हैं इस बेस पर इस आधार पर इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अन्त्योदय उसके पीछे, उसके साथ है। इस कान्टेक्स्ट में उसे लिया जाए। देहातों में पहले बजट का 17 से 20 प्रतिशत खर्च होता था अब 40 प्रतिशत देहातों में होगा जहां 80 प्रतिशत लोग रहते हैं। आज भी देहातों में जैसे काम होना चाहिये था, न्याय होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। फिर भी हमारा दृष्टिकोण हमारा झुकाव अगर चेंज नहीं ला पाया तो उस ओर मन्शा तो जरूर है।

फाइनेन्सेज की हालत जब बजट पेश होगा तो आपको मालूम पड़ेगी। हमें कौन से लोगों को टैक्स करना चाहिये, टैक्स इवेजन कहां है, कैसे कम करें, टैक्स एरीयर्स उन लोगों से कैसे वसूल किये जायं जिन लोगो

(श्री केदार नाथ)

ने 30 साल फायदा उठाया। मोनोपोली हाउसेज को कमजोर करना चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं कर पाये। मल्टी नेशनल्स हैं, डागाजी वहां ग्राब्जेक्टिव ग्रचीव करते हैं, फायदा उठाते हैं। मैं मानता हूं ईरान में क्या है। वहां तानाशाह राज कर रहा है, ग्रत्याचार है, जुल्म है लेकिन वहां से 200 करोड़ रुपये ग्रा जायं, राजस्थान कैनाल बन जाए, कन्डीशन्स हमारे फेवर में हो, कन्डीशन्श ग्रापकी ग्रौर हमारी मानी जायं तो देश का गौरव बढ़ेगा। मैंने सारी बातें राजस्थान कैनाल पर बताई।

ग्रब ग्रन्त्योदय योजना को लीजिये। ग्राप गांवों में गए हैं, मैं नहीं कहता कि 5 ग्रादमियों को चुनने से गरीबी मिट जाएगी। जब तक फैक्ट्री में मजदूर मालिक रिलेशन्स, सेक्रेटेरियट में, दफ्तरों में, एम्पलाइज ग्रौर बड़े ग्राफिसर्स के रिलेशन्स नहीं बदल पायेंगे जब तक हम ग्रापस में रिलेशन्स नजदीक नहीं ला पायेंगे तब तक देश में सोश्यो इकानामिक ट्रांसफार्मेशन नहीं हो सकता।

श्री मूलचन्द डागा: ग्रापकी पालिसी क्लीयर नहीं है, पालिसी बनाइये। All these policies should be framed

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ: मुझे बड़ा ग्रफसोस है मेरे पत्र की यहां चर्चा हुई। माथुर साहब ने कहा मेरे पत्र को सदन की मेज पर रखा जाये। यह इन्टरनल बात थी। हमें पत्र लिखने का ग्रधिकार है, इस बात पर डिसिजन्स नहीं हैं। डागाजी, जिसका ग्रपना कभी होम न रहा हो, उसका ग्रब होम कहां से बनेगा? ग्रापने डिबेट में हिस्सा लिया। मैं समझता हूं एक दिन राजस्थान कैनाल पर बहस करें, जोइन्ट कन्ट्रोल की बात करें, राजस्थान के फैमन की बात करें, राजस्थान का प्लान, राजस्थान का प्रोजेक्शन डेम्टीट्यूड्स का है, फैमिन का है। ग्रगर तीनों चीजों को साथ लेकर चलेंगे तो ठीक होगा ग्रापको ग्रलग नहीं होने देंगे, ताकत से नहीं, फोर्स से नहीं व्यवहार से, नीतियों से ग्राप हमारे ज्यादा नजदीक ग्रायेंगे। सारे राजस्थान में देखेंगे, जब बाहर जायेंगे तो ग्रापको मालूम पड़ेगा, मैं नहीं कहता कि एम.एल.एज. की कद्र ज्यादा बढ़ी है, एम. एल. ए. डेमोक्रेसी का प्रतीक है उसके प्रति सम्मान होना चाहिये। मंत्रि-मंडल में बैठने से कोई फर्क नहीं है। ग्राफिसर ने यदि गलत काम किया है तो हमने बरदाश्त नहीं किया। पहले भी एक्शन लिया है, भविष्य में भी लेंगे।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस राजस्थान की भूमि पर पिछले तीस सालों तक कांग्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन रहा ग्रौर इन्होंने कई काम किये होंगे। लेकिन हमारी जनता पार्टी ने कभी भी इनके खिलाफ में कोई काम मेलाइस या वेन्जेन्स से नहीं किया। मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने न तो इनके खिलाफ में वेन्जेन्स से कोई काम ग्राज तक किया है ग्रौर न ही कोई एक्शन वेन्जेन्स से या मेलाइस से लेंगे ही। मान्यवर, न केवल मैं ही बल्कि राजस्थान सरकार की जनता पार्टी की केबिनेट का कोई भी मन्त्री मेलाइस से विरोधी पक्ष के लोगों के साथ कोई भी काम नहीं करेगा।

(108)

श्री मूलचन्द डागा : अरे खाली बातें मत करो, केदारनाथ जी, काम करके बताओ। केवल बातों से काम नहीं चलेगा। काम करके विश्वास दिलाओ।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : मान्यवर....

श्री मूलचन्द डागा : केवल बातें ही हैं। काम से विश्वास पैदा होगा, बातों से आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा यहां पर इतने दिनों तक जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया तो जनता पार्टी की और आपकी साख जनता में गिरी है। पिछले तीन दिनों के भाषण में आपके जनता पार्टी के विधायकों ने अपने भाषण में यह स्पष्ट आरोप लगाया कि जनता पार्टी की सरकार अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। आपके ही जनता पार्टी के सदस्य लोगों ने कहा है। आप काम करो। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी आपको अच्छे कामों में सहयोग देगी। हम आपको रास्ता बतायेंगे लेकिन आपके बुरे कामों की बुराई भी करेंगे।

(व्यवधान)

आपकी पार्टी के ही लोग कहते हैं कि जनता पार्टी ने जनता का भला नहीं किया। केदारनाथ जी, बोलते हैं वह करते नहीं हैं। और जो करते हैं वह बोलते नहीं हैं। आप तो काम करो। Action speaks louder than voice, आप बोलते क्यों है ज्यादा काम करके बताओ ना। बोलने वाले काम कम करते हैं। कम बोलो आप और काम करो ज्यादा। आप हमें बातों से विश्वास नहीं दिलावें।

श्री केदारनाथ : मान्यवर!

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह डागाजी बीच-बीच में बहुत बोलते हैं। यहां आकर रात-दिन किताबें बता-बता कर सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हैं।

श्री केदारनाथ: मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि कुछ ताकतें हमसे थोड़ी अलग हुई हैं। जो माहोल लोकसभा और विधान सभा के चुनावों में हमारे साथ था, जनता की हमारे प्रति जो रेस्पेक्ट थी उसमें थोड़ी कमी आयी है। उसका कारण है, मान्यवर, जनता को हमारे से एक्सपेक्टेशन्स थीं वह सभी पूरी नहीं हुई। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि वह ताकतें हमारे से दूर हुई हैं लेकिन वह कांग्रेस के साथ नहीं गयी हैं। आप विश्वास रखें हम उनको वापस खींचकर नजदीक ले आयेंगे। मान्यवर, इतना ही कह कर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मुख्य मंत्री जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना भाषण शुरू करें मैं एक बात यातायात मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा। एक माननीय सदस्य ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लेटर माननीय श्री केदारनाथ जी ने मुख्य मंत्री जी को लिखा। उसके बारे में अपना जवाब दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जवाब तो दे दिया उसका।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उस खत को यहां सदन मे रखा जाय क्योंकि वह पत्र सदन के सदस्य होने के नाते केदारनाथ जी ने लिखा तो वह हाउस की प्रोपर्टी

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हो गया। केदारनाथ जी समाजवादी हैं और चाहे जैसी रिएक्शनरी पार्टीज का राज्य आ जाए वह हमेशा समाजवादी रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सन्दर्भ में इस सदन में सरकार की आलोचना कर सरकार को सचेत किया। उन्होंने अपने अमूल्य सुझाव देकर सरकार को नयी स्कीम्स देने के लिये प्रेरित किया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात सुनकर दुःख हुआ कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अन्त्योदय योजना का जिस प्रकार का चित्र यहां प्रस्तुत किया वह एक प्रकार से गलत किया। अध्यक्ष महोदय, यह बात सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं और पूरा सदन जानता है कि राजस्थान में हिन्दुस्तान की जनता के अधिकांश गरीब लोग रहते हैं। यहां पर 56 प्रतिशत लोग पोवर्टी लाइन के नीचे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह तो सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि पिछले तीस वर्षों से गरीबी घटी है वह बात नहीं है बल्कि गरीबी बढ़ी है। गरीबी घटी नहीं है, माननीय सदस्य, यह भी स्वीकार करेंगे कि पिछले तीस वर्षों में असमानता बढ़ी है। आप समझते हैं कि असमानता घटी है, वह घटी नहीं है बल्कि असमानता बढ़ी है। यह सदन इस बात को भी स्वीकार करेगा कि विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ा है। वह असन्तुलन किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। कांग्रेस राज्य में गरीबी बढ़ी है। इस बात को सभी माननीय सदस्य, जो प्रतिपक्ष के हैं, स्वीकार करेंगे और उन्हें मजबूर होकर मानना पड़ेगा। इस दृष्टि में मैं समझता हूं कि सरकार ने कई बार सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी इस बात की घोषणा की है कि हम गरीबी मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर, अध्यक्ष महोदय, इन सारे प्रयत्नों के बावजूद गरीबी बढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि गरीबी इस सरकार की पूंजी है। इस पूंजी का संचय, अध्यक्ष महोदय, पिछले तीस वर्षों तक कांग्रेस के राज्य में काफी मात्रा में किया गया। आज प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस पूंजी का क्षय नहीं होवे और यह पूंजी कम नहीं हो। आपने देखा होगा, लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में गरीबों ने जनता पार्टी का साथ दिया। आपने यह भी देखा होगा कि गरीबों के कारण कांग्रेस का शासन समाप्त हो गया। इससे हमारे देश में एक बदलाव आया। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद कांग्रेस के बन्धु यह समझते हैं कि जिस गरीबी के कारण हमारी हुकूमत चली गयी, जिन गरीबों के कारण हमारी हुकूमत चली गयी उन गरीबों को दण्ड मिलना चाहिए। चूंकि अब वह सत्ता में हैं नहीं इसलिये विरोधी पक्ष में बैठ कर किस प्रकार इन गरीबों को दण्ड दे सकें इसके लिए वह सोचते हैं। इनको दण्ड देने में सरकार बीच में आती है इस कारण वह गरीबों पर हमला नहीं कर सकते तो अब गरीबी मिटाने के लिये, गरीबों के भले के लिये जो भी कार्यक्रम चलाये जाये, जो भी योजनायें गरीबों के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सम्बन्ध में बनायी जायं, उनकी आलोचना की जाय और इस प्रकार योजनाओं को सफल नहीं होने दिया जाय। इस दृष्टि से कांग्रेस बन्धु हमला करते हैं। पर कांग्रेस बन्धुओं को यह समझकर चलना चाहिये कि गरीब साथी हमारे साथ हैं।

विरोधी दल के नेता ने और मथुरादास जी माथुर साहब ने यह कहा कि अन्त्योदय योजना ठीक है और इसका असर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना ठीक है, इस बात का प्रमाण-पत्र प्रधान मंत्रीजी से मिला और हमारे देश के राष्ट्रपतिजी से मिला इस बात का प्रमाण-पत्र हमें यह प्रमाण-पत्र प्रतिपक्ष के लोगों से मिले इसका महत्व नहीं। हमें यह प्रमाण-पत्र जनता से मिलना चाहिये। माथुर साहब ने जो अपने भाषण में कहा उसके जवाब में मैं कह देना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद दो उप चुनाव हुए उन दोनों उप चुनावों में आपकी कांग्रेस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। अध्यक्ष महोदय दोनों ही उप चुनाव अलग-अलग क्षेत्रों में हुए उनमें जनता पार्टी की जीत हुई। अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर और सदन के बाहर दुनिया भर के लोग जानते हैं कि अभी पंचायतों के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का पूरी तरह से जनता ने सफाया कर दिया। कांग्रेस का पत्ता ही साफ कर दिया।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो फिर करा लीजिये पंचायत समितियों के चुनाव।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंहजी, आप जोर-जोर से मत बोलो। सभी जगह जनता पार्टी ने कांग्रेस का सभी तरह से सफाया कर दिया।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कतई नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह जी, आप जानते हैं और मथुरादासजी माथुर भी जानते हैं कि कांग्रेस का सफाया पंचायती चुनावों में कहां-कहां हुआ है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह बीच-बीच में इन्ट्रप्ट नहीं करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां नहीं बताऊंगा कि माथुर साहब कहां-कहां पर हारे हैं और खेतसिंहजी कहां-कहां पर हारे हैं। वह खुद ही मन में जान रहे हैं। अपने मन में यह मानकर चलते है कि पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस का सफाया ही हो गया। इस बार पंचायतों के चुनाव में गरीबों ने आपका साथ नहीं दिया, हमारा ही साथ दिया, जनता पार्टी का ही साथ दिया। अगर आप समझते हैं कि गरीबों ने आपका साथ दिया है तो आपको भ्रम है। इस अन्त्योदय योजना का विरोध मैं समझ सकता हूं किसी आधार पर नहीं हुआ...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : जब पार्टी के आधार पर चुनाव ही नहीं हुए तो आप कैसे कहते हैं कि सफाया हो गया। आपने एलान किया था कि पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने किसी भी माननीय सदस्य को नहीं टोका। बहुत आलोचना कर गये, बहुत आरोप लगा गये। मैं उसी समय इन्टरवीन करके जवाब दे सकता था लेकिन मेरी आदत नहीं है कि कोई बोले और मैं हस्तक्षेप करूं। . .

श्री जयकृष्ण शर्मा : जब इधर बैठते थे तो बहुत इन्टरवीन करते थे और वह दिन फिर भी आ सकता है। उन दिनों को भूलो नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोल रहे है। लेकिन माथुर साहब और परसराम जी कह दें कि मैंने विरोधी पक्ष में बैठे हुए किसी माननीय सदस्य को टोका हो तो मैं गलती मान सकता हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं दस साल सदस्य रहा हूं। आपने बीच-बीच में बहुत पूछा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीच में टोकने से कोई लाभ होता हो तो मेरी समझ में आता है। आपको अपनी बात कहनी थी कह दी। अब मुझे अपनी बात कहनी है। अब बीच में टोकाटाकी करने से कोई सेन्स नहीं निकलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : आप झूठ भी कहेंगे तो नहीं टोकेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत :- आज इस अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में 33 हजार गांवों में पांच-पांच परिवार छांटने का काम हुआ। जिन गांवों में कभी सरकारी आफिसर्स गये नहीं, जिन गांवों में व्यक्तियों को पता नहीं था कि सरकार कहां विद्यमान है, जिन गांवों में इस बात का प्रचार भी नहीं था कि सरकार कभी भी हमारे बारे में किसी प्रकार की चिन्ता कर सकती है, इस अन्त्योदय योजना से सबसे पहला काम यह हुआ कि उस गरीब के दिमाग में एक विश्वास उत्पन्न हुआ, गरीब के दिमाग से एक जागरूकता पैदा हुई कि सरकार हमारी है, सरकार हमारे बारे में चिन्ता कर रही है। चिन्ता करने के साथ-साथ सरकार कुछ ऐसे कार्यक्रम हाथ में ले रही है जिन कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीबी को मिटाने में किसी प्रकार का सहयोग मिले। आखिर अन्त्योदय योजना गरीबी बढ़ाने के लिए हमने नहीं की और मैं समझता हूं कि सदन के किसी माननीय सदस्य ने योजना का इस आधार पर विरोध नहीं किया कि इससे गरीबी बढेगी बल्कि माथुर साहब ने योजना को स्वीकार करते हुए कहा कि इसको ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट किया जाये। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। आज अन्त्योदय योजना जिस रूप में चलाई जानी चाहिये उसमें मैं समझता हूं कि हमारे सामने कई समस्यायें हैं। जिस समय इस योजना को मैंने योजनाकारों और अर्थशास्त्रियों के सामने रखा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह तो डेस्टीट्यूड्स का प्लान है, यह तो बड़ा एम्बीशस प्लान है। इस प्लान को यदि हाथ में लिया गया तो राजस्थान के सामने भयंकर आर्थिक संकट खड़ा होगा। उस समय मैंने दृढ़ता से

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कहा कि यह डेस्टीट्यूड्स का प्लान है और यह एम्बीशस प्लान है लेकिन इस प्लान से अगर गरीबों की सेवा होती है तो राजस्थान के सामने चाहे आर्थिक संकट खड़ा हो जाय, चाहे खजाना खाली हो जाय पहले गरीबी मिटाई जायेगी । जनता पार्टी इस बात को लेकर नहीं चलती, हम उस चार दीवारी में नहीं घूमते कि जिसमें योजनाकार बैठकर योजना बनाते है । जो योजना को पिछले 30 वर्षों में आपने लागू किया और उसके कारण यह हुआ· · ·

श्री शंकरलाल : सरकार गारन्टी देने को तैयार नहीं है । खजाने की बात कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इतनी बेचैनी क्या हो रही है ? मैं भाग नहीं रहा हूं । एक-एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ।

श्री मथुरादास माथुर : पता नहीं कब भाग जाओ ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह भी आपके पहले नहीं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस योजना के अन्तर्गत 33 हजार गांवों में पांच-पांच आदमियों का जो गरीब व्यक्ति थे, चयन हुआ । माननीय परसराम जी जानते हैं कि पिछली सरकार ने इन्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट के नाम से एक जिले का चयन करने का काम हाथ में लिया था । एक जिले का चयन जनवरी में स्कीम लागू हुई तो चयन करने के लिए आपको 6 महीने लगे वह कोई मुश्किल नहीं था । बांसवाड़ा का चयन किया गया । जिस समय योजना लागू हुई उस समय भी बांसवाड़ा था और योजना समाप्त हुई उस समय भी बांसवाड़ा था । एक जिले के चयन में आपने 6 महीने लगा दिये और जनता पार्टी ने 33हजार गांवों में 5-5 आदमियों के चयन में 6 महीने नहीं लगाये । एक महीने में चयन किया ।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : बजाओ तालियां .

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब उस चयन के बाद सभी कहें कि इसका डवलपमेंट किस प्रकार से किया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, केवल चार महीने हुए है और 8 महीने बाकी हैं और इन चार महीनों में 45,600 परिवारों को हमने पैरों पर खड़ा होने के लिए साधन दिये । अब मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी सदन का माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा कि इन 45,600 व्यक्तियों को जो साधन दिये गये है उनका विरोध करें बल्कि सबकी इच्छा यह होगी कि इस प्रकार के साधन 1 लाख 65 हजार व्यक्तियों को दिलाये जायें । यह हमारी भी इच्छा है और इसी इच्छा से हमने इस योजना को अपने हाथ में लिया है ।

अध्यक्ष महोदय, बैंकों से ऋण देने का प्रश्न आता है । माननीय सदस्यों ने कई बातें रखीं कि उनको गारन्टी दी जाये लेकिन कई माननीय सदस्यों ने साथ ही साथ सरकार को सावधान भी किया । मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस बात के लिए सावधान भी किया कि कहीं गारन्टी देने के बाद भी जो रुपया दिया गया उसका दुरुपयोग न हो जाये । जिस काम के लिए दिया गया उसमें उपयोग न हो और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

केवल उस व्यक्ति के ऊपर भार हो जाये और गारन्टी के ऊपर सरकार के ऊपर भार हो जाये, इस बात की सावधानी बरतनां आवश्यक है। इसी सावधानी से और इसी सावधानी के आधार पर पब्लिक का इन्वाल्वमेंट करने के लिए हमने पंचायतों के चुनाव कराये। हम इस अन्त्योदय योजना को सरकारी अधिकारियों के माध्यम से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। नौकरशाही से इम्प्लीमेंट नहीं कराना चाहते हैं। ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए और हम ग्राम पंचायतों के ऊपर भी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं कि उनके जो और कर्त्तव्य हैं उन कर्तव्यों के साथ-साथ वह इस बात की भी व्यवस्था करें और इस बात की भी निगरानी रखें कि जो प्रत्येक गांव में पांच गरीब से गरीब परिवार हैं, जिनका चयन हुआ है उनको जो सहायता दी जा रही है उसका दुरुपयोग नहीं हो। उनको जो जमीन दी जा रही है उसके ऊपर निश्चित रूप से खेती हो। इसलिए आपको सुनकर उस समय खुशी हुई होगी कि जहां ग्राम पंचायतों को प्रति व्यक्ति आप 4 आना देते थे हमने प्रति व्यक्ति 2।। रुपया देकर 5 करोड़ रुपये का खर्च किया। पंचायतों को सशक्त बनाने के पीछे केवल हेतु एक है कि इस अन्त्योदय योजना में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का इन्वाल्वमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जिम्मेदारी लेकर चलें और पंचायतों के माध्यम से योजना लागू हो।

बैंकों से हमने बात की। रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के गवर्नर अभी आये। कई समस्यायें थीं। वह कहने लगे कि पहले बैंकों से केवल 4 पर्सेन्ट के इन्ट्रेस्ट पर 5 प्रतिशत लोगों को लोन दिया जाता था। हमने पिछले दिनों प्रयास करके इसी सब्सीडाइज्ड रेट पर 9 प्रतिशत लोगों को लोन दिया। चार महीने की बात कह रहा हूं। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से बात की तो हमारे सामने समस्यायें थीं कि बैंक 15 किलोमीटर से आगे लोन नहीं देता। इसलिये सब लोगों को यदि ऋण दिलाना है तो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे इस बात की खुशी है कि उस बातचीत के आधार पर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि 15 किलोमीटर के बाहर इस प्रकार की ऋण व्यवस्था हम एपेक्स के थ्रू कर सकते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटी के थ्रू कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि से इन्कार कर के नहीं चल सकते। कई बार चर्चा हुई है, बैंक्स अपने दायरे के बाहर नहीं जावें। आज आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने रिजर्व बैंक से इस प्रकार की स्थिति पैदा करवाली कि सारा कर्जा एपेक्स के थ्रू उन सारे क्षेत्रों में पहुंच जाये। आज उस कर्ज की भी व्यवस्था की। सरकार को किसी प्रकार की गारन्टी देने में संकोच नहीं होगा, हम उन गरीबों की गारन्टी देंगे और बैंक से कर्जा दिलायेंगे। पहले हम इस बात की व्यवस्था कर लें कि जिनको पैसा दिया गया, वह पैसे का दुरुपयोग न कर लें। मुझे डर है कि अगर कर्जा दिया और महाजन छाती पर खड़ा हो गया, पैसा पूरा का पूरा ले गया तो विकास नहीं हो पायेगा। जब तक इस प्रकार की व्यवस्था न कर ली जाये उस वक्त तक नोट पकड़वाना कोई ठीक बात नहीं है। इसी आधार पर पंचायतों के चुनाव कराये। हम चाहते हैं कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। अब एक बात आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मानकर चलें कि इस सारे प्रोग्राम में आप सभी ने यह देखा होगा, माननीय माथुर साहब और मेरे कांग्रेसी मित्र से निवेदन करना चाहूंगा कि अन्त्योदय योजना में जाति, धर्म, साम्प्रदायिकता के आधार पर चयन नहीं हुआ, जो गरीब से गरीब थे उनका चयन हुआ है। चयन में कहीं गलती हुई, मेरे सामने किसी को ऐसी शिकायत आई नहीं। इस सदन में, मैं समझता हूं आम तौर पर कोई शिकायत नहीं की गई। आज चयन में गलती हो सकती है लेकिन सदन से निवेदन कर देना चाहता हूं और कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहूंगा कि पिछले 30 वर्षों में आपने गरीब मुसलमानों के लिये भी कुछ किया है? क्या गरीब मुसलमानों के लिए आपने कर्जा दिलाया? क्या आपने गरीब मुसलमानों की रोटी के लिए इन्तजाम किया है, सारे राजस्थान के रिकार्ड में मुसलमानों का नाम नहीं है। इस अन्त्योदय योजना में परिवारों का जो चयन किया गया है, इस सदन को खुशी होगी, उसमें 15 से 16 पर्सेंट मुस्लिम परिवार हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने 19 हजार...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन का समय धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद विवाद

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हमने 19 हजार व्यक्तियों को ओल्ड एज पेन्शन दी। कानून तो पहले से ही बना हुआ था, कानून बनाने का मैं क्रेडिट नहीं लेता। कानून आप लोगों का बनाया हुआ है। आप लोगों ने कुछ लोगों को पेन्शन दी है। हमने यहां पिछले 8 महिनों में 19 हजार व्यक्तियों के लिये पेन्शन की व्यवस्था कर दी, तो इस ओल्ड एज पेन्शन से आपके पेट में क्यों दर्द होने लगा है...

एक माननीय सदस्य : हमारे पेट में दर्द नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे इतना कहने से आपके पेट का दर्द समाप्त हो गया, मुझे खुशी है।

श्री मदनसिंह दांता : यह सही बात है, यह आपने किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप विचार करें कि ओल्ड एज पेन्शन में जैसा मैंने कहा, जाति और सम्प्रदाय का कोई ध्यान नहीं रखा है। मैं फिर कांग्रेस के बन्धुओं से, जो कहते हैं मुसलमान चले गये जनता पार्टी से, पूछना चाहता हूं, जिनको आपने पेन्शन दी उनमें मुसलमान कितने थे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंहजी ने कहा, ऐसा हमने सोचा ही नहीं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं 31 हजार मुसलमानों को ओल्ड एज पेन्शन दी। इस आधार पर आप दो बातों पर विचार करें। गरीब से गरीब आदमी का चयन हुआ, किसी सम्प्रदाय या जाति के आधार पर चयन नहीं हुआ, यह दूसरी बात। तीसरी बात आपने यह स्वीकार किया कि सिद्धांततः यह योजना बहुत बढ़िया है, इम्प्लीमेंटेशन में कठिनाई आयेगी। म्प्लीमेंटेशन में कठिनाई आयेगी, मैं भी स्वीकार करता हूं। इसलिये आप लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि अन्त्योदय योजन गरीब के लिये योजना है इसलिए ऐसा मन सोचें कि जनता पार्टी योजना लेकर आई है, जनता पार्टी गरीब के घर में जा रही है, गरीब ने जनता पार्टी को वोट देकर जताया है, उसको दण्ड देना है। आप मन रके चले, उससे काम चलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं जिन 45 हजार लोगों का चयन हुआ है उसमें 60 पर्सेन्ट आर्टीजंस हैं जो गांवों में काम करते थे, उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। 40 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं इस आधार पर निवेदन करना चाहूंगा कि इस अन्त्योदय योजना को आप लोग अपनी योजना माने और इसके अन्दर सहयोग करें तो हम सब मिलकर गरीबी को भगा सकते हैं।

परसराम जी ने कहा चयन करने की आवश्यकता क्या थी, बहुत सारे हैं। आपने इतने गरीब पैदा किये? हमने मारने के लिये चयन नहीं किया है। हमने चयन किया है उनका पेट भरने के लिये। आपको धन्यवाद, आपने तीस सालों में इतने गरीब पैदा कर दिए कि जिधर जाओ ढेर सारे गरीब ढूंढ लो। आपने शानदार योग्यता दिखाई। भगवान की कृपा से राज बदल गया। आपने 4 लाख व्यक्तियों की नसबन्दी कराई और 170 गरीब इस नसबन्दी के कारण मर गये। गांव के गांव खाली हो गये। आपकी वह योजना और अन्त्योदय योजना में फर्क है। वह गरीब को मारने वाली योजना थी, यह गरीब का पेट भरने वाली योजना है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : गलती एक ही हुई है हम से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि जनता पार्टी का जादू केवल गांवों में ही नहीं, जनता पार्टी का जादू अब भूतपूर्व मंत्री हैं उनकी मार्फत भी बोल रहा है। मैं समझता हूं जादू ह जो सर पर चढ़ कर बोले। अब जादू बोलने लग गया है, खेतसिंहजी कह रहे हैं कि एक गलती की। परसरामजी परसों क्या कह रहे थे? भाषण दे रहे थे और फिगर देकर बोल रहे थे। पिछले जमाने में खुदकाश्त के अलाटमेंट में, जागीर रिजम्पशन के कम्पेन्सेशन में इतने घोटाले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। माथुर साहब भी बोल रहे थे। माथुर साहब, यही कहना चाहूंगा, जादू चढ़ गया है। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की रिजीम में परसराम जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो जो खुदकाश्त के घोटाले हुए हैं उसके हम ही जिम्मेदार नहीं हैं आप लोग भी जिम्मेदार रहे हैं। मुझे विश्वास दिलायें, आप अगर लिखकर दें कि अमुक अमुक खुदकाश्त के मामले में गड़बड़ हुई है तो मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा। उसमें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन आप करें अपनी आलोचना।

माथुर साहब मरु प्रदेश के बारे में भाषण देन लगे, मरु प्रदेश में बहुत शक्तिशाली लोग रहते हैं, एक बार डट गये तो पीछे नहीं हटते। मैं पूछना चाहता हूं माथुर साहब से कि जब हाई कोर्ट की बेन्च आई तो उस समय क्यों नहीं डटे? उस समय मीसा लगा हुआ था और यह डर था कि हमारे साथ जेल में भेज देते। उस समय आपकी बहादुरी कहां गई थी? खेतसिंह जी मंत्री थे, परसराम जी मन्त्री थे–चूं भी नहीं की, कुछ बोल भी नहीं पाये····

श्री राम नारायण चौधरी : वह तो वाजिब बात थी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका कहना बिलकुल सही है। आप बोले होंगे लेकिन माननीय सदस्य उस समय नहीं बोले। कल माथुर साहब कहने लगे। इस कुर्सी पर बैठकर कई बातें कीं और जोधपुर में कई कार्यालय ले जाना चाहते थे लेकिन नहीं गय..

श्री मदनसिंह दांता : ज्यादा दबाव मत दो वरना रो देंगे।

श्री भैरोसिंह शेखावत : उस समय बोलते। ठीक है पाबन्दी लगी हुई थी, आपकी पार्टी पर लगी हुई थी, आप पर तो नहीं थी–बोल जाते। आप कहते हैं, जोधपुर के बहादुर लोग हैं जो जेल की परवाह नहीं करते। कहां गई थी उस समय आपकी हिम्मत? जोधपुर के विकास के लिये माननीय परसरामजी, खेत सिंह जी, माथुर साहब बैठे थे, आपकी जिम्मेदारी थी विकास की। किसने जोधपुर का विकास करने से आप को रोका? यह सदन जानता है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर के विषय में इस सदन में मैं कब नहीं बोला कि इस क्षेत्र का विकास किया जाय। जोधपुर किसी भी प्रकार मरु प्रदेश नहीं बनेगा। चप्पा-चप्पा मेरा देखा हुआ है। आज आप यह कह कर चलते हैं कि राजस्थान की नई सरकार मरु प्रदेश की उपेक्षा कर रही है। मरु प्रदेश की उपेक्षा तो आपने की है और अब कहते हैं कि मरु प्रदेश हम बनायेंगे। मरु प्रदेश बन जाय तो मरु प्रदेश के कारण आप राजस्थान में विघटनकारी प्रवृत्तियां अपनायेंगे। आप अपनी गलती का पश्चाताप करने के बजाय आन्दोलन खड़ा करना चाहें तो मैं मुबारक देना चाहता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आन्दोलन जनता पार्टी ने खड़ा किया है–मरु प्रदेश का। हम तो विरोध में हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी एक ववेचन था जोधपुर के लोगों पर बम्बार्डमेंट हुआ। मुझे जानकारी नहीं है, माननीय सदस्य वहां थे या नहीं लेकिन मेरे सामने बैठे हुए तीनों भूतपूर्व मंत्री जानते हैं जिस समय गोले पड़े थे मैं जोधपुर में था, मैं बाहर नहीं गया। गोले पड़े तब मैं वहां की जनता के साथ था। जिस समय पाकिस्तान ने हमला किया था, मैं उनके साथ था। मेरे दिमाग में न इस प्रकार की भावना आई है और न आयेगी कि मरु प्रदेश का विकास न हो।

मैंने पहले निवेदन कर दिया कि जो हमारे पास साधन हैं, उन सीमित साधनों के आधार पर राजस्थान में कहां कहां किस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किस प्रकार का विकास करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरता जायगा। इस प्रकार की स्थिति में माननीय सदस्य चाहे इधर बैठने वाले हों और चाहे उधर बैठने वाले हों, जोधपुर के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

जहां तक क्षेत्रीय असन्तुलन का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा सरकार ने गरीब और गरीब के बीच भेदभाव नहीं किया बल्कि गरीब की गरीबी मिटाने का प्रयास किया। आप कहते हैं कि सरकार की क्या नीति है? 56 प्रतिशत की सेवा करें इस आधार पर हमने अन्त्योदय योजना बनाई, इस आधार पर हमने पेन्शन का मामला लिया और बहुत सी कार्यवाही हमने इसी आधार पर की है। कल माननीय परसरामजी कह गये यह तो मिनी एम. एफ. डी. ए. और एस.एफ.डी.ए. है–स्माल फार्मर डवलपमेंट एजेन्सी और मार्जिनल फार्मर डवलपमेंट एजेन्सी है। हमने तो बहुत कर्जा बांटा यह तो मिनी असेट्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपने असेट्स दी हैं केवल 6 जिलों के डी.पी.ए.पी. में 10 जिले के इस तरह 16 जिले लिए आपने। बाकी 10 जिले के लिए क्या किया आपने? इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि हमने 10 और 6 का ही ध्यान नहीं रखा बल्कि हमने अपने खर्चे से 16 जिलों के बजाय 26 जिले लिए हैं।

स्माल फार्मर और मार्जिनल फार्मर्स का किस प्रकार राशि देकर उत्थान किया जा सके, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है? मैं समझता हूं किसी को आपत्ति नहीं है। इस कारण टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि जिलों में भी हमने अपने खर्च से व्यवस्था की है उस व्यवस्था का परिणाम क्या निकला। 1976 में केवल 43 हजार अंशदान और कर्जा दिया गया, 76–77 में 35 हजार और 77–78 में इस सदन को सुनकर खुशी होगी कि जनवरी के महीने तक 53 हजार व्यक्तियों को हमने कर्जा दिया है। अब इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का एक ही दृष्टिकोण है और वह सीधा साधा सा दृष्टिकोण है कि सरकार के खजाने पर पहला हक गरीब का है। इस सरकार के खजाने पर पहला हक किसी का हो सकता है तो वह हक गरीब का है। इसलिए सरकार का खजाना पहले गरीबों पर खर्च होगा फिर दूसरों का नम्बर आयेगा।

मैं पिछले दिनों चित्तौड़ गया था। वहां सरपंचों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में अन्त्योदय योजना पर विचार हुआ। मैंने सारे सरपंचों से निवेदन किया, सरकार सारा खर्चा वहन करेगी, ऐसी स्थिति नहीं है। अगर अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत गरीबों के लिये कच्चे पक्के मकान बनाकर खड़े कर दें तो ग्राम पंचायत के लिये मुश्किल नहीं है। मुझे खुशी है कि सरपंचों ने कहा, हम अपनी पंचायत में पांच मकान बना कर देंगे। मैं माननीय विधायकों से निवेदन करना चाहूंगा वे अपने-अपने क्षेत्रों में जायं और इस बात का प्रयत्न करें कि जिस गरीब के पास रहने को छप्पर नहीं है उसके लिए गांवों में जाकर लोगों को इकट्ठा करें और सबके सहयोग से इस काम को करें। इस तरह यदि 1 लाख 51 हजार के मकान खड़े कर दिये जायं तो यहां से नहीं आसमान से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
आवाज आयेगी कि गरीबों की सेवा कर दी ।

श्री मदनसिंह दांता : मैं वायदा करता हूं मेरे क्षेत्र के तीनों किले हैं, वे इस अन्त्योदय योजना में आपको भेंट करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत धन्यवाद ।

मैं कोई अपनी प्रशस्ति के लिए निवेदन नहीं करना चाहता हूं, न मैं कोई तारीफ करवाने के लिए उल्लेख करता हूं, न कोई प्रमाण-पत्र लेने की मुझे आवश्यकता है । मेरी प्रशस्ति हो मैं इस बात के लिए चिन्तित नहीं हूं । मैं इस बात के लिए भी चिन्तित नहीं हूं कि मैं चीफ मिनिस्टर रहूं । मेरी चिन्ता है जब तक मैं रहूं तब तक राजस्थान में इस प्रकार चला जाय जिस पर आने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आसानी से चल सके । इस आधार पर इस योजना को लिया है । मैं समझता हूं इस पर ज्यादा चर्चा करने के बजाय इस योजना को किस प्रकार सफल बनाया जाय, इस पर चिन्तन किया जाय ।

श्री शोपत सिंह मककासर : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैंने एक बात कही थी कि एक गांव में आपने पांच सबसे गरीब आदमी ले लिए, जो सबसे गरीब थे उनको हमने सलेक्ट कर लिया । यह अगले साल दस हो जायेंगे, दो साल में दस कर लेंगे । इसके लिए आप न्याय संगत तरीका तय करिये । दो सौ आदमियों के गांव में भी पांच आदमी लिए और एक गांव की आबादी पांच हजार है तो वहां से भी पांच आदमी लिए यह कैसे न्याय संगत होगा ? इसको आप ठीक करिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह रहे हैं यह बिल्कुल सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूं । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । जैसे जैसे अनुभव से बातें सामने आ रही हैं हम उनको दुरुस्त करना चाहते हैं । मैं आज भी यह बात कहता हूं कि हम यह नहीं समझते कि यह योजना फूलप्रूफ हो गई है । इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है, काफी संशोधन की आवश्यकता है । इस प्रकार के सुधार इसमें करेंगे । जब अक्टूबर में फिर पांच परिवारों का सलेक्शन करेंगे, उसके पहले पहले ये सारी सीमायें निर्धारित हो जायेंगी कि किस प्रकार के गांवों से कितने लोगों का चयन किया जाय । इस आधार पर मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी सुझाव दें इसको आप अपनी योजना मान कर सुझाव दें । इस योजना को सफल बनाने की दृष्टि से दें । सरकार ऐसे सुझावों का स्वागत करेगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करूंगा । अभी मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दस डिस्ट्रिक्ट्स डी. पी. ए. पी. में आये थे । इन डिस्ट्रिक्टस में जहां पेय जल का प्रश्न जुड़ा हुआ है, डी.पी. ए. पी. के प्रोग्रामों के अन्तर्गत पेय जल की व्यवस्था नहीं है । माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के अन्दर कहा कि मैंने मुख्य मंत्री का चार्ज लेते ही यह कहा था कि हम पानी की समस्या का समाधान कर देंगे । बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि यह समस्या कोई तीन वर्ष की समस्या नहीं है, न मालूम कितने वर्षों की समस्या है । इस समस्या का समाधान कोई आठ महीने में सम्भव हो जाय इस प्रकार की स्थिति नहीं हो सकती । हमारे साधन सीमित हैं और इन साधनों के आधार पर जितना किया जा सकता है उसको करने में किसी प्रकार का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

संकोच नहीं है। लेकिन सबसे पहले सूखा क्षेत्र में पीने के पानी का कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रश्न है। इसको भारत सरकार ने पहले रिजेक्ट कर दिया था। माननीय माथुर साहब कह रहे थे, एक कारखाना खोलना हो तो भारत सरकार के सामने याचक की तरह जाकर खड़े हो जाते हैं। माननीय माथुर साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार हो या कोई और सरकार हो, मैं याचक के रूप में खड़ा होने वाला नहीं हूं। राजस्थान के हक को किसी प्रकार से छीना नहीं जाय इसके बारे में चिन्ता करूंगा। जो भी राजस्थान के हक का, राजस्थान के हित का मामला होगा भारत सरकार के सामने दृढतापूर्वक रख दूंगा लेकिन कहीं भी याचक के रूप में नहीं जाऊंगा। इसलिए डी.पी. ए.पी. के प्रोग्राम में जिस बात को भूतपूर्व सरकार मना नहीं पाई, कई चिट्ठियां लिखीं······

श्री परसराम मदेरणा : क्या कह रहे हैं आप ? डी.पी. ए.पी. में आल इण्डिया के 54 डिस्ट्रिक्ट्स थे। पेयजल की व्यव था डी. पी.ए.पी. के प्रोग्राम में नहीं आती थी लेकिन यह राजस्थान राज्य था जहां पर कि इसके लिये एक्सेप्शन किया और 3 करोड़ और कुछ रुपया डी.पी. ए.पी. में ईयर मार्क किया था। यह मनवा चुकी थी राजस्थान की भूतपूर्व सरकार····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो ऐसा समझता हूं कि नहीं माना। भारत सरकार ने कब माना ? यह आप कह रहे हैं·····

श्री परसराम मदेरणा : मैं कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन मान चुका है। आप अपने मुख्य सचिव से पूछिये। मैं कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं मिनिस्टर इन्चार्ज था तब यह हुआ था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परसरामजी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

श्री रामनारायण चौधरी : एक बार कर दिया था लेकिन दूसरी बार रिजेक्ट कर दिया था, जोधपुर में यह बन्द हो गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रामनारायणजी बहुत बहुत धन्यवाद ! आपने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। मैं तो केवल इतना ही·····

श्री परसराम मदेरणा : वह तो रुपया खर्च हो चुका था डिस्ट्रिक्ट्स में। डी. पी. ए. पी. में जो कार्यक्रम बने थे वे आज भी चल रहे हैं। कुछ मामलों में बाद में सैंक्शन आई थी। झुन्झुनूं डिस्ट्रिक्ट को बाद में आई थी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में डी.पी.ए.पी. का कार्यक्रम चला··

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड : आप बोलो ना, आप तो बैठ गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस योजना के अन्तर्गत 13 योजनायें स्वीकार कर ली गई हैं और 13 योजनायें अगले वर्ष स्वीकार कर ली जायेंगी। शायद परसरामजी इस बात को तो मानेंगे कि यह पेयजल योजनायें नई सरकार के आने के बाद स्वीकार हुई।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो गवर्नर एड्रेस में भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नई सरकार के आने के बाद स्वीकार हुई, यह तो स्वीकार करेंगे ? जब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो मेरे कहने पर चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेसफुल्ली स्वीकार कर लो कि जो कुछ हुआ वह ठीक हुआ है। हम 4 करोड़ रुपया ओवर एण्ड अबव प्लान सीलिंग, इस मद के लिए निर्धारित रकम से अधिक खर्चा करने जा रहे हैं। इस समस्या का समाधान और किस प्रकार से हो, हम इसके लिए चिंतित हैं। वर्ल्ड बैंक की टीम आ रही है। वर्ल्ड बैंक के सामने इस मसले को रखा है। शायद पहले सप्ताह में ही वर्ल्ड बैंक की टीम से बात होगी। दो सौ करोड़ की योजना बना कर रखी है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और मुझे विश्वास है कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से और राजस्थान सरकार के अपने साधनों से इस समस्या का जिस द्रुत गति से समाधान कर सकते हैं, उस गति से करने में कोई संकोच नहीं है।

श्री शोपतसिंह मककासर : पानी गांव में कहां है ? मीठा पानी गांव में कहां है, यह तो अपने अधिकारियों से कह दीजिए। Availability of water....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में बेकारी की समस्या का समाधान कैसे हो, इसके बारे में माननीय सदस्यों ने काफी चिंता व्यक्त की है। मैं जानता हूं कि बेकारी कितने वर्षों से बराबर परेशान करती रही है। बेरोजगार लोग आपको भी परेशान करते हैं, हमको भी करते हैं। बेकारी बढ़ी है और जैसा माथुर साहब ने और परसरामजी ने कहा कि जब तक इन्डस्ट्रिलाइजेशन नहीं होगा तब तक बेकारी की समस्या का समाधान नहीं होगा। अब मैं निवेदन करूं कि पिछले 30 वर्षों में कितना इन्डस्ट्रियलाइजेशन हुआ राजस्थान में, यह मैं कहना नहीं चाहता लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं और दोहराना चाहता हू कि राजस्थान में जितना औद्योगीकरण होना चाहिए था वह नहीं हुआ। औद्योगीकरण हुआ भी तो उन क्षेत्रों में नहीं हुआ जहां बिल्कुल भयंकर रूप में बेकारी हमारे सामने दिखाई पड़ती है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगीकरण नहीं हुआ। आज कुछ बड़े-बड़े उद्योग कुछ क्षेत्रों में लगे हैं इससे मैं इन्कार नही करता। हमने खादी बोर्ड को 1 करोड़ 20 लाख की गारन्टी दी वह गारण्टी इसलिए दी कि खादी बोर्ड के माध्यम से उत्पादन बढ़ेगा। साढ़े चार करोड़ से साढ़े सात करोड़ तक का उत्पादन हुआ। अब यह जो उत्पादन हुआ है, खादी बोर्ड के माध्यम से जो उत्पादन हुआ उससे निश्चित रूप से गरीबों को रोजगार मिला है। यहां पर छः हजार हैंडलूम हैं जिनमें से 4200 तो अभी लग चुके हैं और 1800 और लगेंगे। इतने हैंडलूम आज तक नहीं लगे हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमारे इस कार्यक्रम को इतना सराहा, प्रमाण-पत्र नहीं दिया है, परसों ही मेरी बातचीत हुई है, दस हजार हमको और हैंडलूम देने को तैयार हैं। हम प्रशस्ति पत्र अखबारों से नहीं लेना चाहते। आप जो कहना चाहते हैं कि हम काम देखना चाहते हैं तो हमने प्रशस्ति पत्र लेने की बात नहीं की है बल्कि दस हजार हैंडलूम लेने की बात की है। वे बहुत खुशी से देने को तैयार हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दो तीन दिनों में प्राकर ही उन्होंने कहा है कि इस स्थिति का निरीक्षण तो हमने कर लिया, आपको निर्णय दे देंगे। मुझे विश्वास है कि दस हजार हैंडलूम हमको और मिलेंगे।

इसके साथ-साथ यह व्यवस्था की है···

श्री रामनारायण चौधरी : यह बीस सूत्री कार्यक्रम का ही अंग है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नसबन्दी का कार्यक्रम भी बीस सूत्री था, पांच सूत्री में था,

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : नसबन्दी तो आपको भी करानी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी मैं बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योगों के सम्बन्ध में हमने यह व्यवस्था कर दी है कि जहां पर चार टन लोहे तक की आवश्यकता है उसकी शत प्रतिशत पूर्ति कार्पोरेशन करेगा। जितने भी छोटे उद्योग मर गए थे, बन्द हो गए थे, काम नहीं चल रहा था, रॉ-मैटीरियल के अभाव से ताला लगा कर चले गए, हमने कहा कि चार टन तक लोहा हम देंगे, इंडस्ट्री वापस चालू करो।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पहले राजस्थान फाइनेंशियल कार्पोरेशन 10,000 से ऊपर लोन देता था। मैंने बतलाया कि हमें राजस्थान के गांव गांव में उद्योग खड़ा करना है तो यह कार्य करना है कि कोई थोड़ी सी पूंजी लेकर भी उद्योग खड़ा कर ले। 10 लाख, 10 हजार नहीं। अगर कोई 4 हजार का भी ऋण लेना चाहे तो उसको ऋण दिया जाये। स्माल स्केल इण्डस्ट्री का 98.97 का प्रावधान है। मैं यह विश्वास से कहता हूं कि यही गति चलती रही तो जिस प्रकार का यह इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि गांवों में उद्योग खड़े होंगे। अब सवाल यह है कि जो उत्पादन होगा वह उत्पादन कहां जाये ? हमने उत्पादन बढ़ा दिया और मार्केट प्रोवाइड नहीं किया तो ये सारी चीजें समाप्त हो जायेंगी। 1976-77 में लगभग 11252 स्पिण्डिल्स थे। पिछले 11 वर्षों में राजस्थान में 15520 नये स्पिण्डिल्स लगाये गये हैं। एक बात और खास तौर से कहना चाहता हूं कि 25520 स्पिण्डिल्स का लाइसेंस दिया है। मेरा विश्वास है कि इन स्पिण्डिल्स के आने से मरु प्रदेश के उस क्षेत्र में जहां ऊन खूब पैदा होता है, लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट के काम को गति दी जाएगी।

श्री खेतसिंह राठौड : मिलने पर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लगा दिये।

श्री खेतसिंह राठौड : अभी तक तो काम हुआ नहीं है। भाषण बहुत सुने हैं।

एक माननीय सदस्य : पहले से ही लगे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो पहले से ही किया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपके किये हुये हैं, यह मान लें।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो पहले का ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक प्रश्न उठाया गया है, गारण्टी का। गणेश पोद्दार मिल को डेढ़ करोड़ की गारन्टी दी गई। मैं यह निवेदन कर दूं कि केवल एक करोड़ की गारन्टी दी जा रही है। यह एक करोड़ की गारन्टी भूतपूर्व सरकार ने दी है। यह करने के साथ कुछ कण्डीशन भी लगाई हैं। हमारे सामने प्रश्न यह है कि मिल को बन्द नहीं होने दिया जाये क्योंकि मिल में दो हजार लेबर काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जहां दो हजार लेबर काम करते हैं, मिल बन्द होता है तो क्या स्थिति होगी। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी है। गारन्टी की कण्डीशन्स लगी हुई हैं। वह गारन्टी इसलिए दी कि वह मजदूरों के हित में है, सरकार के हित में है, इसलिए एक करोड़ की गारन्टी दी है। लेकिन एक बात बता दूं हमने जो एक करोड़ की गारन्टी दी है, उसमें हमने शर्तें लगाई हैं। इण्टरनल आडिट होगा स्टेट के आदमी होंगे, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हर तीन महीने में रिव्यू करेगा, मिल का स्टाक है, वह स्टेट बैंक की चाबी में रहेगा। मैंने यह भी व्यवस्था कर दी है कि इसका उपयोग कर्जा चुकाने में नहीं किया जायेगा। मिल इस पैसे से कर्जा नहीं चुकाये हमने यह भी शर्त लगा दी है। इससे मिल को जो आय होगी उससे वह हमारा कर्जा चुकाएगी हमारा हिस्सा चुकायेगी। हमने यह भी शर्त लगा दी है कि मशीनों को खरीद, रॉ मैटीरियल की खरीद जिस समय की जाएगी, उस समय हमारा आदमी साथ होगा। इतना करने के बाद एक मिल को चलाने में गारन्टी दे दी जाये तो मैं समझता हूं कि . . .

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं एक निवेदन कर दूं कि एक छोटी से छोटी को-आपरेटिव सोसाइटी में भी सरकार अपने आदमी रखती है। आपने एक करोड़ रुपया दिया है, क्या सरकार उसको टेक ओवर नहीं कर सकती थी ? क्या उसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को टेकओवर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। एक ओर प्रवासी राजस्थानियों को और उन सबको, जो राजस्थान में उद्योग लगाना चाहते हैं, प्रेरित किया जाये दूसरी ओर उस मिल को टेक ओवर कर लें तो बाद में जो होगा सो होगा लेकिन जो उद्योगपति आना चाहते हैं राजस्थान में, इससे वातावरण बिगडेगा। इससे वह उद्योग लगाने को तैयार नहीं होंगे। मैं सदन को यह जानकारी कराना चाहता हूं कि सरकार उद्योगपतियों की पैरवी करें, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, जयपुर उद्योग के बारे में। जयपुर उद्योग का मैनेजमेंट हाथ में लिया। उसमें क्या क्या काम किया, यह मैं उद्योग विभाग की बहस में चर्चा करूंगा। उसके चेयरमैन आलोक जैन रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि चेयरमैन हमारा आदमी बनाया जाये। यदि कोई राजस्थान में उद्योग लगा रहा है, उसको हम सहयोग नहीं दें तो औद्योगीकरण नहीं होगा। राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के हित में हमें प्रोत्साहन भी देना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा मामला बता दूं। करीब तीन महीने पहले या दो महीने पहले मैं दिल्ली में था। दिल्ली में एक आदमी मुझसे यह कहने आया कि राजस्थानियों का सम्मेलन है, वहां आप चलें। मैंने कहा, आप करते क्या हैं? कहा, छोटी मोटी इण्डस्ट्री है। एक और लगाना चाहता हूं। कहां लगाना चाहते हैं? तो कहा, बुलन्दशहर में लगाना चाहता हूं। मैंने कहा, यू. पी. क्यों जा रहे हैं? राजस्थान में क्यों नहीं लगाते? कहा, पता नहीं राजस्थान में क्या होगा। मैं उनको यहां लाया। पानी और जमीन की आवश्यकता थी, उसकी व्यवस्था की। कंसेशन पर बिजली मिली। उन्होंने 5 करोड़ का कागज का कारखाना अलवर में लगाया है। आप को जानकर यह खुशी होगी कि उसका मुहूर्त 12 मार्च को होगा।

अभी रामनारायण जी एक प्रश्न पर बोल रहे थे। मैं बम्बई में था तो एक मारवाड़ी सम्मेलन में गया था। जो विकास राजस्थान का हो रहा है मैं निवेदन करूं, आज आप कलकत्ते में किसी उद्योगपति को लाइसेंस दें तो वह कंसेशन की बात करेगा। उसके बाद वह बम्बई आयेगा, वहां पूछेगा कि आप कितना कन्सेशन देना चाहते हैं। पंजाब और हरियाणा जायेगा। राजस्थान में आयेगा। तो कन्सेशन के ऊपर इण्डस्ट्री लगायेगा। इस तरह तो राजस्थान उद्योग के मामले में खड़ा नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन के उत्तर में अर्ज किया था कि उद्योगपतियों को जो सस्ती बिजली देते हैं; वह इसी आधार पर देते हैं। उद्योगपति उद्योग लगायेंगे वह कम्पटीटिव रेट पर लगायेंगे। आप क्या चाहते हैं कि कम्पटीशन खतम हो जाये? आपस में पावर, पानी और जमीन की रेट का कम्पटीशन चल रहा है, उसको खतम करना चाहिए? मैं उसके बिना राजस्थान को उद्योग के मामले में खड़ा नहीं कर सकता हूं। मैं राजस्थान को उद्योग के मामले में खड़ा भी करूं लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे कितने साधन हैं? उन साधनों के आधार पर उद्योग नहीं चल सकते। जितने साधन हैं, उनका उपयोग करने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान का जो भी औद्योगीकरण हो सकता है उसके बारे में हम प्रयत्न कर रहे हैं। उस औद्योगीकरण में सरकार की नीति यह रही है कि छोटे उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा पनपाया जाय। माइन्स को लीजिये, हाल ही में दो हजार पट्टे खान-श्रमिकों को दिये गये हैं। किस आधार पर पट्टे दिये गये? जो भी लेबरर्स थे, जो खानों पर काम करते थे उन्हीं से एप्लीकेशन मांगकर, और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाकर लॉटरी के आधार पर पट्टे दिये गये। इस परम्परा का श्रमिकों ने स्वागत किया है। दो हजार लेबरर्स को पट्टे मिले हैं, माननीय मनोहर सिंह जी मेहता इससे भलिभांति परिचित हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिल्कुल !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगले साल और देंगे। हमारा केवल एक ही दृष्टिकोण है, और वह है कि राजस्थान का अधिक से अधिक विकास हो। राजस्थान सरकार की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
हमेशा यह नीति रहेगी कि राजस्थान के अन्दर कम पूंजी से जितने उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं उतने उद्योग स्थापित किये जायं, यह हमेशा कोशिश रहेगी। इसी आधार पर मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं वह सन्तोषजनक स्थिति में चालू हैं।

अब एक प्रश्न और है, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार पर नौकरशाही हावी है। वैसे तो नौकरशाही के खिलाफ बोलना एक फैशन हो गया है, और कोई बोले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नौकरशाही के खिलाफ माननीय परसरामजी बोले, नौकरशाही के खिलाफ माननीय माथुर साहब बोले और नौकरशाही के खिलाफ माननीय खेतसिंह जी बोले···

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहां, मैं तो नहीं बोला, मेरा तो नम्बर ही नहीं आया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : आप भी बोलते थे, इधर थे जब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी बोलता था, उधर था जब, मगर इस बात के प्रमाण मिलेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप पर हावी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्थिति बदल गई है, इमर्जेन्सी में जितने भी एक्सेसेज हुए, हमने स्वीकार किये। आपने कहा कि नौकरशाही का काम था···

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल आप भी यही कहने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक दो ने कहा कि शुक्ला ने····

श्री रामनारायण चौधरी : कमीशन बना कर सबको डरा दिया।

श्री केदारनाथ : हमने किस स्थिति में शासन संभाला?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब इमर्जेन्सी के कारण लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे, सारी स्थिति बदल गई थी, सरकारी अफसरों में भय था कि इमर्जेन्सी के बाद भगवान जाने क्या होगा। यह भय राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में था, जो लोग भी एक्सेसेज के भागीदार थे, उनमें भय था। शाह कमीशन की नियुक्ति हुई, कानसिंह कमेटी की नियुक्ति हुई। उस कमेटी के सामने हर रोज मसले जा रहे हैं। उस स्थिति में जैसे प्रोफेसर केदार ने तीन बातें कहीं, लोग डर कर आते हैं, फिर सहयोग से आते हैं और फिर मिलने आते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कमजोरी की कोई बात नहीं है। काम करने की प्रक्रिया की एक स्थिति होती है। सर्विस डरे नहीं और हावी भी नहीं हो। हावी हो जाती है तो यह कभी भी राजस्थान के हित में नहीं है। आज मैं कह सकता हूं कि सरकार पर नौकरशाही कहीं हावी नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : डिमोरेलाइजेशन करने के लिए उनको ऊपर तो नहीं बिठा सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह सकता हूं, श्योपतसिंहजी, राजस्थान का कोई अफसर मेरे से अपरिचित नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमसे तो है, शामत हमारी आ गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नौकरशाही मेरे पर तो हावी नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : We are the sufferers

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर दूं ...

श्री श्योपत सिंह मकासर : Your officers are behaving just like Thakedars with us.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब बताता हूं ।

प्रोफेसर केसर ने कहा हम उनको विश्वास में लेकर चलते है । मैं यह निवेदन कर दू कि जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सबसे पहले उनकी आवाज है, सबसे पहले उनका स्थान है, अगर नौकरशाही इसमें बाधक होती है और उनके अनादर की बात आती है तो सरकार कभी सहन नहीं करेगी, यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं । मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नौकरशाही हावी नहीं है । शिकायत आने पर उचित कार्यवाही की जायेगी। मैं भी जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि हूं, यह मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं ।

श्री मदनसिंह दांता : मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आप पंचायत मन्त्रीजी से पूछिये इनके आफिस ने क्या बर्ताव किया, भारत सरकार के रिक्रूटिंग आफिसर के साथ कुत्ते के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा बर्ताव किया गया । मैंने कहा तो कहा कि ठाकुर साहब जनता का राज है, होने दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठाकुर साहब, मैं कह रहा हूं कि गलती हो गई तो कौन संरक्षण दे रहा है ? छुटपुट घटनाओं को लेकर यह कहना कि नौकरशाही हावी है, यह सही नहीं है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने जो स्टेजेज बताई हैं, इनमें से राजस्थान में कौनसी स्टेज चल रही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई स्टेज नहीं चल रही है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सब स्टेज खतम हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय बजरंगलालजी, मैं आशा करता था कि यहां पर इस प्रकार का प्रसंग नहीं लायेंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस पाइन्ट को छोड़िये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आफिसर को डिफेंड करने वाला कोई नहीं है,

श्री श्योपतसिंह मकासर : We will defend.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार का नेतृत्व . . .

श्री श्योपतसिंह मकासर : Definitely we will defend.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार का प्रसंग नहीं आता तो ज्यादा अच्छा होता । आपको शिकायत है, आप शिकायत करिये । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आज भी कहता हूं मुझे किसी प्रकार के भुलावे में डाल दे, कोई दबा दे कोई धमका दे इस तरह का सरकारी आफिसर जब से मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुख्य मन्त्री हुआ हूं तब से राजस्थान में नहीं है। मैं नया हूं, मैं इस बात का गर्व करता हूं। प्रशासन का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं इस बात का गर्व नहीं करता हूं कि जन्म से लेकर मैं प्रशासन के कार्य में दक्ष रहा हूं। मैं भी नया हूं प्रशासन की क्या पद्धति होती है, उसका ढांचा क्या होता है, इसकी प्रशासन से शिक्षा लेनी है। इसमें कोई यह कहे कि सरकारी अफसरों से बात नहीं करनी चाहिए तो आखिर मेरा सेक्रेटरी है, मेरे कागजों को डील करता है, सारी फाइलों को देखता है, उस एक अधिकारी को इंगित करके यह कहना ठीक नहीं है कि मिनी मुख्य मन्त्री है, मैं समझता हूं मिनी मुख्य मन्त्री मेरे लिये कोई बनेगा तो विधान सभा का सदस्य ही बनेगा। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि नौकरशाही हावी हो गई है, इस विषय पर चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

एक प्रश्न भ्रष्टाचार का आया, मुझे खुशी है, श्योपत सिंहजी भी · ·

श्री बजरंगलाल शर्मा : इनसे कितने गुण और लेंगे आप ?

श्री भैरोंसिह शेखावत: मैं किसी से शिक्षा नहीं ले रहा। शिक्षा जनता से ले रहा हूं। जब तक जिन्दा रहूंगा तब तक लेता रहूंगा, इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मैं इसलिए निवेदन कर देना चाहता हूं कि कई प्रकार से करप्शन की चर्चा की गई। करप्शन बढ़ रहा है यह कई माननीय सदस्यों ने कहा लेकिन यह एक खुशी की बात है, कई माननीय सदस्य इस सदन में बहुत वर्षों तक रहे हैं, मैं भी रहा हूं, कोई पांच वर्ष और कोई दस वर्ष रहे होंगे, कांग्रेस के शासन में कोई अधिवेशन ऐसा नहीं गया जिसमें किसी न किसी मन्त्री पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाये गये हों। आज कम से कम जनता पार्टी को इस बात की खुशी होनी चाहिये कि 8 महीने की अवधि में किसी मंत्री के विरुद्ध अंगुली नहीं उठाई। मैं साफ कहना चाहता हूं, सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं, जिस समय भ्रष्टाचार के मामले रखे जाते थे, उस समय यहां पर कई सरकारी अधिकारी भी इन्वाल्व होते थे। इस सदन में कौनसा मामला आया. .

श्री मदनसिंह दांता : ढड्ढा साहब का दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे दे दो।

श्री मदनसिंह दांता : बिल्कुल दिया है। आपको लिख कर दिया है और आपने खुद कहा है कि हमारा समाज भ्रष्ट है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने कभी नहीं कहा।

श्री मदनसिंह दांता : पुरानी फाइल में बता दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिना जांच किए मैं किसी अधिकारी के खिलाफ लिख जाऊं कि भ्रष्ट है तो मैं समझता हूं, मैं ड्यूटी नही कर रहा हूं।

श्री मदनसिंह दांता : जांच कीजिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राजस्थान कैनाल में एक करोड़ का घोटाला मैं खुद देख कर आया हूं। इसके लिए हाई पावर कमेटी बननी चाहिए। राजस्थान कैनाल की

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

रिपोर्ट पड़ी हुई है। चीफ इन्जीनियर, एस. ई. लेवल तक आरोप लग गए हैं। तीन करोड़ रुपये का घोटाला मिट्टी की खुदाई और भराई में हुआ है। आप जांच कराना चाहते हैं तो मैं आपके साथ, किसी भी अधिकारी के साथ मौके पर बता सकता हूं। 8 महीने में भ्रष्टाचार बढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने सारी बातें बताई। अधिकांश दास्तान तो पहले की है। नई सरकार बनने के बाद जो मामले आए हैं उनकी जांच हो रही है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भट्टों की मिट्टी पड़ी है। इन्जीनियर्स खा रहे हैं और एक करोड़ रुपये का घोटाला है। चारों तरफ हजारों टन मिट्टी लदी पड़ी है, जंगलों के बीच वह मिट्टी पड़ी है। वहां क्यों डाली गई? एक करोड़ रुपये का घोटाला है। अगर हिम्मत है तो आदेश दें कि इन्जीनियरों की टीम मौके पर जाकर देखे। मेरे बोलने के समय, समय कम था इसलिए नहीं बोला।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जवाब दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक करोड़ रुपये का घोटाला है उसकी जांच करने के लिए मैं राज्य सरकार की तरफ से श्री रामकृष्णदास गुप्ता को नियुक्त करता हूं। अच्छा है एक करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा जाए। जिन विधान सभा सदस्यों की सहायता लेना चाहें, ले सकते हैं। मैं किसी चीज को छिपाना नहीं चाहता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे साधन दीजिए और किसी अच्छे अधिकारी को साथ भेजें तो बता दूंगा कि क्या मामला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो भी एक और एम.एल.ए. साथ लेना चाहें ले लीजिये, विरोधी पक्ष का लेना चाहें, सत्ता पक्ष का लेना चाहें ले लें। जो भी साधन चाहें, जीप चाहें उस की व्यवस्था करेंगे। बहुत बड़ा भला होगा यदि आपके सहयोग से एक करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा जाए और जिन लोगों ने घोटाला किया उनको सजा मिले। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं तैयार हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैंने आपको चार पत्र लिखे हैं, विभिन्न मंत्रियों के लिए कहा है जैसे पर्दे में ही छिपे हों··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं, मेरे पास जो पत्र आए हैं, मैंने उन पत्रों की जांच की। मैं अब तक फाइल्स देख रहा हूं इस समय वह प्रसंग न उठायें, इस समय विस्तार में जाकर कुछ चर्चा करना उचित नहीं है। माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं उस संबंध में मैं सबसे पहले आपको संतुष्ट करूंगा, आपसे ही जानकारी लूंगा और आपसे जानकारी लेकर जो भी स्थिति है, आपको बता दूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सदन में जानकारी देंगे नहीं तो आप कम्प्रोमाइज कर लेंगे।

कई माननीय सदस्य : सदन में बतायें।

श्री खेतसिंह राठौड : वह पर्दे की बात होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी जांच करने के लिए नियुक्त हो जाए। हम कोई भी चीज छिपा कर नहीं चलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां लिफ्ट कैनाल का प्रश्न उठाया गया। ज्यादा अच्छा होगा यदि माथुर साहब स्वीकार करें कि जिस समय इरिगेशन डिपार्टमेंट की डिबेट हो उस समय लिफ्ट कैनाल के बारे में विचार हो।

श्री मथुरादास माथुर : श्री केदार नाथ ने कहा था कि जो लोग इसमें इन्ट्रेस्टेड हैं, उनको बुलाकर आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा वेलकम है। मैं नहीं चाहता आप कमिटमेंट करें। अगर आप बात करें हम लोगों को बुलाकर जो लिफ्ट एरिया में रहने वाले हैं बीकानेर, फलौदी···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर नहीं दूं। बैठकर चर्चा करलें। मैं केवल एस्योरेंस देना चाहता हूं कि जो लिफ्ट इरिगेशन से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के लोग यह न समझें कि उनके साथ किसी भेदभाव की दृष्टि से चल रहे हैं। इस भेदभाव के दृष्टिकोण को दिमाग से निकाल लें फिर उस आधार पर विचार करें कि वास्तव में लिफ्ट···

एक माननीय सदस्य : आप भगवान महावीर का रूप हैं। भेदभाव आपमें कहां है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परसरामजी भगवान परसराम जी न बन जाएं। वह कल परसों बोल रहे थे कि राज्य सरकार भाग्यशाली है कि कोई अकाल नहीं पड़ा, राज्य सरकार भाग्यशाली है कि अभी फसल अच्छी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं दुर्भावना से तो नहीं कह रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जिन जिलों में अकाल पड़ा है वहां व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अकाल की स्थिति अलग है लेकिन अभी माननीय श्री परसराम जी ने कल कहा कि ये भाग्यशाली हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपके शब्दों को उद्धृत कर रहा था। आपने कहा, मैं भाग्यशाली हूं देश में अच्छी फसल थी जिस समय मैंने चार्ज लिया। आपने देखा होगा जब कभी अकाल पड़ जाता है तो पूरे राज्य की अर्थ की स्थिति डांवाडोल हो जाती है। मैं चाहता हूं कि जब तक आप मुख्य मंत्री रहें तब तक अकाल न पड़े। आप ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह मानूंगा कि परसों जो कुछ कहा गया, आफ दी रिकार्ड, उस रात को मैं डर रहा था, बादल गरज रहे थे, मैंने कहा कहीं परसराम का प्रभाव न पड़ जाए, अच्छा हुआ आपके कहने से···

(व्यवधान)

माथुर साहब ने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा जुडिशियरी में करप्शन बढ़ाने के लिए जजेज का अपाइंटमेंट किया है। आप देखें कि पहले कितने जजों का अपाइन्टमेंट हुआ है राणावत···

श्री खेतसिंह राठौड़ : हर बात में पहले देखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पहले के नाम से चिढ़ते हैं तो मैं यह नहीं कहूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जहां तक जस्टिस त्यागी के अपाइंटमेंट का सवाल है, उस ड्यूरेशन में अनाउंसमेंट करना कि वे वी. सी. बनेंगे· · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपाइंटमेंट मैंने नहीं किया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह इंगित करना, अखबारों में इस बात को शाया कराना, क्या यह अच्छी परम्परा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसने शाया किया ? इसके लिए पैनल बना। सलेक्शन कमेटी होती है। उस सलेक्शन कमेटी ने इनका नाम अप्रूव किया। चार आदमियों के नाम थे, चारों नाम प्रेस में गए। हमने तो वे भी प्रेस को नहीं दिए। मेरी जिम्मेवारी तो नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसके इम्पलीकेशन्स क्या होंगे ? बहुत खतरनाक इम्पलीकेशन्स होते हैं। ऐसे एटमास्फीयर में किया गया है जो गलत है। हमको रीयलाइज करना चाहिए· · · ·

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुख्य मंत्रीजी, स्वयं त्यागीजी का बयान अखबारों में छपा जो उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। उन्होंने कहा है राज्यपाल महोदय ने मुझे नियुक्त किया। इस बयान को आज तक किसी लेवल पर कान्ट्रेडिक्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा, राज्यपाल महोदय ने उनको नियुक्त किया है। दूसरी बात, उस समय पेनल पर विचार किया गया जब दिलीप सिंह हत्याकांड के मामले की सुनवाई वह कर रहे थे, और इस मामले पर निर्णय लेना था। तीसरे, 28 तारीख को जब वह रिटायर होने वाले थे चीफ जस्टिस आफिस से उससे पहले उनकी नियुक्ति पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि चीफ जस्टिस की हैसियत से हम उनकी आलोचना नहीं कर सकें। वी. सी. की हैसियत से सारी बातों पर विचार करेंगे तो जैसे जोधपुर से वी. सी लौट आए यहां से भी उनको जाने में देर नहीं लगेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि वाइस चान्सलर का अपाइन्टमेन्ट मेरे द्वारा नहीं होते हैं। राज्यपाल महोदय करते हैं। इसके लिए एक पैनल बनाया जाता है। चार व्यक्तियों के नाम पैनल में थे। उन चार नामों में एक नाम त्यागीजी का भी था। इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : नहीं, यह बात नहीं है। जिस तरह से उनका यूटिलाईजेशन किया गया है वह गलत किया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : हाई कोर्ट के जजेज का इस तरह के अपाइन्टमेंट देकर एक रास्ता खोल दिया है, इस प्रकार उनको सर्विस में कन्टीन्यू रखा जाता है। आपने चीफ जस्टिस को वाइस चान्सलर बनाया और कई जजेज को कमेटीज के चेयरमैन बना देते हैं इससे जुडीशियरी की इज्जत में कमी होगी। आप कहते हैं कि राज्यपाल महोदय द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, वह सभी बातें मुझे मालूम हैं कि गवर्नमेंट करती है या मिनिस्टर करते हैं या नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

Page No 130

(130)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चार आदमियों की लिस्ट मेरे पास आई था। त्यागीजी का अपाइन्टमेंट राज्यपाल महोदय करेंगे यह तय हुआ, यह बात मेरी जानकारी में थी। बाकी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं थी। यों तो जगमोहन रेड्डी हाई कोर्ट के जज थे उनको उसमानिया यूनीवर्सिटी का वाइस चान्सलर बनाया।

श्री श्योपत सिंह मकासर : पर इस प्रकार के मामले में उनको वाइस चान्सलर बनाना कोई अच्छा नहीं हुआ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इसी तरह बम्बई के चीफ जस्टिस को बम्बई यूनीवर्सिटी का वाइस चान्सलर बनाया गया। उस वक्त भी अपोजीशन ने इसका विरोध किया था। इस प्रकार जुडीशियरी के लोगों के साथ इन्टरफियरेन्स किया गया।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे ही दिन मिलने गया था राज्यपाल महोदय से। उन्होंने कहा कि मेरे से अभी दो घन्टे पहले ही हस्ताक्षर करवाये हैं। त्यागीजी को अपाइन्टमेंट के लिए मुख्य मंत्री जी ने अप्रूव किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री से अप्रूवल नहीं होती है। कमेटी होती है जो कि नाम सलेक्ट करके पैनल बनाती है···

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : राज्यपाल महोदय, ने कहा है आप जानकारी कर लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राज्यपाल महोदय ने अगर आपसे कहा है तो मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा इस बारे में। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार के अपोइन्टमेंट्स जब पहले हुए तो पहले भी इस बारे में आलोचना हुई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वैसे कोई बात नहीं पर यह तरीका गलत है ना।

एक माननीय सदस्य : इससे पब्लिक में कोन्फीडेन्स पैदा नहीं होता है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, अभी जो कानसिंह समिति बनी है यह क्या है। जो काम फैक्ट फाइंडिंग का है वह तो एक पुलिस का डी. आई. जी. भी कर सकता है। उसमें एक रिटायर हाई कोर्ट के जज को अपोइन्टमेंट देना कहां तक उचित है? उन्होंने स्वीकार कैसे कर लिया?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है माथुर साहब, आपने यह प्रश्न उठाया कि कानसिंह कमेटी क्यों बनाई गई? उन्होंने स्वीकार कैसे कर लिया? यह क्या बात हुई? कानसिंह कमेटी जो है वह, गवर्नमेंट आफ इण्डिया का जैसे शाह कमीशन है, उसी तरह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। वह तो शाह कमीशन की मदद के लिए है। कानसिंह कमेटी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। वह तो सारे मामलों के फैक्ट्स शाह कमीशन को देगी। उसके बाद शाह कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा। उसके अनुसार कौन व्यक्ति कितना दोषी है और उसके खिलाफ में कार्यवाही क्या होनी चाहिये उसके अनुसार आगे केसेज चलेंगे। अब रहा सवाल, आपने यह कहा कि कानसिंह जी ने स्वीकार क्यों किया? यह बात कैसे हो सकती

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
है कि अपराध कोई करे, अगर किसी व्यक्ति को अपराधों की जांच करने को कहें तो वह जांच करने से मना कैसे कर सकता है। जैसा कि परसराम जी ने कहा····

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह बात नहीं है आप चाहे कमीशन अपाइन्ट करिये। मैं यह नहीं कहता कि कलप्रिट को फांसी नहीं हो। मैं कलप्रिट को फांसी से बचाने के लिहाज से नहीं कह रहा था। दूसरे कमीशन भी बैठाये हैं मैंने विरोध नहीं किया। लेकिन हाई कोर्ट के जजेज को ऊंचे मामलों की इन्क्वायरी देनी चाहिये। फैक्ट फाइंडिंग तो जैसा कि मथुरादास जी ने कहा, एक पुलिस का डी. आई. जी. भी कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत डी.आई.जी. तो कर सकता है लेकिन शाह कमीशन की ओपीनियन यह थी कि फैक्ट फाइंडिंग की जांच किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से करायी जानी चाहिये। इसलिए ऐसा किया गया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : फैक्ट फाइंडिंग कमेटी राज्य सरकार अगर किसी हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में बैठाये तो बैठा सकती है। इसमें कोई गलती नहीं है। व्यवधान नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कानसिंहजी का अपोइन्टमेन्ट कमीशन आन इन्क्वायरीज एक्ट के तहत हुआ है। उसी के तहत वह सुनवायी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई माननीय सदस्यों ने और भी एतराज उठाये हैं उन सभी के उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है क्योंकि वह प्रश्न राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से संबंधित नहीं है। लेकिन जिन जिन भी माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर वाद विवाद में भाग लिया उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अकाल के बारे में फर्माइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बजट की प्रतीक्षा कीजिये। उसमें आपको पता लगेगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कहां कहां अकाल पड़ा है? कहां कहां पर अकाल ग्रस्त एरिया घोषित करना है?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जब बजट प्रस्तुत होगा उस वक्त इस प्रश्न पर चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव से इसका कोई संबंध नहीं है। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। बजट में जो दो लाख रुपये राज्य सरकार ने स्वीकृत किये थे उसका अभी तक कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अन्त में, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में आया उस पर वाद-विवाद में जिन जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया उसके बारे में सिर्फ एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यहां पर राज्यपाल महोदय के बारे में कुछ विपक्ष के माननीय सदस्यों ने खास तौर से यह कहा कि राज्यपाल महोदय बूढ़े हैं और उनके बुढ़ापे में उन्हें और ज्यादा परेशानी हो गयी। और मथुरादासजी माथुर साहब ने यह कहा कि बुढ़ापे में राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा, वह राज्यपाल महोदय का भाषण नहीं है बल्कि यह तो पाबूजी की फड़ है। इसको पाबूजी का फड़ न कह कर भैरोंसिहजी फड़ कह दिया जाय तो उचित होगा। आप जैसे सदस्य के लिये यह कहना उपयुक्त नहीं था, यह आपने कह कर अच्छा काम नहीं किया। अब इस प्रकार की बातें अगर मैं कहूँ, कांग्रेस के राज्य में किस किस तरह के और कितने कितने बूढ़े राज्यपाल यहां आये उनकी हालत का अगर मैं यहां बखान करूं तो आप सुनते रह जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने तो ऐसा नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो सभी जानते हैं माथुर साहब कि गवर्नर साहब के संबंध में हाउस में चर्चा करना उचित नहीं है और गवर्नर साहब के बारे में चर्चा होती भी नहीं है। वैसे यह अच्छी बात नहीं है। थोड़ी तो सदन के माननीय सदस्यों को डिसेन्सी बरतनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में माणकचन्दजी सुराणा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री माणकचन्दजी सुराणा ने जो धन्यवाद प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में सदन में रखा है उसको पारित किया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले यह प्रस्ताव पारित हो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब बार बार प्रश्न पूछने से क्या फायदा है ? सभी प्रश्न तो पूछ लिये गये हैं। उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो तो अच्छा है। अब प्रश्न करने की गुंजाइश ही नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आज घोषणा मुख्य मन्त्री जी द्वारा की गयी है जैसी आज की गयी पहले भी की गयी है। उन पर अमल नहीं हो तो आज के सारे भाषण को मैं उसी सन्दर्भ में कहूंगा। जैसे आपने कहा था उर्दू के लिए 2 लाख के लिए कहा था....

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और उस पर बहुत विचार प्रकट किये जा चुके हैं। यह जो सारे राजस्थान में कुर्कियां हो रही हैं जैसा मैंने कहा था कि किस तरह से बरतनों की और चारपाइयों तक की कुर्की हुई है तो क्या यह हमारी नीतियों के साथ मेल खाता है ? हम बात कुछ करते हैं और एक्शन में कुछ करते हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल ही मैंने जिलाधीशों को वायरलैस से सूचना दी है कि किसी प्रकार की कुर्कियां नहीं करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सारी स्पीच जो मुख्य मंत्री जी की थी उसमें हरिजन शब्द आया और दूसरे शब्द भी आये लेकिन कहीं भी आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं आया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भी आया लेकिन आदिवासी शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ॰॰

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनुसूचित जाति और जनजाति में दोनों का ही है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : दूसरा सवाल यह था कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर में कडाना डैम पर 75 लाख का जो घोटाला हुआ, जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी अभी परसराम जी और माथुर साहब से गवाही दिला रहे थे तो मैंने आसन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और स्वयं अध्यक्ष महोदय की जानकारी में भी यह मामला है, उस प्रश्न पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला।

तीसरी बात जो मैंने पिन पाइन्ट करके रखी थी वह यह थी कि मिलों की हालत खराब हुई वह मानते हैं और गवर्नमेंट के नामीनेटेड आई. ए. एस. थे। वह रुपया डूबा और घोटाला हुआ। उसमें मंत्री ही नहीं बल्कि आफिसर्स भी जिम्मेदार थे। एक एक करोड़ रुपया उनको दे दिया जाता है आनन फानन में। उन कन्सर्न में आई. ए. एस. आफिसर्स नामीनेटेड थे उनके आचरण के प्रति आपने कोई राय जाहिर नहीं की। इन तीनों प्रश्नों पर कुछ प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय ने जो सदन के समक्ष कृपा पूर्वक अपना अभिभाषण दिया उस पर माननीय सदस्य श्री माणकचन्द सुराणा ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया वह प्रस्ताव पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 6 मार्च, 1978 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.05 बजे सोमवार दिनांक 6 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव

46. श्री कुंजीलाल (बामनवास) :
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव कराने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार विभिन्न तहसीलों को तहसील स्तर पर अलग अलग कृषि उपज मण्डी समितियां स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार ने भविष्य में कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव के लिये कोई नई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) तहसील अथवा पंचायत समिति स्तर पर पृथक कृषि उपज मण्डी समितियों की मांग को देखते हुए यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। क्षेत्रफल या वार्षिक आय को देखते हुए इस सम्बन्ध में शीघ्र माप-दण्ड निर्धारित कर दिये जावेंगे।

(3) जी नहीं। आवश्यकता नहीं है।

तहसील खण्डार की सड़कों का अधूरा कार्य

48. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील खंडार के ग्राम मई कलां से गंडावर से गोठड़ा से रामेश्वर रोड जोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो गंडावर क्यों नहीं जोड़ा गया ?

(2) रामेश्वर रोड का कार्य कब चालू किया गया था तथा अब तक कार्य अधूरा रहने का क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस रोड को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) खण्डार से ग्राम मई कला मंडावर गोठडा होकर रामेश्वर सड़क का कार्य किसी भी योजना के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं था। अतः कार्य करवाने का प्रश्न नहीं था।

(2) खण्डार से रामेश्वर को जाने वाली सड़क, जो बारोद, पडरा, बरवास होकर जाती है, पर वर्ष 1971-72 एवं

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

72–73 में ग्रामीण रोजगार त्वरित योजना के अन्तर्गत कार्य किया गया था तथा उस योजना की समाप्ति के साथ ही कार्य स्थगित कर दिया गया था।

(3) इस मार्ग के निर्माण हेतु वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोटपूतली में सीमेंट का कारखाना लगाने की योजना

49. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटपूतली तहसील में सीमेंट का कारखाना बनाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या इस बारे में किसी प्राइवेट पार्टी ने लाइसेन्स भी ले लिया था और कारखाना बनाने का पूरा इरादा कर लिया था ? यदि हां, तो किस वजह से वह इरादा कैसे स्थगित हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में कोटपूतली में सीमेंट कारखाना बनाने का जिक्र किया था ?

(4) इतना सब कुछ होने और सीमेंट की कमी और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस कारखाने को राज्य सरकार द्वारा शीघ्र क्यों नहीं चालू किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। एक पार्टी श्री नन्दलाल अग्रवाल ने कोटपूतली क्षेत्र के पावाना ग्राम के निकट लाइम स्टोन खनिज हेतु खनन पट्टा लिया था। यह खनन पट्टा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24–3–75 के द्वारा निम्न विशेष शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था–

"that the party shall obtain a licence to set up a cement plant in Rajasthan within six months from the date of commencement of the lease This period could be extended by the State Government on being satisfied that the delay in obtaining the licence has been for reasons beyond the control of the lessee"

किन्तु श्री अग्रवाल की प्रार्थना पर उक्त लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये दिनांक 11–5–77 तक छः माह के समय की वृद्धि की गई और उसके पश्चात पुनः दिनांक 14–1–78 तक लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु वृद्धि के उपरान्त भी श्री अग्रवाल ने लाइसेन्स प्राप्त नहीं किया। अतः श्री अग्रवाल को स्वीकृत इस खनन पट्टे को खंडित किये जाने हेतु दिनांक 24–2–78 को 60 दिवसीय नोटिस नियमानुसार दिया गया है।

स्वीकृत क्षेत्र में लाइम स्टोन का अपर्याप्त भंडार होने के कारण सीमेंट का कारखाना लगाना संभव नहीं है।

(3) जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में ऐसा कोई संकेत नहीं किया है।

(4) राजस्थान स्टेट औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने एक मिनी सीमेंट के प्लान्ट हेतु लेटर आफ इन्टेन्ट के लिये

(उद्योग मंत्री)
आवेदन किया है। यदि कोई अन्य पार्टी इस क्षेत्र में सीमेंट प्लान्ट लगाने हेतु रुचि दिखायेगी तो उन्हें भी प्रोत्साहन दिया जावेगा।

निगमों के चेयरमैन तथा अध्यक्षों की अवधि

50. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने निगम हैं और उन निगमों में कौन कौन चेयरमैन हैं तथा उनमें कितने सरकारी और कितने गैर सरकारी अध्यक्ष हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर निगमों में काम करने वाले अध्यक्षों की अवधि समय के पूर्व ही समाप्त कर दी है? यदि हां, तो इस अध्यादेश का उपयोग किन किन निगमों के किन किन अध्यक्षों के लिये किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम विभाग के अधीन कोई भी निगम कार्यरत नहीं है। यद्यपि निम्न कम्पनियां एवं विभागीय उद्योग कार्यरत हैं:–

1–कम्पनियां:–

(क) गंगानगर शुगर मिल्स लि.

(ख) हाईटैक प्रेसीजन ग्लास लि.

(ग) राजस्थान स्टेट टैनरीज लि.

2–विभागीय उद्योग:–

(क) राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर।

(ख) राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना।

(ग) राजकीय लवण उद्योग, डीडवाना।

(घ) राजकीय लवण उद्योग, पचपदरा।

उपरोक्त कम्पनियों में से गंगानगर शुगर मिल्स एवं हाईटैक प्रेसीजन ग्लास लि. में अध्यक्ष पद नहीं है अत: किसी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। राजस्थान स्टेट टैनरीज लि. में श्री ओंकारसिंह, खींवसर, गैर सरकारी व्यक्ति अध्यक्ष पद पर मनोनीत हैं। दिनांक 24–11–72 से निरन्तर कार्यरत है। विभागीय उद्योगों में कोई अध्यक्ष पद नहीं है।

राजकीय उपक्रम विभाग के अधीनस्थ कार्यरत कम्पनी राजस्थान स्टेट टनरीज लि. में श्री ओंकारसिंह, खींवसर, अध्यक्ष पद पर पूर्व की भांति कार्यरत हैं और उनकी अवधि समाप्त करने के लिये राज्य सरकार के द्वारा कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया है।

अजमेर जिले में अतिवृष्टि से क्षति

51. श्री करतारसिंह (किशनगढ़): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अतिवृष्टि के फलस्वरूप अजमेर जिले की समस्त तहसीलों

(श्री करतार सिंह)

को राज्य सरकार ने इस वर्ष अभावग्रस्त घोषित कर दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जो परीक्षण कार्य (टैस्ट वर्क्स) प्रारम्भ किये हैं उनमें मजदूरों की मजदूरी दर तीन रुपया व ढाई रुपया प्रति मजदूर निर्धारित की है ? क्या यह दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर से कम नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन राहत कार्यों पर कार्यरत मजदूरों की मजदूरी दरें बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार मजदूरी की ये दरें उपयुक्त एवं पर्याप्त समझती है ?

(4) क्या राज्य सरकार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अभावग्रस्त क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक एक राहत कार्य खोलना आवश्यक समझती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । अतिवृष्टि तथा खरीफ की फसलों की खराबी के कारण राज्य सरकार ने अजमेर जिले की 5 तहसीलों के 976 गांवों में से 819 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है :–

1. अजमेर	–	200
2. ब्यावर	–	253
3. किशनगढ़	–	161
4. केकड़ी	–	124
5. सरवाड़	–	81

(2) राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि मजदूरों को वेतन का चुकारा नकदी के साथ साथ गेहूं के रूप में भी किया जाय और अब टास्क के आधार पर राहत कार्यों पर दी जाने वाली अधिकतम मजदूरी एक रुपये प्रतिदिन नकद व 2 किलो गेहूं, जिसका मार्केट में मूल्य कम से कम 2 रुपये 72 पैसे होता है, देने का निश्चय किया है ।

उपरोक्त के अलावा इस वर्ष राहत कार्यों पर निर्धारित बेसिक शिड्यूल (बी.एस. आर. टास्क) में दी जाने वाली छूट को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है ।

जिन राहत कार्यों पर शत प्रतिशत मजदूरी गेहूं के रूप में दी जाकर कार्य कराया जा सकता है उन पर प्रतिदिन 3 किलो गेहूं मजदूरी के रूप में भी दिया जा सकता है । जिसका मूल्य 4 रुपये 8 पैसे बनता है ।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता तथा राज्य सरकार के सीमित आर्थिक साधनों को देखते हुए सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि राहत कार्यों के श्रमिकों को भी निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर मजदूरी दी जाय ।

(3) भाग (2) के उत्तर में राज्य सरकार की सीमा व स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

(4) व्यावहारिक कठिनाइयों और सीमित आर्थिक साधनों को देखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर राहत कार्य खोला जाना संभव नहीं है । राहत कार्य खोलते समय उनकी उपादेयता आदि का भी ध्यान रखना जरूरी है ।

राज्य में मिनी सीमेंट कारखाने लगाने की योजना

52. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम ने राज्य में मिनी सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिए आवेदन दे रखा है ? यदि हां, तो कितने मिनी सीमेंट कारखाने किस किस जगह स्थापित किये जाने की योजना है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार से भी कोई बातचीत हुई है और कोई योजना भारत सरकार को भेजी गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने राज्य में 5 मिनी सीमेंट कारखाने लगाने के लिए औद्योगिक अनुमति-पत्र प्राप्त करने के लिये भारत सरकार से आवेदन किया है। ये कारखाने निम्न पांच जिलों के लिये प्रस्तावित है :–

1. बिलाड़ा (जोधपुर)
2. नीम का थाना (सीकर)
3. रास (पाली)
4. कोटपूतली (जयपुर)
5. किवरली (सिरोही)

(2) इस विषय पर भारत सरकार के उद्योग मंत्री से उनके गत वर्ष राजस्थान राज्य के दौरे के समय विमर्श किया गया था। इसके अलावा उद्योग मंत्री से कई बार अनौपचारिक रूप से बात हुई है, जिसके द्वारा उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि राजस्थान में सीमेंट के उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जावेगा। जिसके अनुसार औद्योगिक अनुमति-पत्र प्राप्ति के लिए 5 आवेदन पत्र भिजवाये गये थे।

भीलवाड़ा जिले के भूतपूर्व सरपंचों के विरुद्ध गबन के मामले

53. श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में कितने भूतपूर्व सरपंच ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार, गबन आदि के बारे में जांच चल रही है ?

(2) उक्त जिले में ही कितने सरपंच ऐसे हैं जिन पर इसी कारण निलम्बन आदेश हुए थे ?

(3) भ्रष्टाचार की जांच तथा निलम्बन के बावजूद फरवरी, 1978 के चुनाव में भीलवाड़ा जिले में कितने सरपंचों ने भाग लिया तथा उनमें से कितने विजयी हुए?

(4) कितने सरपंच ऐसे थे जिन पर राज्य सरकार ने चुनाव लड़ने पर पाबन्दी लगा दी थी ?

उत्तर

(1) 66

(2) 31

(3) 31 सरपंचों ने चुनाव में भाग लिया था जिनमें से 20 सरपंच निर्वाचित हुए हैं।

(4) 8